neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:53 AM Page 1



पंचायत संदेश अखिल भारतीय पंचायत परिषद तथा बलवंत राय मेहता पंचायती राज संस्थान का मुख पत्र है। यह पत्रिका राज्य तथा केन्द्र सरकारों द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय, स्कूल प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, जन शिक्षण निलयमों, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं तथा गांव पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के लिए स्वीकृत है। इसमें पंचायत और इंसान समाविष्ट है।

**मुख्य संपादकः** सुबोध कांत सहाय
**कार्यकारी संपादकः** सत्य प्रकाश ठाकुर
**संपादकः** सहदेव चौधरी*
**प्रबंध संपादकः** कौशल किशोर
**संयुक्त संपादकः** डा. अशोक चौहान, डा. एस.एस. शर्मा, मोहन लाल शर्मा, डा. अनिल दत्त मिश्रा
**सह संपादकः** दिवाकर दुबे, रमाकांत शुक्ल
**उप संपादकः** कल्याणी झा
**सलाहकार मंडलः**
डॉ विजय कुमार (बिहार), प्रेमलता ठाकुर (हि.प्र.), कुलजीत सिंह रंधावा (पंजाब), संजय सिंह (उ.प्र.), सुरेश शर्मा (हरियाणा), अविनाश कुमार सिंह (पंजाब), संदीप गुलवे (महाराष्ट्र), सत्यनारायण नागुबंदी (तेलांगना), राव अभय सिंह (हरियाणा), सुरेश जैन (राजस्थान), इजमीर तीखाक (अरू.प्र.)
**व्यवसायिक सलाहकारः**
जयंतीभाई पटेल, आशा तपासे, अनिल शर्मा
**कानूनी सलाहकारः**
शीतला शंकर विजय मिश्र और संजय मिश्रा (अधिवक्ता)
**विशेष सहयोगीः**
राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, रामबृक्ष प्रसाद, माता प्रसाद पाण्डेय
**वितरणः** सुनील कुमार
**कार्यालयः**
बलवंत राय मेहता पंचायत भवन (पंचायत धाम)
368, मयूर विहार फेज-1, दिल्ली-110091
फोनः 01122752573-74
ईमेलः aipp24x7@gmail.com
website: aipp.in
Agency: Trudy & Solange Media (P) Ltd.
**मुद्रकः**
**पत्रिका का शुल्कः एक प्रति 30 रु.**
**वार्षिकः 300 रु., आजीवनः 10000 रु.**
**एआईपीसी अध्यक्षः सुबोध कांत सहाय**
**सहयोगी संस्थानः**
तीसरी सरकार अभियान, जय हिन्द मंच, प्रवासी भलाई संगठन, ओम योग पीठ (सूरत), भारतीय न्याय मंच
*पीआईबी अधिनियम की परिभाषा के तहत संपादक

## आवरण कथा

3 कौशल किशोर
**अनर्थशास्त्र का अर्थ**

## तीसरी सरकार

32 सत्य प्रकाश ठाकुर
**कुल्लू में महापंचायत**

02 करेंशी और कतार की उलझन
10 बैंकिंग व्यवस्था का मोदीनामा
19 राजपत्र संख्या 2652
पंचायतीराजः स्वशासन बनाम स्वराज्य 20
पंचायतीराजः संवैधानिक परिप्रेक्ष्य 28
गांव के विकास से होगा देश की तरक्की 38

### स्मृति

40 गौवंश रक्षा मुहिम की स्वर्णजयंति
44 मेहताजी का बलिदान
36 वीर-बलिदानी लालाजी

### English

15 Demonetisation: Bussiness of Currency Printing
19 Open Letter
34 Panchayati Raj Local Self-Governance
42 Guilty Party of Gauraksha Movement

50 पवन कुमार गुप्ता
**विचार-विमर्शः लिबरल राजनीति पर पुनर्विचार**

### स्तंभ

47 पत्रकारिताः रामनंद चटर्जी की चेतावनी - राम बहादुर राय
48 गांधीजनः गांधीवादी पत्रकारः कुमारप्पा - रमेश चंद शर्मा
52 कहानीः पंच-परमेश्वर - प्रेमचंद
56 नारदनामाः लाला लालचन्द का दास -सच्चिदानंद
56 कार्टून कोनाः संकलन - नीरज निर्मल

नोटः पंचायत संदेश में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त किये गये विचार लेखक के हैं, जरूरी नहीं कि परिषद के भी हों। पत्रिका से संबंधित कानूनी मामलों का निपटारा दिल्ली न्यायालय में होगा।

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:53 AM Page 2



## करेंशी और कतार की उलझन

**दो** साल बाद बात कर रहे हैं। अब तो हद हो गई। पिछले कई हफ्तों से लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त है। यह अगले कई महीनों तक अफरा-तफरी मचाए रखने की गंभीर योजना है। पिछली सरकार द्वारा ब्लैकलिस्टेड सिक्युरिटी प्रिंटिंग के एक काम के कारण देश के करोड़ों लोगों को कतार में खड़ा होने की सजा मिली है। अब शहर क्या और गांव क्या। नोटबंदी और नोटबदली का खेल चल पड़ा है। एक दिन राज्य सभा में आनंद शर्मा ने इसी सवाल पर सरकार को कठघरे में खड़ा किया था। नरेन्द्र मोदी सरकार की तमाम लोकलुभावन घोषणाओं को दरकिनार कर गांवों में सौ रुपये के कमीशन पर हजार और पांच सौ के नोट बदलने वालों को नई फौज तैयार हो गई है। इस नोटबंदी से सभी जगह लोग परेशान हैं। गांव ही नहीं दिल्ली स्थिति रुसी दूतावास ने भी शिकायत किया है। इसके थमने की संभावनाओं के साथ ही अच्छे दिनों की आश भी बदस्तूर प्रचारित किया जा रहा है। इस परेशानी की मूल वजह बिना पूरी तैयारी किए एक ऐसे आदेश की तामील करना है, जिससे समूचा देश प्रभावित होता हो। अधूरी और मुकम्मल तैयारियों के बीच झूलती शासन व्यवस्था आम लोगों के लिए ही मुश्किलों का सबब बनता है। यह एक ऐसा अलोकतांत्रिक निर्णय है, जिससे होने वाली क्षति का वास्तविक व्यौरा पब्लिक डोमेन में कब उपलब्ध होगा, दावे से कहा भी नहीं जा सकता है। यह सबको सूट-बूट पहनाने का सपना दिखाने का नतीजा है। और प्रधानमंत्री की नजर में टीवी का दर्जा संसद से भी ऊंचा हो गया है। आम जन की व्यथा असहय है।

विमुद्रीकरण की नीति कोई नई नहीं है। आधुनिक भारत की वित्तीय व्यवस्था का इतिहास इसे तीसरी विभाजन रेखा मानेगा। भारत में 1946 और 1978 में पहले भी ऐसा हो चुका है। 1969 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने सौ डॉलर से ज्यादा मूल्य की करेंशी को चलन से बाहर कर इतिहास रचा था। परंतु अतीत में यह इतना विनाशकारी नहीं साबित हुआ। आज केन्द्र सरकार ने लोगों को मुश्किलों का सामना करने के लिए बाध्य किया है। करेंशी, केंद्रीय बैंक और सरकार का यह खेल कई ऐसी बातों की ओर स्पष्ट संकेत करता है, जिससे कांग्रेस उपाध्यक्ष द्वारा व्यक्त की गई संभावना को बल मिलता है। केंद्रीय बैंक के अर्थशास्त्रियों ने ऐसा अनर्थ किया कि आम लोगों का जीवन ही अस्त-व्यस्त हो गया है। पंचायत में लोग देख रहे हैं कि अब कश्मीर की वादियों की पत्थरबाजी बंद हो गई। पर मैदान में बुलंद मानी जाने वाली बैंकिंग प्रतिष्ठानों पर लोग पत्थर बरसाते दिखे। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्रियों का विरोध सभी के सामने हैं। स्वतंत्र प्रकृति के खोजी पत्रकारों ने इस संभावना से जुड़ी कई रहस्मय गांठों को खोल कर रख दिया है। इसलिए इस अंक की आवरण कथा की विषयवस्तु यही रखा गया है। यह ऐसी मुश्किल है, जिसका सामना करते हुए मौत का शिकार होने वाले भारतीय शहीद का दर्जा भी नहीं प्राप्त कर सके हैं। अफरा-तफरी और अव्यवस्था का आलम पिछला सभी रिकार्ड ध्वस्त करने की ओर अग्रसर है। संसद सदस्यों ने इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग किया है। यह बेहद आवश्यक है। साथ ही इस क्रम में यह भी ध्यान रखना जरुरी है कि ऐसा क्या किया जाय, जिससे आम जनता को तत्काल राहत मिले और शांति व्यवस्था कायम हो सके। इस विषय में 'भारतीय न्याय मंच' की पेशकश गौर करने योग्य है। इस ओर सभी को ध्यान देना चाहिए।

वास्तव में जालीनोट और कालेधन का खात्मा करने की पैरवी के नाम पर बनी यह स्कीम कैशलेस अर्थव्यवस्था को लागू करने और केंद्रीय बैंक का दामन धोने की मुहिम है। तीसरी दुनिया के भारत जैसे देशों में जहां आज भी आय-व्यय का नब्बे फीसदी हिस्सा नगदी में सीमित है, यह व्यवस्था इतनी आसानी से लागू कर पाना संभव नहीं है। एक स्वाधीन देश के लिए यह अलोकतांत्रिक निर्णय कई सुलगते सवालों को खड़ा करता है। इनमें से कुछ बेहद अहम सवालों को 'ग्रेट गेम इंडिया' ने भी खूब उठाया है। इन्हीं सवालों के बीच स्वराज और स्वशासन की आवधारणाओं का पुर्नपाठ भी जरुरी हो जाता है। यदि इसे ठीक तरह से समझ कर आगे बढ़ा जाय तो भविष्य की कई मुश्किलों से बचा जा सकता है। साथ ही गांव की सत्ता गांव के हाथ और शहर की सत्ता शहर के हाथों में सुरक्षित होने का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है।

**- सुबोध कांत सहाय**

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:53 AM Page 3

# अनर्थशास्त्र का अर्थ

**कौशल किशोर**
**Follow on Facebook, Instagram & Twitter @HolyGanga**

**आ**पको पता है। यह कहावत किसकी है? **'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।'** क्या आपको यह भी पता है कि अमेरिका की कांग्रेस में किस व्यक्ति ने कहा था, **'हमें राष्ट्र के पैसे पर कंट्रोल करने दो, और फिर परवाह नहीं, इसके कानून कौन बनाता है।'** क्या आज इस सवाल से रु-ब-रु होने की जरुरत नहीं है? खैर, अब भारत में लोग जियो की इंटरनेट सुविधा से वंचित नहीं रह गए। और 'गुगल देव' ने ऐसे सवालों का जवाब देने से मना भी नहीं किया है। सोसल मीडिया पर 'बागों में बहार है' के बाद शहर की गलियों में कतार पर कतार है। क्योंकि उस रात टी.वी. पर 'साहब' का हुक्म सुनकर पैसा, पैसा ना रहा। क्या गजब का करिश्मा हुआ? करेंशी महज कागज का टुकड़ा हो गया!

अब आप समझ सकते हैं कि यहां नेताजी और 'करेंशी-किंग' की कहावतों से बात शुरू करने की क्या जरुरत थी। यह केन्द्र सरकार का एक अहम फैसला है। क्या यह भारतीय गणराज्य में अलोकतांत्रिक तरीके से लिए गए आदेशों की श्रेणी में गिना जाएगा? इसका असर निश्चय ही बहुत व्यापक और मुश्किलों से भरा है। यह एक ऐसा मामला है, जो देश में 'सिविल-वार' की हालत पैदा करने में सक्षम है। सरकार को यह बात समझना चाहिए। इसके कारण कई जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई तक हो चुकी है। पश्चिमी छोर पर पनवेल में नवंबर के तीसरे हफ्ते में हुई कृषि उत्पाद बाजार समिति के चुनाव में न सिर्फ भापजा को सभी 17 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं को लोगों ने मारने-पीटने में भी कसर बाकी नहीं रखा। चुनाव में प्रचारकों को ऐसी मुश्किलें हो, यह अच्छा नहीं है।

यह घोषणा भारत के प्रधानमंत्री ने की है। इस घोषणा के बाद क्या भारतीय रिजर्व बैंक का वह वचन खारिज हो जाता है, जिसमें धारक को नोट पर अंकित मूल्य को चुकाने की बात कही गई है। परिचालन में हजार और पांच सौ के अधिकांश नोट जाली हैं, जिनकी सरलता से पहचान करना कठिन है। इस आशय की बात 8 नवंबर 2016 को जारी राजपत्र संख्या 2652 में कहा गया है। क्या यह फैसला भारत की लोकतांत्रिक सरकार का माना जाएगा? इस सवाल से हैरत हो सकती है। पर बचा नहीं जा सकता है। व्यक्ति व समाज ही नहीं संसद और सर्वोच्च न्यायालय भी इस मामले पर विचार कर रहा है। इस कदम से जाली नोट, काला धन और आतंकवाद की फंडिंग बंद करने का दावा केन्द्र सरकार ने किया है। तीनों ही समस्याएं बेहद जटिल हैं। यदि ये दूर हो जाएं तो सचमुच देश का भला हो। इसे स्वागत के योग्य कदम माना जाएगा। पर क्या सचमुच सरकार के दावे पूरे होंगे? क्या यह इस कदर जरुरी था, अच्छे दिनों के लिए? फिर तो संभावना यह भी है कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपतियों की तरह गरीब जनता में अब खैरात बांटें। इसी बीच ब्रिटीश प्रधानमंत्री ने 'साहब' की नपे-तुले शब्दों में क्या खूब तारीफ की है। इसे ही कहते हैं, सोने पर सुहागा। **'क्वीन के सिर पर ताज रहे, और मोदी जी का राज रहे'** ऐसा नारा सहज सुलभ होना असंभव नहीं रह गया।

आज इन मामलों में कम लोग दुरुस्त जानकारी रखते हैं। वास्तव में इस विमुद्रीकरण को जाली नोट के कारोबर का क्षणिक समाधान माना जाता है। इससे कर की चोरी पर तुरंत असर पड़ता है। साथ ही केन्द्रीय बैंक को लाखों करोड़ का फायदा होता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह आंकड़ा करीब साढ़े तीन लाख करोड़ का होगा। इसकी हकीकत पर भविष्य में भी चर्चा होगी पर केन्द्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर डी.सुब्बाराव जैसे विशेषज्ञों ने इस मुनाफे की प्रकृति पर सवाल किया है। साथ ही प्रशासन इस आदेश की तामील करते हुए अधूरी और मुक्कमल तैयारी के बीच झूल

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:53 AM Page 4



रही है, जिसका नतीजा सामने है। इसकी वजह क्या है? यह तो 'साहब' ही कह सकते हैं। पर क्या हो सकता है, इसकी चर्चा नहीं करें। यह भी यहां मुमकिन नहीं है। सबसे जरुरी बातों का संज्ञान लेकर ही आगे की ओर बढ़ें।

इस सदमे से चालीस साल की एक महिला बेमौत मारी गई। यह गौतम बुद्ध के निर्वाणस्थल के समीप पूर्वी उत्तर प्रदेश का मामला है। वह कपड़े धोकर जीवन-यापन करती थी। इसी क्षेत्र में आठ साल का एक बच्चा भी करेंशी-नोट और दवाई के खेल में शहीद हो गया। फिर मुंबई में बैंक की कतार में खड़े तिहत्तर साल के वृद्ध विश्वनाथ वर्तक के मौत की खबर आई। इस बीच ऐसी ही और घटनाएं प्रकाशित हुई हैं। आज इन सभी निर्दोष हमवतन लोगों की मौत पर एकसाथ मातम मनाने का दिन है। आप जानते हैं ऐसा किन हालातों में हुआ। और मैं यह जानना चाहता हूं कि क्यों हुआ? क्या पता आज आपके मन में भी यह सवाल उठे। सरकार इन चालीस मौतों को भी महज संयोग मान सकती है। क्योंकि उस रात टी.वी. पर इस लोकतांत्रिक देश में एक बार फिर साकार हुआ कि सरकार आखिरकार 'सरकार' ही है।

इसे महज संयोग मानने से पहले मेरे सामने पैसा, कानून और कंट्रोल का तिलिस्मी खेल आ जाता है। जिसकी परतों में उलझने पर आपका आमना-सामना भी इन पंक्तियों में वर्णित तथ्यों से होगा। इसलिए अपनी बात शुरू करते हुए दो बातों को याद करने की जरुरत महसूस हुई। अब एक सरसरी निगाह देश, दुनिया और समाज के विस्तृत परिदृश्य पर डालते हैं। ऐसा करते हुए आपसे मेरा निवेदन है कि महज संयोग की स्थितियों पर गौर फरमाएं।

**✣ बीते 8 नवम्बर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पांच सौ और हजार रुपये के करेंशी नोट की कानूनी वैधता खत्म कर दी।**
**✣ फिर दुनियाभर में सबसे बड़ी खबर थी कि रिपब्लिकन उम्मीवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए।**
**✣ ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने इन धमाकेदार खबरों का लुत्फ इंग्लैंड में उठाने की बजाय इंडिया में उठाया है।**

नवंबर के दूसरे हफ्ते की शुरूआत निश्चय ही चैंकाने वाली घटनाओं से हुई है। आठ नवंबर की रात आठ बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पांच सौ और हजार रुपये के करेंशी नोट की कानूनी वैधता खत्म कर दी। दिन में ही महात्मा गांधी सीरिज के इन नोटों को बंद करने के लिए एक अधिसूचना जारी किया गया था। फिर दुनिया भर में सबसे बड़ी खबर थी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए। उम्मीद के विपरीत डेमोक्रेटिक पार्टी की महिला प्रत्याशी हिलेरी क्लिंटन से ज्यादा मतदान उनके पक्ष में हुआ। दोनों छोर पर एक साथ अचरज में डालने वाली खबरें हैं। इनके अलावा एक तीसरी बात भी है, जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनीं श्रीमती थेरेसा मे ने इन धमाकेदार खबरों का लुत्फ इंग्लैंड में उठाने की बजाय इंडिया में उठाया है। ये क्या गजब हुआ? ये क्या जुल्म हुआ?... अब थोड़ा रुकना होगा। डर है। कहीं आप पूछ न बैठें, गीत क्यों गाने लगे हो?

ये तीनों ही घटनाक्रम महज संयोग हो सकते हैं। पर क्या इस बात से इंकार किया जा सकता है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिन्हें इन बातों का पुवार्नुमान था, या फिर इसकी दुरुस्त जानकारी थी। राजनैतिक-अर्थशास्त्र का औसत दर्जे का विद्यार्थी भी यह न्यूनतम जानकारी रखता है कि कुछ लोगों ने इन तीनों ही घटनाओं को कार्यरुप देने के लिए विधिवत तैयारी किया था। क्या उनके बीच कोई सीधा संबंध है? क्या कोई समीकरण इन्हें आपस में जोड़ता है? देश में चहुंओर अफरा-तफरी मची है। ऐसे में इनकी गहराई नापने की फुर्सत कम ही लोगों को है। परंतु मैं दावे से कह सकता हूं कि इस घड़ी में इन्हीं बातों का रहस्य जानने-समझने वाले लोग राहत की सांस ले रहे हैं।

सटीक और सधे हुए क्रम में घटित होने के कारण तीनों बातें एक साथ सामने आती हैं। यहां मैं इन्हें मजह संयोग ही कहता हूं। इसके बावजूद भी विचार करने योग्य बातें यहां मौजूद हैं। मुकेश अंबानी समूह में रिलायंस इंडस्ट्रीज के पूर्व प्रेसिडेंट उर्जित पटेल केन्द्रीय बैंक के गर्वनर बनाए गए। सरकार पर सवाल उठे थे। दो हजार और पांच सौ के नए नोट इन्हीं महोदय के हस्ताक्षर से जारी हुए हैं। एक रुपये का नोट भारत सरकार जारी करती है। यह पांच सौ, हजार और दो हजार रुपये की करेंशी का मामला है। इस विषय में केन्द्रीय बैंक को घोषणा करना चाहिए था। प्रधानमंत्री की घोषणा के पीछे क्या रहस्य है? इतनी बात साफ है कि 1934 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जारी अधिसूचना में नोटबदली का जिक्र है। परंतु प्रधानमंत्री की बुलंद आवाज के बूते इसे नोटबंदी के प्रपंच में तब्दील कर दिया गया है। दो बार विस्तार देने से यह स्पष्ट है कि सरकार भी मानती है कि ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं है। लोगों को राहत मिलेगी यदि सरकार 31 मार्च 2017 तक नोटबदली की पाबंदी पर कायम रहते हुए नोटबंदी की सीमा भी इसी तिथि तक बढ़ा दे। साथ ही फंड-फ्लो पर लगे रोक को हटाकर कारोबार की मंदी भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। ऐसा करने से संभव है कि गतिरोध खत्म हो, परंतु सहमति की इस संभावना के जनहित में होने के बावजूद भी कोई राजनेता इसकी सचमुच पैरवी नहीं कर रहा है। सभी इसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति की मांग कर रहे हैं।

विमुद्रीकरण के विषय में दैनिक जागरण ने 27 अक्टूबर को बृजेश दूबे की कानपुर से रिपोर्ट छापी है। बाद में 17 नवंबर को इसे लागू करने की योजना भी खबरों में रही है। इस बीच तमाम मीडिया प्रतिष्ठानों के पास प्रशांत भूषण द्वारा भेजे गए कुछ कागजात पहुंचे हैं। इनमें गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी द्वारा करोड़ों का कालाधन कारोबारियों से लेने का खुलासा किया गया है। आज जायसवाल की हवाला डायरी के पन्ने हवा में तैर रहे हैं। इन सभी तथ्यों का संज्ञान लेने से प्रतीत होता है कि चालीस साल पहले इंदिरा गांधी की हालत और आज के नरेंद्र मोदी एक जैसी दशा में मजबूर हैं।

इसी मजबूरी का नतीजा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आम लोगों का जीवन कई महीनों तक अस्त-व्यस्त रहेगा। इसका व्यौरा आस-पास हो रही घटनाओं पर नजर डालने पर होता है। रही-सही कोर-कसर इलेक्ट्रानिक मीडिया से लेकर सोसल मीडिया तक पूरी कर रही है। अफवाहों का बाजार गरम है। एक दिन नमक की कीमत आसमान छूने लगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:53 AM Page 5



लोगों की भीड़ ने एक बैंक लूट लिया। तो पोस्ट-आफिस पर हाथ साफ करने की दूसरी घटना भी सामने आई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई एटीएम मशीनों में सप्लाई किया जाने वाला सौ करोड़ से ज्यादा का रकम गायब हो चुका है। 20 नवंबर के इंडियन एक्सप्रेस में मिथुन एमके की रिपोर्ट पर गौर करें। हैदराबाद से 168 किलोमीटर दूर कर्नाटक बार्डर के पास खारमुंगी में तीन रुपये सैकड़ा मासिक पर किसानों से सूद वसूलने वाले दो लोग सौ रुपये के कमीशन पर हजार और पांच सौ के नोट बदल रहे हैं। यह एक लंबी सूची से ली गई चुनिंदा सूचनाएं हैं। जस्टिन रौलेट की बीबीसी रिपोर्ट में इसे मोदी सरकार का आर्थिक 'शॉक एंड औ' पॉलिसी कहा गया है। साथ ही ऐसे सभी रिपोर्ट में उपरोक्त घटनाओं की जानकारी का सर्वथा लोप है। जाहिर है कि आज ऐसे भी लोग हैं, जो सच का संज्ञान तक नहीं लेना चाहते हैं। साथ ही ललित मोदी और विजय माल्या ही नहीं, बल्कि पनामा पेपर में वर्णित अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और अजय देवगन जैसे चर्चित लोग इस नीति का समर्थन कर रहे हैं।

इन सबके बीच बाजार की सारी बातें काले और सफेद नामक दो ध्रुवों पर सिमट गया है। इसमें बस दो ही रंगों के लिए जगह है। बाकी रंगों के प्रति चेतना नगन्य है। यह शोक संदेश इन दो ध्रुवों पर प्रवास करने वाले लोगों के लिए निश्चय ही नहीं है। वास्तव में यह इंद्रधनुषी रंगों को समझने वाले लोगों के लिए है, जिनको पीले, हरे, नीले जैसे और रंगों की भी बराबर समझ हो। यों तो अपने गांव में सफेद और काला भी कई जातियों, प्रजातियों और उपजातियों में विभाजित है। सुबह गोपाल के दुधिया सफेदी से होती, तो दिन ढ़लने से पहले मोतिया सफेदी की चमक भी नजरों के सामने जगमगा उठती है। वस्तुस्थिति देखकर मुझे दूसरे विश्व युद्ध के एक अमेरिकी महावीर जार्ज स्मिथ पैटन की बात याद आती है। उन्होंने कहा था, **'जब सभी लोग एक जैसा सोच रहे हैं, तो कुछ लोग नहीं सोच रहे हैं।'** यह नहीं सोचने वाले लोगों से एक अपील भी है। क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में इसी वजह से दुश्वारियां पैदा हुईं।

आज सचमुच उन्हें ही गंभीर विचार-विमर्श करने की जरुरत है। इस क्रम में यह भी ध्यान रखना होगा कि प्रधानमंत्री ने नोटबदली के लिए नोटबंदी की घोषणा क्यों किया? और इसके बाद जापान की यात्रा पर क्यों चले गए? इस रहस्य की ओर आउटलुक में बीते 17 नवंबर को प्रकाशित मन मोहन की रिपोर्ट में इशारा किया गया है। नरसिंह राव सरकार के दौरान देश की करेंशी जैसी सिक्युरिटी प्रिंटिंग से जुड़े कारोबार में जापान की कंपनी को शामिल किया गया। इस पर युरोपियन कंपनी डे-ला-रु जियोरी ने भारत सरकार को जाली-नोट को लेकर चेतावनी दिया था। आखिर इसी वजह से नोटबदली का मसौदा तैयार किया गया है।

कालाधन और सफेदधन का मामला पेंचीदा है। जिस पैसे का लेन-देन बैंक के माध्यम से नहीं हुआ वह कालेधन की जद में है। प्रधानमंत्री की नोटबंदी संबंधी घोषणा के बाद यह धन एक बार फिर परिभाषित हो रहा है। बाजार में मची अफरा-तफरी में एक सवाल है कि क्या जिस धन का आदान-प्रदान बैंकों के माध्यम से नहीं हुआ है, वह सचमुच काला धन है? इसी धन के कारण बैंक और डाकघर में ठसाठस भीड़ है। कतार पर कतार है। इस भीड़ में होने वाले उत्पात का कोई ठिकाना नहीं है। कम ही बातें मीडिया रिपार्ट का हिस्सा बन सकी है। कलह और उत्पात की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लोग काले और सफेद धन के सही मायने भी भूल गए हैं। राजनीति और अर्थशास्त्र से जुड़ा यह प्रपंच दिन-ब-दिन विशाल हो रहा है। चिंगारी सुलग उठी है। यह दहकते अंगारे में बदल कर कभी भी गृह-युद्ध में तब्दील हो सकता है। अच्छा होगा, यदि इसे रोकने की कोशिश में लगी जमात के लोग अचूक हों।

विमुद्रीकरण के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आवाज उभरती है। इस बीच उन्होंने एटीएम की नई परिभाषा गढ़ा है, आएगा तो मिलेगा। राजनैतिक दलों ने मिलकर संसद में इसका विरोध शुरू किया है। सहमति की आशा चिन्ह दिख नहीं रही है। राहुल गांधी ने लोगों के साथ कतार में खड़े होकर इसका विरोध किया, और फिर इस मामले में घोटाले की संभावना भी व्यक्त किया है। अरविन्द केजरीवाल ने चिंगारी सुलगाने का काम किया है। इसी बीच सोसल मीडिया में मुलायम सिंह यादव के 'बगावत' का शोर भी उभरा। कहा गया कि ऊत्तर प्रदेश में रुपया बन्दी का आदेश लागू नहीं होने दिया जाएगा। हकीकत यह रही कि सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 24 नवंबर 2016 तक जमीन खरीदने में हजार और पांच सौ रुपये के नोट का इस्तेमाल करने की छूट देने का जिक्र किया है। आम लोगों की मौत, अफवाह, अफरा-तफरी और लूट-खसोट का सिलसिला चल पड़ा है। यह सब एक अलोकतांत्रिक निर्णय का नतीजा है। इसे रोकने के लिए नोटबदली को नोटबंदी बनने से रोकना था। यह वही कर्म है, जिसकी वजह से केन्द्रीय बैंक मुनाफाखोर साबित हो गया है।

**कलह और उत्पात की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लोग काले और सफेद धन के सही मायने भी भूल गए हैं। राजनीति और अर्थशास्त्र से जुड़ा यह प्रपंच दिन-ब-दिन विशाल हो रहा है। चिंगारी सुलग उठी है। यह दहकते अंगारे में बदल कर कभी भी गृह-युद्ध में तब्दील हो सकता है। अच्छा होगा, यदि इसे रोकने की कोशिश में लगी जमात के लोग अचूक हों।**

आज विमुद्रीकरण के परिणाम सामने हैं। भारत में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इमरजेंसी के बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनी। उस दौर में 1000, 5000 और 10000 के नोटों को बंद करने का फैसला लिया गया। पर वह एक लंबी लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। 16 जनवरी 1978 को बड़े मूल्य के नोटों का चलन बंद हो गया। बाद में इसी मामले में संसद ने 30 मार्च 1978 को डिमोनेटाइजेशन एक्ट भी पारित किया। इस विषय में कहा गया कि पिछली सरकार से जुड़े अभिजात्य वर्ग के लोगों ने अकूत धन जमा कर रखा है। इसे आम जनता के हित में उपयोग करने का सुझाव राजनेताओं के दिमाग की उपज थी। दरअसल पहली बार 1938 में ऐसे बड़े नोट छापे गए। आजादी से पहले 1946 में बनी अंतरिम सरकार ने इसे बंद कर दिया था। फिर 1954 में जवाहरलाल नेहरु के कार्यकाल में इन्हें पुनः प्रयोग में लाया गया। अंत में इन्हें 1978 में बंद कर दिया गया था। आज भी युरोप के क्लबों में इन नोटों की खुलेआम निलामी होती है। इनके लिए लगने वाली बोली की रकम पर आप सहसा यकीन भी नहीं कर

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:53 AM Page 6



सकेंगे।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस जगमोहन की गौरव गाथा आप अभी तक भूल नहीं सके होंगे। सत्तर के दशक में उन्होंने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कटघरे में खड़ा किया था। और जिसकी वजह से इमरजेंसी की कील जबरदस्ती ठोंक दी गई थी। इन पंक्तियों को पढ़कर शायद आप मान बैठें कि मेरी दिलचस्पी भी इस मामले में रही है। दरअसल मेरे दोस्तों में ऐसे नाम भी हैं, जो इस मामले में बेहद अहम रही नीली डायरी और लाल डायरी को सामने लाने वालों में से रहे। मेरी साधारण समझ से इस विषय में ठीक-ठीक जानकारी रखने में शायद सबसे सक्षम व्यक्ति। इस मामले को भी समझना जरुरी है।

रायबरेली लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी और राज नारायण चुनाव मैदान में आमने-सामने थे। उनके बीच कांटे की टक्कर थी। ईमानदारी और बेइमानी की जंग तो चल रही थी पर आज की तरह सोसल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव नहीं था। इंदिरा गांधी के समर्थन में प्रचार करने वाले लोगों ने अपने पक्ष में मतदान करने के लिए 1000, 5000 और 10000 रुपये के नोट गरीब लोगों के बीच खुलेआम बांटे। जिन लोगों ने ऐसे नोट कभी नहीं देखे थे, उन्होंने इसे रद्दी समझ कर फेंक दिया। राज नारायण के प्रचार दल में शामिल एक चैदह साल के बीर बालक ने ऐसे 49 करेंशी नोट बीन लिए। बालक ने लोगों से इस विषय में जानकारी की। फिर सारी बातें राज नारायण को बताया। परंतु उन्हें भी ऐसे नोट के विषय में जानकारी नहीं थी। इसलिए यकीन ही नहीं हुआ। बीर बालक ने स्टेट बैंक की शाखा में जाकर इसकी सच्चाई जानने का निश्चय किया। कई हफ्तों की जद्दोजहद के बाद पता चला कि सभी नोट असली थे।

**काले धन के प्रबंधन की बेहतर युक्ति आयकर अधिनियम की धाराओं से निकल कर फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट की व्यवस्था में समा चुकी है। एफडीआई के प्रावधानों ने इसके लिए सबसे कारगर युक्ति को संभव किया है। एक ऐसा कारगर तरीका इजाद हुआ है, जिसके माध्यम से विदेशों में जमा काला धन सफेद होकर स्वदेश में लौट सकता है।**

वोट खरीदने की इसी कोशिश का नतीजा था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जगमोहन की अदालत में केस चला। और नौबत इमरजेंसी तक पहुंच गई। मोरारजी देसाई सरकार ने राज नारायण के सुझाव पर अमल किया। उन दिनों ऐसे बड़े नोट धनकुबेरों के पास ही कालेधन के रुप में संचित था। इस फैसले का नतीजा हुआ कि दानपेटियों में इन नोटों के अंबार लग गए और धर्मस्थानों के नाम पर बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएं भी खड़ी हो गई। यद्यपि ऐसा कहना मुमकिन नहीं है कि काला धन समाप्त हो गया। हां, आम लोगों को कोई तकलीफ या नुकसान नहीं झेलना पड़ा था। सरकार को देश की जनता का सहयोग मिला। परंतु आज ऐसा नहीं है। आम जनता का सहयोग लेना मुनासिब नहीं समझा गया। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि बाजार में जितना पैसा होने का दावा केन्द्रीय बैंक ने किया है, उससे ज्यादा रकम मौजूद हो। किसी और वजह से भला बैंक अफरा-तफरी मचाने को क्यों राजी होने लगा!

आज की परिस्थिति ठीक विपरीत है। काले धन को सोने-चांदी और दूसरे रुपों में तब्दील करने की प्रक्रिया जोर-शोर से चल रही है। इसका व्यौरा भी आने वाले वक्त में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। प्लास्टिक मनी के इस युग में सीसीटीवी और आधार कार्ड का उपयोग हो रहा है। लोगों की जेब से निकलने वाले धन का आंकड़ा उपलब्ध हो रहा है। बैंकों ने लोगों को कतार में खड़ा कर पांच लाख करोड़ रुपये दस दिनों में ही जमा कर लिए हैं। मैं इसे जन-धन योजना खाता की प्यास बुझाने का जरिया कैसे मान सकता हूं। यहां दो बातों का ध्यान रखना जरुरी है। आजादी के 69 सालों बाद भी देश में होने वाले कुल व्यापार का तीन चैथाई हिस्सा बुक्स में नहीं है। दूसरी बात काले धन के प्रबंधन की कारगर योजनाओं को सरकार ने बखूबी प्रचारित किया है। इसके प्रबंधन की बेहतर युक्ति आयकर अधिनियम की धाराओं से निकल कर फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट की व्यवस्था में समा चुकी है। एफडीआई के प्रावधानों ने इसके लिए सबसे कारगर युक्ति को संभव किया है। एक ऐसा कारगर तरीका इजाद हुआ है, जिसके माध्यम से विदेशों में जमा काला धन सफेद होकर स्वदेश में लौट सकता है। इसमें स्वदेश में जमा काले धन को विदेश भेजने की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरूआत भी कालेधन की समस्या को हल करने के लिए ही किया। इसलिए इसमें टैक्स की छूट का प्रावधान किया गया। वित्त मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर 2016 तक कालाधन जमा करने की समय सीमा तय कर खूब प्रचारित किया गया था। इसके कारण बैंकों में जुलाई से सितंबर की तिमाही में औसत से ज्यादा धन जमा हुआ।

इस कड़ी में ऐसी कोशिशें हो रही है, जिसकी दुरुस्त जानकारी आम लोगों को आसानी से नहीं होगी। दिल्ली के चांदनी चैक जैसे पुराने बाजार में होने वाले कारोबार का 80 प्रतिशत हिस्सा बिना बिल के ही होता रहा। प्रधानमंत्री की घोषणा के तत्काल बाद ऐसे सभी बाजारों में दर्ज होने वाली बिक्री में अप्रत्याशित रुप से वृद्धि देखा गया। गौर करने की बात है कि यहां वास्तविक सेल और बुक्स में हुए सेल के बीच कई गुणा का फासला रहा। इस कार्य को अंजाम देने वाले व्यापारियों ने कम से कम 10 फीसदी आयकर बचाने के लिए यह हेराफेरी किया। इस आदेश के बाद हवाला करोबार में लगे लोगों की चिंता बढ़ी। इन करोबारियों की प्राथमिकता गुप्त-गोदामों में पड़े धन को अतिशीघ्र ठिकाने लगाने की है। इस प्रक्रिया को समझना आसान है। पर ऐसे काले धन को निकालना बेहद मुश्किल। भारत की करेंशी का इस्तेमाल श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे देशों में बखूबी होता है। थाईलेंड में फुर्राट मार्केट और सिंगापुर में मुस्तफा मार्केट जैसे जगह भी हैं। इनके अतिरिक्ति पनामा पेपर में कर चोरों के जन्नत का विस्तृत वर्णन है। ये सभी वे रुट हैं, जिनके माध्यम से हवाला करोबारियों का धन सफेद होता है। यह प्रक्रिया चल रही है। और तब तक बंद नहीं होगी, जब तक चुनिंदा करोबारियों का धन सफेद होकर पुनः एफडीआई के माध्यम से स्वदेश न लौट आए। इन सब के बाद भी जिनके हाथों में पांच सौ और हजार के नोट दिख रहे हैं, क्या वो सचमुच काले धन के स्वामी हैं? ऐसे मेहनतकश लोग उत्पीड़न अथवा हास्य के पात्र बने हुए हैं। पता नहीं ये लोग कब

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:53 AM Page 7



तक ऐसी विकट स्थिति में बने रहेंगे।

सरकार की तमाम सुविधाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए लोग आज दानपेटियों की ओर रुख करने को भी स्वतंत्र नहीं रह गए हैं। नोटबंदी ने आदान-प्रदान बंद कर दिया है। इस कड़ी में ऐसी खबरें हैं कि कहीं सरकारी दुकानें पुराने नोट नहीं लेकर परेशानी खड़ी कर रही है, तो कहीं छोट-छोटे व्यापारी भी लोगों की तकलीफ कम करने की नीयत से प्रधानमंत्री का फरमान भूल रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गर्वनर रघुराम राजन ने विमुद्रीकरण और कालाधन पर टिप्पणी की थी। वस्तुतः कालेधन के मालिक इसका प्रबंधन करना भी जानते हैं।

नोटबंदी और नोटबदली की इस घटना को दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है। केन्द्र की सत्ता में काबिज दलों से जुड़े नेताओं ने इसी तरह इसे प्रचारित करना शुरू किया है। क्या सचमुच मोदीजी ने दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक किया है? इसके भुक्तभोगी आज बैंक और डाकघर के अलावा तमाम तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में दिख रहे हैं। देश का कोई कोना और समाज का कोई वर्ग शायद ही अछूता रह गया हो। इसकी चपेट में आए लोगों की संख्या और प्रभाव क्षेत्र का दायरा बहुत विशाल है। वास्तव में रणनीति की भाषा में सर्जिकल स्ट्राइक एकदम सटीक प्रहार को कहा जाता है। इसमें लक्ष्य भेदने के अलावा किसी अन्य स्थान पर कोई नुकसान नहीं हो, यह सुनिश्चित करना सर्वोपरि होता है। इसके ठीक विपरीत रणनीति को कारपेट स्ट्राइक कहा जाता है, जिसका प्रभाव क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। मरने वाले कौन होंगे, इसकी पुख्ता जानकारी पहले से नहीं होती है। दोनों ही रणनीति में एक समानता हो सकती है, जिसे गोपनीयता कहते हैं। इस प्रहार का दंश झेलने वाले कौन हैं, कहां हैं और कितने हैं? इन प्रश्नों का उत्तर पब्लिक डोमेन में है। एकदम साफ और बिल्कुल स्पष्ट। इस पर गौर करने के बाद कोई इसे सर्जिकल स्ट्राइक शायद ही कहे। दूसरी बात इस स्ट्राइक का स्पष्ट मतलब निकलता है कि केन्द्र सरकार ने विश्वनाथ वर्तक जैसे निर्दोष और असहाय लोगों को बेमौत मारने की योजना बनाई है।

**करेंशी की छपाई का काम पांच अलग कंपनी मिलकर करती है। कागज सप्लाई करने वाली कंपनी, फिर नोट छापने वाली दूसरी कंपनी, इस बीच थागा जैसे उपस्करों की आपूर्ति करने वाली तीसरी कंपनी और स्याही की आपूर्ति के लिए चौथी कंपनी। इन सभी सुविधाओं को एक साथ मुहैया कराने वाली एक और कंपनी मिलकर इसे पूरा करती है।**

यहां तीन और बातों पर गौर करने की कोशिश करें। ये नफा-नुकसान की अहम बातें हैं। आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास द्वारा नोट चेंज करने पर निशान लगाने की घोषणा की गई। आपको याद है मतदान के बाद स्याही लगाया जाता है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर को इस स्याही की आपूर्ति एक मात्र कंपनी मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड से होती है। नए नोटों के साईज में फर्क है। अब देश भर में दो लाख एटीएम ठीक काम नहीं करेंगे। इनमें फेर-बदल का नया काम निकला है। इस बाजार पर काबिज कंपनियों को फायदा पहुंचेगा। नए नोट करोड़ों की संख्या में और अरबों-खरबों के मूल्य में छापा गया है। इसमें बारह हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। आपको करेंशी छपाई के काम का ब्रेक-अप पता है। मुझे नहीं पता था तो दोस्तों से पूछा। पता चला कि पूरी पांच आयतों वाला काम है। कागज सप्लाई करने वाली कंपनी, फिर नोट छापने वाली दूसरी कंपनी, इस बीच थागा जैसे उपस्करों की आपूर्ति करने वाली तीसरी कंपनी और स्याही की आपूर्ति के लिए चौथी कंपनी। इन सभी सुविधाओं को एक साथ मुहैया कराने वाली एक और कंपनी मिलकर इसे पूरा करती है। नए करेंशी नोट छापने वाली इन सभी कंपनी का व्यौरा दी हिन्दू में प्रकाशित विजेता सिंह की रिपोर्ट में मैंने पढ़ा है। इन्हीं में एक युरोपियन कंपनी है, डे-ला-रु जियोरी। यह लंबे समय से दुनिया के 90 फीसदी करेंशी बिजनस पर काबिज है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को जाली नोट सप्लाई करने के कारण पिछली सरकार ने इसे ब्लैकलिस्ट भी कर दिया था। इसके वापसी की कहानी आश्चर्यजनक है। इसी वजह से प्रधानमंत्री ने टीवी की वरीयता संसद से भी ऊंचा कर दिया है।

कालाधन के मामले में अर्थशास्त्रियों की बातों और भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों पर गौर करना चाहिए। वर्ष 2015-16 में सकल घरेलु उत्पाद लगभग 150 लाख करोड़ रुपये का रहा, जिसका न्यूनतम 20 फीसदी हिस्सा कालाधन माना गया है। इसी वित्त वर्ष में 30 लाख करोड़ रुपये मूल्य का कालाधन पैदा हुआ। पंद्रह वर्ष पूर्व यही आंकड़ा 40 फीसदी का आंका गया था। हिसाब-किताब की सामान्य समझ के अनुसार पिछले पंद्रह वर्षों में न्यूनतम 400 लाख करोड़ रुपये का कालाधन पैदा हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बीते मार्च तक बाजार में उपलब्ध पांच सौ और हजार के नोटों का कुल मूल्य चौदह लाख करोड़ है। यह कुल नोटों का 86 फीसदी है। बाजार में मौजूद यह धन आने वाले दिनों में बैंकों अथवा डाकघरों में जमा हो जाएगा। शेष 386 लाख करोड़ मूल्य का कालाधन कहां गया? यह आपके लिए खोज का विषय हो सकता है। जाली नोट के विषय में एफआईसीएन और भारतीय सांख्यिकी संस्थान की रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि एक समय में देश में 400 करोड़ रुपये मूल्य से ज्यादा नकली नोट नहीं हो सकती है। ऐसी दशा में केन्द्रीय बैंक के इस निर्णय के क्या मायने हैं? कुछ और स्पष्ट होता है।

अंग्रेजी राज में क्राउन एजेंट करेंशी का व्यापार संभालते थे। पैसे छापकर विलायत से भारत भेजा जाता था। अंग्रेजों ने 1928 में नासिक में पहला छापाखाना लगाया। फिर देश में पैसे की छपाई शुरू हुई। परंतु आज भी इस व्यापार में 70 फीसदी भागीदारी विदेशी ही है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के तीन दिनों के भारत प्रवास प्रसंग को ठीक से समझने की जरुरत है। उनकी इस यात्रा से पूर्व 10 डाउनिंग स्ट्रीट की विज्ञप्ति में दुविधा की स्थिति दिखती है। पहले उनके साथ आने वाले मेहमानों की संख्या 100 बताया गया। बाद में यह सिमट कर 40 हो गई। कभी लंदन के एक गली में 40 व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू किया था, जिसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड के नीति-नियंता शामिल थे। आप जानते हैं कि किन परिस्थितियों में कंजरवेटिव पार्टी का नेतृत्व थेरेसा मे को सौंपा गया था। उनके पति फिलीप जॉन मे का इंवेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर और कंजरवेटिव पार्टी में नाम है। सन 1979 में फिलीप

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:53 AM Page 8



आक्सफोर्ड युनियन सोसाइटी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्हें बेनजीर भुट्टो, जो बाद में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनीं, ने कंजरवेटिव पार्टी स्टूडेंट डिस्को में मिलवाया था। थेरेसा ने आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी से भूगोल में स्नातक करने के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड से कैरियर की शुरूआत किया। इस बैंक के लिए डे-ला-रु जियोरी ही करेंशी छापती है। विदा होने से पूर्व उन्होंने इस विषय पर भी प्रकाश डाला कि नरेन्द्र मोदी की स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच क्या स्थिति है। इससे साफ है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास कामनवेल्थ देशों के राष्ट्राध्यक्षों की ग्रेडिंग करने की भी शक्ति है।

इस विषय में कोई राय कायम करने से पहले दो और तथ्यों का संज्ञान रखना आवश्यक है। संभव है कि इन दोनों बातों पर सहसा आपको यकीन नहीं हो। इसलिए इन्हें लिखने से पहले अंग्रेजी के दी हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस, गार्जियन और टेलीग्राफ जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर मिली जानकारियों को जहां तक संभव हो सका है, विश्वस्त श्रोतों से सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। नयी सहस्त्राब्दि शुरू होने को थी और मैंने प्रिंट मीडिया में योगदान देते हुए डेढ़ साल व्यतीत किया था। यह घटना राजग सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान घटित हुई थी। इंडियन एयरलाइंस की काठमांडू से दिल्ली आ रहे विमान आईसी-814 का अपहरण हो गया। क्रिसमस से एक दिन पहले ऐसा हुआ था। और सहस्त्राब्दि की शुरूआत से पहले छः दिनों तक हाईप्रोफाइल ड्रामा चलता रहा। आतंकवादियों ने कई मुल्क के राजनेताओं की नींद उड़ा दिया था।

**साल 2009-2010 के दौरान सीबीआई ने जाली नोट के सिलसिले में भारत नेपाल बॉर्डर के पास 70 बैंक शाखाओं में छापेमारी की, जहां उन्हें नकली नोट बरामद हुए। प्रबंधकों ने बताया कि पैसे उन्हें रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए। फिर सीबीआई ने आरबीआई के तहखानों में छापेमारी की, जहां उन्हें बड़ी मात्रा में हजार और पांच सौ के जाली नोट प्राप्त हुए।**

उन दिनों जसवंत सिंह विदेश मंत्री थे। इसमें मसूद अजहर समेत तीन आतंकवादियों को तालीबान को सौंपा गया था। आतंकवादियों ने एक नवयुवक को मार दिया था और शेष 155 लोगों की जान बचाने में मिली सफलता को प्रचारित किया गया। भारत के इस मामले में स्वीट्जरलेंड की सरकार ने विशेष रुचि लिया था। इस कांड में मौत का शिकार हुए नवयुवक रुपीन कात्यान के अलावा एक ऐसा नाम भी उभरा था, जिसे पब्लीसिटी बिल्कुल ही नहीं पसंद है। दरअस़ल उस दिन करेंशी किंग रॉबर्टो जियोरी और उनकी महिला साथी क्रिश्चियाना कालेब्रेसी इसी विमान में मौजूद थे। 150 देशों की करेंशी के बेताज बादशाह जियोरी इटली में जन्मे और स्वीट्जरलेंड के रईस हैं। इसलिए स्वीस डिमांड के तहत यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोपरि हो गया था। आप इस महानुभाव की एक तस्वीर तक 'गुगल देव' से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जियोरी जानते हैं कि उस यात्रा से दुरुस्त लौट कर आने की क्या कीमत थी। याद रहे कि इसके पूर्व ही उन्होंने राव सरकार को चेताया था।

दूसरा वाकया समझना थोड़ा जटिल है। ब्रिटीश दैनिक गार्जियन में 12 अगस्त 2010 को डे-ला-रु के विषय में प्रकाशित जो वूड और ग्रीमी वेर्डन की रिपोर्ट पर गौर करें। इसमें कंपनी के शेयर में गिरावट और चेयरमैन जेम्स हसी के त्यागपत्र का जिक्र है। चूंकि इस मामले को भारतीय लोगों से छिपाने की कोशिश की गई है, इसलिए इसकी जानकारी सत्ता को करीब से परखने वाले चुनिंदा लोगों को ही है। मेरे पत्रकार मित्र शैली कसली ने इस विषय में सूचना का अधिकार कानून के तहत एक आग्रह किया है। मैं इसे 21वीं सदी का ऐतिहासिक सत्याग्रह मानकर समर्थन करता हूं। दुर्भाग्यवश आपकी राय व्यक्त करने का अधिकार बोध मुझे नहीं है। साल 2009-2010 के दौरान सीबीआई ने जाली नोट के सिलसिले में भारत नेपाल बॉर्डर के पास 70 बैंक शाखाओं में छापेमारी की, जहां उन्हें नकली नोट बरामद हुए। प्रबंधकों ने बताया कि पैसे उन्हें आरबीआई से प्राप्त हुए। फिर सीबीआई ने आरबीआई के तहखानों में छापेमारी की, जहां उन्हें बड़ी मात्रा में हजार और पांच सौ के जाली नोट प्राप्त हुए। नतीजा गार्जियन की रिपोर्ट में वर्णित है। विदित हो कि जेम्स हसी ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के धर्मपुत्र हैं। त्यागपत्र से पिछले वित्त-वर्ष में उन्होंने वेतन-भत्ते के रुप में छत्तीस करोड़ रुपये ही प्राप्त किया था। डे-ला-रु छोड़कर इसी धंधे की दूसरी युरोपियन कंपनी में चेयरमैन के विशेष सलाहकार की हैसियत से ज्वाइन किया।

उन्हीं दिनों की बात है तत्कालीन वित्त मंत्री ने नोटबदली लागू करने की योजना बनाई थी। परंतु अमली-जामा पहनाने में असफल रहे। आज केन्द्रीय बैंक जाली-नोट के धंधे से अपना दामन साफ करने में लगी है। आम लोग मारे जा रहे हैं। विपक्षी दल के नेताओं को कालेधन की चिंता सता रही है। कोई यह कहने को तैयार नहीं जब केन्द्रीय बैंक ही काला धन बैंको में भेज रहा था, तो काले और सफेद के बीच भेद ही खत्म हो गया। भूमंडलीकरण की शुरूआत के बाद यह तीसरा मौका है, जब भारत में लोग करेंशी-किंग की शक्तियों को अनजाने ही सही, पर झेल जरुर रहे हैं। कालेधन को खत्म करने वाले व्यक्ति अथवा समूह वर्षों से छोटे मूल्य के नोटों की पैरवी कर रहे हैं। यह कार्य उनकी अवधारणाओं के भी ठीक उलट ही है। इसके विश्लेषण से केन्द्रीय बैंक की मंशा स्पष्ट होती है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि ऐसा करने का लाभ किसे मिलेगा।

भारतीय पारंपरिक अर्थशास्त्र की अवधारणा को कौटिल्य ने लिपिबद्ध किया था। वस्तुतः अर्थ का यह शास्त्र चाणक्य से भी पुराना है। इसे राजनीति का अंग माना गया। वस्तु विनिमय के क्रम में एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु किस परिमाण (मात्रा, वजन व मूल्य) में होगा। इन्हीं बातों का विश्लेषण करने वाला विषय अर्थशास्त्र कहलाता है। शुभ-लाभ केंद्रीत मूल्यांकन ही इस शास्त्र का मूलमंत्र है। गांवों की पुरानी व्यवस्था वस्तु विनिमय की प्रक्रिया को स्पष्ट रेखांकित करती है। कई लोगों को आज भी ध्यान होगा कि गांवों के दुकानदारों ने क्या व्यवस्था अपना रखी थी? खेतों में उपजने वाले अनाज अथवा दूसरी वस्तुओं के बदले इन दुकानों में ग्रामीणों को वांछित वस्तु की प्राप्ति हो जाती रही। ठीक ऐसा ही रोम जाने वाले भारतीय व्यापारियों के साथ भी था। हमारे मलमल और रेशम के वस्त्रों और चंदन जैसी दूसरी चीजों की बड़ी मांग रही। रोम के बाजार में महिलाएं शाम तक हिन्दुस्तानी व्यापारियों के

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:53 AM Page 9



इंतजार में रहती थीं। बदले में उन्हें प्रायः दूसरी चीजें ही मिलती थी। इस अर्थशास्त्र में वह दोष नहीं, जिसका सामना आज आम लोग यत्र, तत्र, सर्वत्र कर रहे हैं। अफरा-तफरी और गृह-युद्ध की स्थिति के कारक शास्त्र को अनर्थशास्त्र ही कहा जाता है। फुर्सत नहीं निकाल पाने के कारण नोबल पुरस्कार नहीं लेने वाले अर्थशास्त्री ने इसका अर्थ बताते हुए कहा कि सरकार ने 125 करोड़ लोगों के साथ जुआ खेला है। जियां द्रेज साहब इसे शायद अर्थशास्त्र का अनर्थ कहें। मेरे गांव में तो लोग इसे ही अनर्थशास्त्र का अर्थ मानते हैं। क्या यह एडम स्मिथ का अर्थशास्त्र है? या फिर केन्द्रीय बैंकों का अर्थशास्त्र? सचमुच यह गंभीर समस्याओं का कारक साबित हुआ है। यह तो मौलिक अर्थशास्त्र भी नहीं है। खून से रंगी इस मुनाफाखोरी को हम अर्थशास्त्र कैसे कह सकते हैं।

आधुनिक अर्थशास्त्र आधारहीन मुद्रा विनिमय की व्यवस्था पर आश्रित है। सोने के बराबर मूल्य का टोकन मनी छापने की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। उन्नीसवीं सदी में गढ़वाल के पहाड़ों में एक बिना ताज का बादशाह अपना सिक्का चलाया करता था। फ्रेडरिक विल्सन को स्थानीय लोग हुल सिंह कहते थे। आज भी भारत में अपनी करेंशी चलाने वाले लोग हैं। पिछले दिसंबर में भारतीय न्याय मंच ने अर्थशास्त्री रोशनलाल अग्रवाल के सम्मान में दो दिनों की परिचर्चा रखा था। इस दौरान भरत गांधी का व्याख्यान सुनने को मिला। उन्होंने बीते सालों में करोड़ों रुपये मूल्य की अपनी करेंशी जारी करने की बाबत बताकर मुझे चौंका दिया था। परंतु यह सब 'करेंशी-किंग' के साम्राज्य के सामने नगण्य ही है।

**आधुनिक अर्थशास्त्र आधारहीन मुद्रा विनिमय की व्यवस्था पर आश्रित है। सोने के बराबर मूल्य का टोकन मनी छापने की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। उन्नीसवीं सदी में गढ़वाल के पहाड़ों में एक बिना ताज का बादशाह अपना सिक्का चलाया करता था। फ्रेडरिक विल्सन को स्थानीय लोग हुल सिंह कहते थे। आज भी भारत में अपनी करेंशी चलाने वाले लोग हैं।**

इस प्रसंग में अमेरिका के नए राष्ट्रपति के विषय में जिक्र किया गया है। इस संयोग की पड़ताल में इंडिया फर्स्ट या अमेरिका फर्स्ट जैसा मिलता-जुलता जुमला याद कर सकते हैं। पर यह महज संयोग है, कोई समीकरण नहीं। करेंशी बदलने के सवाल से इसका कोई संबंध स्थापित करना मुश्किल है। हालांकि वहां साठ के दशक के अंत में तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डिमोनेटाइजेशन का फामूर्ला लागू कर सौ डॉलर से ज्यादा मूल्य की करेंशी को चलन से बाहर कर दिया था। अब तक के अमेरिकी इतिहास में वही एक राजनेता हैं, जिसे महाभियोग से बचने के लिए त्यागपत्र देना पड़ा हो। डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत की भविष्यवाणी करने वाले विशेषज्ञ एलन लिचमैन ने उन पर महाभियोग चलने के विषय में भी दावे से कहा है। पर यहां मुझे अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थोमस जेफरसन की बात याद आती है। अट्ठारहवीं सदी में ही उन्होंने कहा था, **'मैं समझता हूं कि बैंकिंग संस्थान हमारी स्वतंत्रता के लिए सेवारत सैनिकों से भी ज्यादा खतरनाक हैं'**। जेफरसन अमेरिका के राष्ट्र निमार्ताओं में से एक थे। डिक्लेरेसन ऑफ इंडिपेंडेंस का मूल ड्राफ्ट उन्होंने ही लिखा था। कर्ज और करेंशी के बूते राज करने वाले युरोपियन क्राउन एजेंट्स का मुकाबला करने में एंड्रयु जैक्सन और अब्राहम लिंकन जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम गौरव से लिए जाते हैं। इन महान राजनेताओं ने पूंजी के साम्राज्य को चैलेंज किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता के पुरोधाओं को इसकी समुचित जानकारी थी।

आज वहां भी कम ही लोग इस विषय में दुरुस्त जानकारी रखते हैं। पूंजी से जीतना आसान नहीं है। बैंकनोट प्रिंटिंग के रहस्यों को उजागर करने के लिए 1983 में अमेरिकी लेखक टेरी ब्लूम ने एक किताब, 'दी ब्रदरहुड ऑफ मनीः दी सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ बैंकनोट प्रिंटर्स' लिखी थी। करेंशी व्यापार को नियंत्रित करने वाले प्रतिष्ठान से जुड़े दो प्रतिनिधियों ने प्रिंटिंग प्रेस से सारी की सारी किताबें उठा लिया था। आज तक यह किताब बाजार का मुंह नहीं देख सका है। इसके पूर्व कूगन द्वारा 1935 में लिखी 'मनी क्रियेटर्स' जैसी थोड़ी सी किताबें ही उपलब्ध रही हैं। हालांकि सूचना-क्रांति के काल में इस विषय में ज्ञान को लेकर अकाल कायम नहीं रहा। कई विद्वानों ने जान की परवाह न कर ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। इस विषय में क्लाउज बेंडर की 'मनी-मेकर्सः दी सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ बैंकनोट प्रिंटिंग' ज्ञान का भंडार है। पिछले साल दिसंबर में प्रकाशित इतिहासकार पॉल कहन की किताब 'दी बैंक वार' की विषयवस्तु भी यही है। यह अमेरिकी बैंक को बराबर मूल्य के सोना और चांदी की डिपोजिट के लिए बाध्य करने वाले राष्ट्रपति एंड्रयु जैक्सन और सेंट्रल बैंक की योजना को मूर्तरुप देने में लगे बैंकर निकोलस बीडल के बीच की जंग का व्यौरा प्रस्तुत करता है। यह वही योजना थी, जिसने एक सदी बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के आम लोगों का सारा सोना (गोल्ड) हड़प लिया।

अमेरिकी कांग्रेस में एक सुनवाई के दौरान सन 1911 में टी.कशिंग डेनियल ने कहा था कि हमें राष्ट्र के पैसे पर कंट्रोल करने दो, और फिर परवाह नहीं, कानून कौन बनाता है। दरअसल बैंकर और फाइनेंसर धन आपूर्ति को नियंत्रित कर व्यापार रोकने में लगे थे। इस विषय में संसदीय कार्यवाही चल रही थी। डेनियल ने ऐसा पूंजी के साम्राज्य पर काबिज बैंक आफ इंग्लैंड के नियंताओं के बीच लंबे समय से प्रचलित कहावत को याद करते हुए कहा था। अट्ठारहवीं सदी के युरोपिन बैंकर मेयेर एंसेल रेडशिल्ड को उद्धृत कर यहां तक कहा जाता है, **'मुझे राष्ट्र का धन निर्गत और नियंत्रित करने दो, और मुझे कोई परवाह नहीं, कानून कौन बनाता है'**। यहां 'हम' से 'मैं' के बीच का जटिल फासला है। मुनाफाखोरी की मंशा इन्हीं शब्दों में निहित है। आधुनिक लोकतंत्र के सामने मुंह बाए सवालों की जड़ में यही संकट है।

वास्तव में पूंजी के नियंताओं ने कवियों की उक्तियों में अपनी युक्ति फिट कर नया मंत्र पेश किया था। मेरे ताऊजी कवियों की बातों का अक्सर जिक्र करते हैं। सोलहवीं शताब्दि के कवि सर फिलीप सिडनी के बारे में प्रसिद्ध है कि क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट में उनका जादूई प्रभाव था। उन्होंने कहा, **'मुझे राष्ट्र के गीत गढ़ने दो, और फिर परवाह नहीं, कानून कौन बनाता है'**। सत्तरहवीं शताब्दि में स्कॉटलेंड के प्रसिद्ध लेखक और राजनेता एंड्रयु फ्लेचर ने

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:53 AM Page 10



भी उनकी बातों को दुहराया है। शहर के सफेदपोशों के बीच एक ऐसी ही पुरानी कहावत है, **'हमें शहर का कोतवाल नियुक्त करने दो, और हमें परवाह नहीं, कानून कौन बनाता है'**। ये बातें शक्ति के केन्द्र की ओर इंगित करता है। इन तीनों बातों के इर्द-गिर्द पसरे तथ्यों को ध्यान में रखकर आज की परिस्थिति पर गौर करना चाहिए। फिर स्पष्ट होगा कि करेंशी-किंग सचमुच बेताज-बादशाह हैं। इस बादशाह को चैलेंज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है।

भारत के प्रधानमंत्री ने एक गोपनीय निर्णय को टी.वी. पर घोषित किया है। यह अपराध से अर्जित कालेधन को खत्म करने की कथित मुहिम है। ऐसा करने वाले 'साहब' शायद यही समझते हैं कि इन लोगों को जमीन, मकान, पेंटिंग्स और दूसरे ऐसे निवेशों के विषय में कोई जानकारी ही नहीं है। ऐसा करने से पहले 'साहब' को अपने ही दल के चुनावों में कालेधन का प्रयोग सख्ती से बंद कर साहबी दिखानी थी। आखिरकार सवाल वहीं है कि यह आदेश सचमुच किसने जारी किया? देश की लोकतांत्रिक सरकार आम जनता को बैंक और करेंशी के रहस्य को समझने योग्य क्यों नहीं मानती है? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुल्क को यह जानने का अधिकार भी नहीं रह गया है? इसी देश की आजादी के लिए उन्होंने खून मांगा था। यहां ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी के दिनों की याद स्वभाविक है।

अफ्रीकी विद्वान इब्न बतूता ने भारत के एक विद्वान मुस्लिम बादशाह का जिक्र किया है। इस बादशाह ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरि (दौलताबाद) निर्धारित किया। एक व्यक्ति चलने में असमर्थ था। अपाहिज की फरियाद बादशाह तक पहुंचने पर फरमान जारी हुआ कि इसे हाथी के पांव में बांध कर वहां भेजा जाय। बादशाह ने फिर राजधानी दिल्ली शिफ्ट करने का भी आदेश दिया था। नोटबंदी के आदेश के बाद 'साहब' की तुलना उसी बादशाह से हो रही है। परंतु 'साहब' के पास इससे बचने का एक मौका अभी भी शेष है। भाजपा के पूर्व महासचिव गोविंदाचार्य ने इस विषय में कहा है, 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया'। उन्होंने रेल हादसा में मारे गए लोगों की तरह इस आदेश के कारण मौत का शिकार हुए लोगों को मुआवजा देने की मांग किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों को दो लाख रूपये देने की बात कही है। भाजपा भी लोगों को राहत देने के लिए नई युक्तियों को अपनाने में लगी है। यह अजीबोगरीब स्थिति है। जिसमें बातें राहत देने की होती है, और कोशिशें जान लेने की।

कुछ महीनों बाद यह अफरा-तफरी खत्म हो चुकी होगी। फिर देश में आम लोगों का क्या हाल होगा, इसका अंजादा भी कतार में खड़े लोगों को शायद नहीं है। इस आंधी के थमने पर घोर सन्नाटा पसरने वाला है। स्वदेशी व्यापार की रीढ़ टूट जाएगी। बाजार में महामंदी पैर पसार चुकी होगी। और मंहगाई का आलम पिछला सभी रिकार्ड तोड़ चुका होगा। पर एक दिन उत्पात थम जाएगा और शांति भी अवश्य होगी। यह आज तभी संभव है, जब सभी सहमति का मार्ग खोजने की ओर चलें। राजनीतिक लाभ के हथकंडे अपनाने में लोग पीड़ित जनता की तकलीफ कम करने को तैयार नहीं प्रतीत होते हैं। स्वाधीनता का स्वांग सजाने वालों के बीच इससे बेहतर की उम्मीद करना अब लाजिमी नहीं रह गया है।

**कुछ महीनों बाद यह अफरा-तफरी खत्म हो चुकी होगी। फिर देश में आम लोगों का क्या हाल होगा, इसका अंजादा भी कतार में खड़े लोगों को शायद नहीं है। इस आंधी के थमने पर घोर सन्नाटा पसरने वाला है। स्वदेशी व्यापार की रीढ़ टूट जाएगी। बाजार में महामंदी पैर पसार चुकी होगी। और मंहगाई का आलम पिछला सभी रिकार्ड तोड़ चुका होगा।**

इस मामले में भारतीय न्याय मंच की अनुशंसा निश्चय ही गौर करने योग्य है। इसमें सहमति का ऐसा मार्ग प्रशस्त किया गया है, जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। इसके लिए सरकार को नोटबदली अमल में लाना होगा, नोटबंदी नहीं। आखिर टैक्स डिपार्टमेंट की अक्षमता का खामियाजा कब तक आम लोगों को चुकाना होगा? यदि जनहित में सरकार 31 मार्च 2017 के समय सीमा तक लोगों को पुरानी करेंशी में फंड-फ्लो के लिए अधिकृत करे तो निश्चय ही अफरा-तफरी से निजात मिल सकती है। यह छूट बैंक के लाभांश और अंतिम जन की व्यथा को कम करता है। ऐसा करने से वास्तव में 'साहब' की साहबी पर कोई आंच नहीं आएगी और गृह-युद्ध के बादल भी छंट जाएंगे।

**- Kaushal Kishore is the author of The Holy Ganga (Rupa, 2008)**

## बैंकिंग व्यवस्था का मोदीनामा

आज की बहस में हम सहमति की ओर नहीं बढ़ रहे। विभाजन रेखा और गहरी हो रही है। यह देश के हित में नहीं है। आज की स्तिथि के दो पहलु हैं। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने कहा है कि किसी भी कीमत पर इस नोटबंदी की स्कीम को वापिस नहीं लिया जाएगा। दूसरी ओर कई विरोधी दलों ने इस स्कीम के रोल बेक की मांग की है। मीडिया का एक तबका, अर्थशास्त्री और सर्वोच्च न्यायालय आगे आने वाले दिनों में देश के सामने भयानक संकट की भविष्यवाणी कर रहे हैं। शासक दल इसका खंडन कर रहा और कहा जा रहा है कि स्कीम की सफलता सब ओर दिखाई दे रही है। विरोध काले धन के जमाखोर और आतंकवाद को शरण देने वाले लोग कर रहे हैं।

**भारतीय न्याय मंच का सुझाव :** भयानक कठिनाइयों के बावजूद भारत सरकार इस स्कीम को वापिस नहीं लेगी। वर्तमान रूप में ये कठिनाइयाँ बढती ही जायेंगी। इसका प्रमुख कारण है फंड फ्लो में विभिन्न अवरोध। इससे पार पाना आसान है। इसके लिए सरकार घोषणा करे कि पहले के अनुसार ३१ मार्च पुराने नोटों को बदलने की अंतिम तारीख होगी। नोटों को बदलने की घोषित प्रक्रिया जारी रहेगी। नयी करेंशी को यथाशीघ्र पर्याप्त मात्र में उपलब्ध कराई जाएगी। अभी मदर डेरी, पेट्रोल पंप, राशन की दूकान इत्यादि में पुराने नोटों का प्रयोग २४ नवम्बर के स्थान पर ३१ मार्च तक बढ़ा दिया जाएगा। ३१ मार्च तक इन नोटों के प्रयोग को वैध माना जाय और इनको विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग करने की आम जनता को स्वतंत्रता हो। यह स्थिति सभी पक्षों के लिए जीत की होगी। **- डॉ ओंकार मित्तल**

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:53 AM Page 11



रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2652] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 8, 2016/कार्तिक 17, 1938
No. 2652] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 8, 2016/KARTIKA 17, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2016

का.आ. 3407(अ).— भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् बोर्ड कहा गया है) ने सिफारिश की है कि विद्यमान श्रृंखलाओं के पांच सौ रुपए और एक हजार रुपए के अंकित मूल्य के बैंक नोट (जिसे इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट बैंक नोट कहा गया है) वैध मुद्रा नहीं रहेंगे ;

और यह देखा गया है कि विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के जाली मुद्रा नोट अधिकांश रूप से परिचालन में हैं और वास्तविक बैंक नोटों की जाली बैंक नोटों से सरलता से पहचान करना कठिन है और जाली मुद्रा नोटों का उपयोग देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है ;

और यह देखा गया है कि उच्च मूल्य के बैंक नोटों का उपयोग गणना में न लिए गए धन के भंडारण के लिए किया जाता है जैसा कि विधि प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा नकदी की बड़ी वसूलियों से परिलक्षित है ;

और यह भी देखा गया है कि जाली मुद्रा का उपयोग मादक पदार्थों का अवैध व्यापार और आतंकवाद जैसी ध्वंसकारी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए किया जा रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को नुकसान कारित कर रही हैं तथा केंद्रीय सरकार ने सम्यक् विचारण के पश्चात् बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का विनिश्चय किया है ;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करती है कि विनिर्दिष्ट बैंक नोट 9 नवंबर, 2016 से नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक वैध मुद्रा के रूप में नहीं रहेंगे ;

1.(1) बैंककारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के अधीन परिभाषित प्रत्येक बैंककारी कंपनी और प्रत्येक सरकारी खजाना 8 नवंबर, 2016 को कारबार की समाप्ति पर उसके द्वारा धृत्त विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के ब्यौरों को उपदर्शित करते हुए एक रिटर्न पूरा करेंगे और 10 नवंबर, 2016 को 13.00 बजे से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक (जिसे इसमें इसके पश्चात् रिजर्व बैंक कहा गया है) के अभिहित क्षेत्रीय कार्यालय को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में अग्रेषित करेगा।

(2) उप पैरा (1) में निर्दिष्ट रिटर्न को अग्रेषित करने के तुरंत पश्चात्, विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को लिंक्ड या निकटतम मुद्रा चेस्ट या रिजर्व बैंक की शाखा या कार्यालय में उनके लेखाओं में प्रत्यय के लिए प्रेषित किया जाएगा।

2. पैरा 1 के उप पैरा (1) में निर्दिष्ट किसी बैंककारी कंपनी या सरकारी खजाना से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा धृत्त विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का रिजर्व बैंक के किसी निर्गम कार्यालय या पब्लिक सेक्टर बैंकों, प्राइवेट सेक्टर बैंकों, विदेशी बैंकों, प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों की किसी शाखा में 30 दिसंबर, 2016 तक की कालावधि और जिसमें वह तारीख सम्मिलित है, तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, अर्थात् :--

(i) कुल 4,000/- रुपए या उससे कम मूल्य के विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का विधिक वैध मुद्रा की विशेषता रखने वाले किसी अंकित मूल्य के बैंक नोटों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्ररूप में एक अध्यपेक्षा पर्ची और पहचान के सबूत के साथ विनिमय किया जा सकेगा ;

(ii) विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विनिमय के लिए 4,000/- रुपए की सीमा का इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से पन्द्रह दिन के पश्चात् पुनर्विलोकन किया जाएगा और जहां भी आवश्यक हो, समुचित आदेश किया जा सकेगा ;

(iii) किसी व्यक्ति द्वारा बैंक के पास रखे गए लेखे में प्रत्यय किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों की मात्रा या मूल्य पर वहां कोई सीमा नहीं होगी, जहां विनिर्दिष्ट बैंक नोट जमा किए जाते हैं ; तथापि, उन लेखाओं में जहां अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानकों की अनुपालना पूर्ण नहीं है तो जमा किए जा सकने वाले विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का अधिकतम मूल्य 50,000/- रुपए होगा ;

(iv) जमा किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के समतुल्य मूल्य का जमा करने वाले द्वारा किसी बैंक में रखे गए लेखे में मानक बैंककारी प्रक्रिया के अनुसार और पहचान का विधिमान्य सबूत प्रस्तुत करने पर प्रत्यय किया जा सकेगा ;

(v) जमा किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के समतुल्य मूल्य का किसी तृतीय पक्षकार के लेखे में प्रत्यय किया जा सकेगा परंतु यह कि उसके लिए तृतीय पक्षकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकार मानक बैंककारी प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए और वास्तव में जमा करने वाले व्यक्ति की पहचान का विधिमान्य सबूत के पेश किए जाने पर, बैंक को प्रस्तुत किया जाता है ;

(vi) पटल पर किसी बैंक लेखे से नकदी का आहरण 24 नवंबर, 2016 को कारबार के घंटों की समाप्ति तक इस अधिसूचना के प्रारंभ होने की तारीख से किसी सप्ताह में 20,000/- रुपए की समग्र सीमा के अधीन रहते हुए 10,000/- रुपए प्रतिदिन तक निर्बंधित होगा, जिसके पश्चात् इन सीमाओं का पुनर्विलोकन किया जाएगा ;

(vii) किसी खाते के किसी व्यक्ति द्वारा प्रचालन के लिए किसी गैर नकद विधि के उपयोग पर कोई निर्बंधन नहीं होगा, जिसके अंतर्गत चैक, डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, मोबाइल बैलेट और इलैक्ट्रानिकी निधि अंतरण तंत्र या वैसे ही सम्मिलित होंगे ;

(viii) स्वचालित टैलर मशीनों (जिसे इसमें इसके पश्चात् एटीएम कहा गया है) से 18 नवंबर, 2016 तक प्रतिदिन प्रति कार्ड आहरण 2,000/- रुपए तक निर्बंधित होगा और इस सीमा को 19 नवंबर, 2016 से प्रतिदिन प्रति कार्ड 4,000/- रुपए तक बढ़ा दिया जाएगा ;

(ix) कोई व्यक्ति, जो विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का अपने बैंक खातों में 30 दिसंबर, 2016 को या उससे पूर्व विनिमय करने में या जमा करने में असमर्थ रहता है, उसको भारतीय रिजर्व बैंक के विनिर्दिष्ट कार्यालयों या ऐसी अन्य सुविधा में रिजर्व बैंक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट पश्चातवर्ती तारीख तक रिजर्व बैंक द्वारा विनिमय करने या जमा करने का एक अवसर प्रदान किया जाएगा।

3.(1) पैरा 1 के उप पैरा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक बैंककारी कंपनी और प्रत्येक सरकारी खजाना 9 नवंबर, 2016 को सिवाय इस स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए तैयारी और नजदीकी मुद्रा चेस्टो या रिजर्व बैंक की शाखाओं या कार्यालयों और वैध मुद्रा की विशेषता रखने वाले बैंक नोटों की प्राप्ति के सभी कारबारों के संव्यवहार के लिए बंद होगा।

(2) सभी एटीएम, नकदी जमा मशीनें, नकदी पुन: चक्रक और कोई अन्य मशीन, जिसका उपयोग नकदी की प्राप्ति और संदाय के लिए किया जाता है, 9 नवंबर तथा 10 नवंबर, 2016 को बंद कर दी जाएगी।

(3) पैरा 1 के उप पैरा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक बैंक एटीएम से विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को वापस लेगा और उनको 11 नवंबर, 2016 को मशीनों को पुन: सक्रिय करने से पूर्व वैध मुद्रा की विशेषता रखने वाले बैंक नोटों से प्रतिस्थापित करेगा।

(4) श्वेत लेबल एटीएम के प्रायोजक बैंक श्वेत लेबल एटीएम से विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को वापस लेने के लिए और उन्हें मशीनों को पुन: सक्रिय करने से पूर्व 11 नवंबर, 2016 को वैध मुद्रा की विशेषता रखने वाले बैंक नोटों से प्रतिस्थापित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(5) सभी बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके एटीएम और श्वेत लेबल एटीएम रिजर्व बैंक से और अगले अनुदेश प्राप्त होने तक 100 रुपए या 50 रुपए अंकित मूल्य के बैंक नोटों का वितरण करेंगे।

(6) पैरा 1 के उप पैरा (1) में निर्दिष्ट बैंककारी कंपनी और सरकारी खजाने 10 नवंबर, 2016 से अपना सामान्य संव्यवहार आरंभ करेंगे।

4. पैरा 1 के उप पैरा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक बैंककारी कंपनी, 10 नवंबर, 2016 से आरंभ होने वाले प्रत्येक दिन के कारबार के समाप्त होने पर, रिजर्व बैंक को एक विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्ररूप के अनुसार इसके द्वारा विनिमय किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के ब्यौरे दर्शित होंगे।

[फा.सं. 10/03/2016-सीवाई.I]

डॉ. सौरभ गर्ग, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Economic Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th November, 2016

**S.O. 3407(E).—** Whereas, the Central Board of Directors of the Reserve Bank of India (hereinafter referred to as the Board) has recommended that bank notes of denominations of the existing series of the value of five hundred rupees and one thousand rupees (hereinafter referred to as specified bank notes) shall be ceased to be legal tender;

And whereas, it has been found that fake currency notes of the specified bank notes have been largely in circulation and it has been found to be difficult to easily identify genuine bank notes from the fake ones and that the use of fake currency notes is causing adverse effect to the economy of the country;

And whereas, it has been found that high denomination bank notes are used for storage of unaccounted wealth as has been evident from the large cash recoveries made by law enforcement agencies;

And whereas, it has also been found that fake currency is being used for financing subversive activities such as drug trafficking and terrorism, causing damage to the economy and security of the country and the Central Government after due consideration has decided to implement the recommendations of the Board;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares that the specified bank notes shall cease to be legal tender with effect from the 9th November, 2016 to the extent specified below, namely:—

**1.** (1) Every banking company defined under the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) and every Government Treasury shall complete and forward a return showing the details of specified bank notes held by it at the close of business as on the 8th November, 2016, not later than 13:00 hours on the 10th November, 2016 to the designated Regional Office of the Reserve Bank of India (hereinafter referred to as the Reserve Bank) in the format specified by it.

(2) Immediately after forwarding the return referred to in sub-paragraph (1), the specified bank notes shall be remitted to the linked or nearest currency chest, or the branch or office of the Reserve Bank, for credit to their accounts.

**2.** The specified bank notes held by a person other than a banking company referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 1 or Government Treasury may be exchanged at any Issue Office of the Reserve Bank or any branch of public sector banks, private sector banks, foreign banks, Regional Rural Banks, Urban Cooperative Banks and State Cooperative Banks for a period up to and including the 30th December, 2016, subject to the following conditions, namely:—

(i) the specified bank notes of aggregate value of Rs.4,000/- or below may be exchanged for any denomination of bank notes having legal tender character, with a requisition slip in the format specified by the Reserve Bank and proof of identity;

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:53 AM Page 14





(ii) the limit of Rs.4,000/- for exchanging specified bank notes shall be reviewed after fifteen days from the date of commencement of this notification and appropriate orders may be issued, where necessary;

(iii) there shall not be any limit on the quantity or value of the specified bank notes to be credited to the account maintained with the bank by a person, where the specified bank notes are tendered; however, where compliance with extant Know Your Customer (KYC) norms is not complete in an account, the maximum value of specified bank notes as may be deposited shall be Rs.50,000/-;

(iv) the equivalent value of specified bank notes tendered may be credited to an account maintained by the tenderer at any bank in accordance with standard banking procedure and on production of valid proof of Identity;

(v) the equivalent value of specified bank notes tendered may be credited to a third party account, provided specific authorisation therefor accorded by the third party is presented to the bank, following standard banking procedure and on production of valid proof of identity of the person actually tendering;

(vi) cash withdrawal from a bank account over the counter shall be restricted to Rs.10,000/- per day subject to an overall limit of Rs. 20,000/- a week from the date of commencement of this notification until the end of business hours on 24th November, 2016, after which these limits shall be reviewed;

(vii) there shall be no restriction on the use of any non-cash method of operating the account of a person including cheques, demand drafts, credit or debit cards, mobile wallets and electronic fund transfer mechanisms or the like;

(viii) withdrawal from Automatic Teller Machines (hereinafter referred to as ATMs) shall be restricted to Rs.2,000 per day per card up to 18th November, 2016 and the limit shall be raised to Rs.4,000 per day per card from 19th November, 2016;

(ix) any person who is unable to exchange or deposit the specified bank notes in their bank accounts on or before the 30th December, 2016, shall be given an opportunity to do so at specified offices of the Reserve Bank or such other facility until a later date as may be specified by it.

**3.** (1) Every banking company and every Government Treasury referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 1 shall be closed for the transaction of all business on 9th November, 2016, except the preparation for implementing this scheme and remittance of the specified bank notes to nearby currency chests or the branches or offices of the Reserve Bank and receipt of bank notes having legal tender character.

(2) All ATMs, Cash Deposit Machines, Cash Recyclers and any other machine used for receipt and payment of cash shall be shut on 9th and 10th November, 2016.

(3) Every bank referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 1 shall recall the specified bank notes from ATMs and replace them with bank notes having legal tender character prior to reactivation of the machines on 11th November, 2016.

(4) The sponsor banks of White Label ATMs shall be responsible to recall the specified bank notes from the White Label ATMs and replacing the same with bank notes having legal tender character prior to reactivation of the machines on 11th November, 2016.

(5) All banks referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 1 shall ensure that their ATMs and White Label ATMs shall dispense bank notes of denomination of Rs.100 or Rs. 50, until further instructions from the Reserve Bank.

(6) The banking company referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 1 and Government Treasuries shall resume their normal transactions from 10th November, 2016.

4. Every banking company referred to sub-paragraph (1) of paragraph 1, shall at the close of business of each day starting from 10th November, 2016, submit to the Reserve Bank, a statement showing the details of specified bank notes exchanged by it in such format as may be specified by the Reserve Bank.

[F.No.10/03/2016-Cy.I]

Dr. SAURABH GARG , Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR Date: 2016.11.08 22:43:19 +05'30'

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:53 AM Page 15



# Demonetisation: Business of Currency Printing

**-Shelley Kasli, Editor @GreatGameIndia**

The recent decision to discontinue the 500 and 1000 rupees currency notes and to introduce new 2000 rupees note was taken with a view to curb the financing of terrorism through the proceeds of Fake Indian Currency Notes (FICN) and use of such funds for subversive activities such as espionage, smuggling of arms, drugs and oter contrabands into India, and for eliminating Black Money which casts a long shadow of parallel economy on our real economy. However there is a very critical aspect in the entire debate on this move that is being missed in all the confusion. It is a serious aspect which concerns the security of the entire nation. If not addressed now it could lead to further acts of terrorism, espionage, drug trafficking, etc. than we have seen so far. It is to curb the financing of such activities by fake currency printed out of India that the Govt. of India has taken this brave and bold step. However the very critical point of concern that has been overlooked in this enthusiasm to root out Black Money is this. Are our new currency notes printed with the involvement of the same blacklisted companies that infact were the source of fake notes to Pakistan in the first place?

**RBI Rocked & Parliament Shocked:** Sometime during 2009-10, CBI raided some 70 odd branches of various banks on the India-Nepal border from where counterfeit currency racket was unearthed. The officials of these branches told CBI that they had got these notes from RBI which led CBI to raid the vaults of RBI. What CBI found in the vaults of RBI were huge cache of counterfeit Indian currency lying in the denomination of 500 and 1000, the same counterfeit currency smuggled by the Pakistani intelligence agency ISI into India. The question was how did these fake currency landed in the vaults of RBI? Later in 2010 the Committee on Public Undertakings (COPU), an Indian Parliamentary committee was shocked to find out that the govt. had outsourced the printing of rupees 1 lakh crore of currency notes to US, UK and Germany putting the "entire economic sovereignty at stake".

The 3 companies to whom the Indian currency printing was outsourced are American Banknote Company (USA), Thomas De-La-Rue (UK) and Giesecke and Devrient Consortium (Germany).

Following the scandal the Reserve Bank sent a senior official on a fact-finding mission to De-La-

Rue's printing plant in Hampshire, UK. RBI which imports 95% of its security paper requirements and which is believed to account for up to a third of De-La-Rue's profits excluded De la Rue from new contracts. De-La-Rue was blacklisted by the govt. with 2000 metric tonnes of its paper lying unused at printing presses and godowns. It was a disaster and De-La-Rue's CEO James Hussey, who is the godson of the Queen of England herself quit the company mysteriously. De-La-Rue's shares tanked and it almost went bankrupt losing one of its most valuable customer–Reserve Bank of India. Its French rival Oberthur approached De-La-Rue with a bid to takeover the company which was fought back.

The complaints sent to the Central Vigilance Commission (CVC) by 'unnamed officers of the Ministry of Finance' mentioned other companies too. These include French firm Arjo Wiggins, Crane AB of USA and Louisenthal, Germany. However as recently as January 2015 the Home Ministry barred the German company, Louisenthal, from selling bank note paper to the RBI after it discovered that the firm was also selling raw notes to Pakistan.

These include French firm Arjo Wiggins, Crane AB of USA and Louisenthal, Germany. However as recently as January 2015 the Home Ministry barred the German company, Louisenthal, from selling bank note paper to the RBI after it discovered that the firm was also selling raw notes to Pakistan.

So who are these currency printers and how did they end up printing currency notes for the Indian government? How did the company from getting blacklisted to a point of bankruptcy rose to its feet and is preparing to enter the Indian market again? Most importantly why is it that the common Indian know nothing about it? Here is a brief story of these Money Makers.

**The Secret World of Money Makers:** The high-security currency printing and technology business is dominated by a few Western-European companies. In his book Money Makers–The Secret World of Banknote Printing author Klaus Bender offers a detailed view of the banknote industry and its modus operandi by removing the industry's carefully imposed shroud of secrecy. The previous such attempt to reveal this story was published in 1983 by an American author, Terry Bloom in his book "The Brotherhood of Money–The Secret World of Banknote Printers". The entire edition of that book was bought up–straight from the printing presses–by a couple of prominent representatives of the industry to prevent the public from getting an inside view of the business.

The four major segments in the currency business are paper, printing presses, note accessories, inks and lastly integrators who provide total, end-to-end currency printing services. It is believed these businesses are tightly run by not more than a dozen companies operating out of Europe. These companies are believed to be operating since the 15th century. De-La-Rue's history goes even further back to the company's plant near Bath which has been a mill operating for 1000 years.

De-La-Rue was the official Crown Agent of the British Empire who still prints banknotes for the Bank of England. Crown Agents ran the day-to-day affairs of the Empire. In his book Managing the British Empire: The Crown Agents author David Sunderland explains how the Crown Agents printed the stamps and banknotes of the colonies: provided technical, engineering and financial services; served as private bankers to the colonial monetary authorities, government officials and heads of state; served as arms procurers, quartermasters and paymasters for the colonial armies. In effect, Crown Agents administered the British Empire, which at one point in 19th Century, encompassed over 300 colonies and nominally "independent countries" allied to the British Crown.

Later the Crown Agents' office was set up, under the supervision of the Secretary of State for the Colonies, in 1831 to consolidate the activities previously undertaken by a number of agents of varying efficiency and probity. This was done to properly manage the budding Industrial Revolution that destroyed the traditional Indian markets and economy.

The first colony allowed to issue government notes was Mauritius, which in 1849 began to distribute rupee notes. No other colony was permitted to follow its lead until 1884. Colonies were required to obtain notes from the Agents, who passed orders onto the printing firm De-La-Rue.

As per official history the bank note printing in India started in 1928 with the establishment of India Security Press at Nashik by Government of India.

Until the commissioning of Nashik Press the Indian Currency Notes were printed from Thomas De-La-Rue Giori of United Kingdom. Even after Independence, for 50 years, India printed its rupees on machines bought from De-La-Rue Giori, run by the Swiss family Giori and till recently said to control 90 per cent of the banknote printing business. But than something happened at the closing of the 20th century that changed everything.

**The Hijacking Of Indian Airlines Flight 814:** On 24 December 1999 Indian Airlines Flight 814 also known as IC 814 was hijacked by gunmen shortly after it entered Indian airspace. Hijackers ordered the aircraft to be flown to several locations. After touching down in Amritsar, Lahore and Dubai, the hijackers finally forced the aircraft to land in Kandahar, Afghanistan, which at the time was controlled by the Taliban. For those of you who are not aware of the incident remember the Ajay Devgan starrer action thriller Zameen, which was based on this incident.

What was not shown in the film however and what is not known to many still is that there was a mystery man on that flight. His name is Roberto Giori, the owner of De-La-Rue, which used to control 90% of the world's currency-printing business. The 50-year-old Giori, who holds dual Swiss and Italian nationality, is one of Switzerland's richest men. Switzerland sent a special envoy to the airport to deal with the abduction of the currency king. It also put pressure on New Delhi to come to a solution that ensured their safe release.

Two days after the hijack, on Sunday, 26 December, the Swiss Foreign Minister, Mr. Joseph Deiss, had a long telephone conversation with his Indian counterpart, Mr. Jaswant Singh, the Swiss press had reported. The Swiss Government set up a separate cell in the capital Berne to deal with the crisis and had sent special envoy, Mr. Hans Stalder, to Kandahar who regularly reported back to Berne. According to the Repubblica and Corriere Della Sera newspapers, ever since his return to Switzerland by a special plane, Mr. Roberto Giori has been under the protection of the Swiss Government.

But there is a very important missing piece to this story. It is believed that a ransom was paid by the Indian Government for the safe release of Roberto Giori; this issue has been voiced not just from political sections but also from Intelligence. This issue is a hot potato for both the Congress and BJP and is likely to boil parliament in the near future.

Whatever be the case the motive for the hijacking was reported to be to secure the release of terrorists held in Indian prisons. The hostage crisis lasted for seven days and ended after India agreed to release three militants – Mushtaq Ahmed Zargar, Ahmed Omar Saeed Sheikh and Maulana Masood Azhar. These militants have since been implicated in other terrorist actions including the Mumbai terror attacks.

While the release of terrorists maybe one of the motive for hijacking the plane, there are bigger things at stake here than is usually understood. Roberto Giori was not an ordinary man not even an ordinary VVIP. He was the owner of the company that has been printing currency notes for more than 150 countries since centuries. And it has a dark history in each and every country that it operated in. We mention few instances here for our readers to understand the gravity of the situation and encourage you to study others.

> Even after Independence, for 50 years, Free India printed its rupees on machines bought from De La Rue Giori, run by the Swiss family Giori and till recently said to control 90 per cent of the banknote printing business. But than something happened at the closing of the 20th century that changed everything.

Colonel Muammar Gaddafi, the Libyan President was starved of currency before he was militarily overthrown. He was unable to pay his soldiers. The contract for printing the banknotes was given to De-La-Rue but they were not delivered until it was too late.

With the destruction of the Berlin Wall and the break-up of Soviet Union, many newly independent countries sprang up overnight. One such country was Chechnya (formerly part of the Soviet Union) who signed a secret deal to print passports and banknotes with De-La-Rue. Two brothers Ruslan and Nazerbeg Utsiev were sent to conclude the deal. Apart from printing passports and banknotes they were also trying to secure 2000 ground-to-air Stinger missiles from Britain, Russia's age old arch-enemy. The KGB was tipped-off and soon two Armenian hitmen were on their way from Los Angeles to kill both the brothers and the deals. Both the brother were found dead soon after.

The brothers and the deals were dead but De-La-

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:53 AM Page 18



Rue survived. All was well until in 2010 the Parliament Committee was rocked with the scandal and De-La-Rue with other companies were blacklisted from operating in India and almost went bankrupt. This brings us to the recent demonetization move. Is De-La-Rue involved in the printing of the new Rs 2000 notes?

As per a recent report by Economic Times, [The notes] were largely printed at Mysuru under utmost secrecy while the paper note on which the printing was done came from Italy, Germany and London. The printing, according to officials, began in August-September and nearly 480 million notes of Rs 2,000 denomination and an equal number of Rs 500 denomination were printed. The printing facility at Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Ltd. (BRBNMPL) in Mysuru under Reserve Bank of India was set up with the De-La-Rue Giori, now KBA Giori, Switzerland.

The Hindu reported: India imports bank note papers from European companies like Louisenthal in Germany, De-La-Rue in United Kingdom, Crane in Sweden and Arjo Wiggins in France and Netherlands. India had blacklisted two European firms in 2014 amid reports by security agencies that the security features, which come embossed on bank note paper, were compromised and given away to Pakistan.

India had blacklisted two European firms in 2014 amid reports by security agencies that the security features, which come embossed on bank note paper, were compromised and given away to Pakistan. There are even plans to circulate plastic or semi-plastic Rs 10 notes in place of the paper ones.

There are even plans to circulate plastic or semi-plastic Rs 10 notes in place of the paper ones. The secretive Bharatiya Reserve Bank Note Mudra Private Limited, a wholly owned subsidiary of the RBI, that prints notes has selected four entities–UK based De-La-Rue, Australia's Innovia, Munich-based Giesecke & Devrient and Swiss company Landquart–to supply three kinds of plastic notes. De-La-Rue already supplies paper notes to India but has been rattled by the controversy over the recent Panama leaks. It has recently been contracted to supply polymer note making technology to China and plans to make pure polymer notes for India too.

But the ban was lifted and the companies were removed from the blacklist. Why? Here is the reason given for the lifting of the ban. "These companies are in the business for 150 years; they will not hamper their trade by passing on information of one country to another. Some of these firms even print currency notes for smaller countries. After the investigations, it was found that the two firms had not compromised the security features and the ban was lifted," said the official. However the Serious Fraud Office (SFO) of UK itself in their inquiry had uncovered that a number of De-La-Rue employees had deliberately falsified certain paper specification test certificates for some of its 150 clients. Recently it was also revealed in the Panama Papers that De-La-Rue paid out a 15% commission to a New Delhi businessmen to secure contracts from Reserve Bank of India. There are also reports that De-La-Rue paid £40m in settlement to the RBI for issues in production of paper notes.

Even so after all this has been given clearance and there are even plans in discussion with De-La-Rue for setting up of a security paper mill and a research and development centre of identity software in Madhya Pradesh. Martin Sutherland the new CEO of De-La-Rue in an interview titled Giving Make in India the Currency to Succeed with India, in Investment Journal said that under the UK-India Defence & International Security Partnership Agreement which was signed in November 2015, De-La-Rue is committed to support both governments on the subject of counterfeiting under this agreement. However there has been no official announcement made regarding the lifting of the ban on De-La-Rue and its removal from the blacklist apart from the news report. De-La-Rue that almost went bankrupt after losing RBI contracts reported a whopping 33.33% rise in its shares in the last six months. The question that still need to be answered is; are the new Indian currency notes printed with the involvement of blacklisted Crown Agent companies that supplied and were the source of fake notes for Pakistan at the expense of India's National Security? In order to get answers to these questions Great Game India has filed application under the Right to Information Act to know the truth in the service of the nation.

*(This article and associated links may be obtained from the official website of the journal: greatgameindia.com)*

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:53 AM Page 19



**Dear Narendra Bhai,**

I hope this letter finds you in best of health and happiness. On 8th of November 2016, after I heard your speech on demonetization, I was really very happy and from within complimented you for such a bold and historic step. Unfortunately, happiness did not last long. In the morning of 9th Nov, someone very near and dear informed me that yesterday i.e. on 8th Nov at around 12 in the afternoon wife of one of the leading industrialist of Ahmedabad in her presence came to a very leading jewellery shop and as per pre-order purchased gold worth 20 crores. Gold was ready and packed and it took two minutes to transfer gold and cash to each other. She was incidentally present at the shop buying pre ordered jewellery worth Rs. 5 lakhs. She is a doctor of a very high repute and eminence.

Having worked so closely with you and being a part of your kitchen cabinet, at one point of time in past, it immediately clicked to my mind that information of demonetization must have been conveyed well before announcement to your near and dear industrialist, who in total controls 50% of black money of this country. Having spent whole day inquiring, thinking on the above lines the information that I gathered is shocking, by adhering to such a popularistic measure you have really befooled the people of this nation.

In fact your above move was to enrich your near and dear ones, your party and your party workers by apparently putting forward the national cause and interest. I have a video recording with me which will clearly and beyond reasonable doubt prove that all the near and close associates of Shri Amit Shah since 8th Nov till today are engaged into exchange business. There is a big queue outside their office and residence for conversion of black money into white at a discounted rate of 37%, people have queued up outside their office and residence. One has to go without identity with at least a sum of Rs. 1 Crore which will be counted by the employees and a bag containing Rs. 63 lakhs of valid denomination would be handed over. I could have easily parted with that video but as I know you, you will punish those standing in queue rather than booking those persons engaged in the business, who are near and dear to Mr. Amit Shah. However, I will show the video to two or three senior journalists and intimate you about the same so that you can cross check and verify the genuineness of my statement from the journalists.

One who knows you would refuse to accept that the ban that you imposed on district co-operative banks yesterday was after you received an information that large scale irregularities and illegalities were committed at that level. Even your enemy would respect your ability, capacity and intelligence. One thing is certain that such an important aspect could not have been out of your mind. I know very well that you will not act unless a complete blue print of your action is in your mind. All pros and cons of your action would very much be alive in your mind before you act. This in my respectful submission was permitted to be done in Gujarat because all district co-operative banks are controlled by people committed to BJP. These banks right from 9 PM on 8/11/2016 till 5 AM on 9/11/2016 exchanged Rs.500 and Rs.1000 currency notes against smaller denomination. You had through RBI called for the details of exact cash with denominations from all banks of the country on 08/11/2016. You yourself get it verified the veracity of my above statement. I assure you that if I am proved wrong I will tender a public apology.

To weed out any doubt in the mind of people of India that sharks and whales have been let off and that your dear and near industrialists were intimated well in advance about demonetization, you should inform the people of India by disclosure on the official website of Government of India about disclosure of above 1 Crore. I am sure that not one chairman or MD or director of first 300 fortune companies of India would make a disclosure and if they dont than my allegations stands proved. I saw people hungry and thirsty standing in queue for Rs. 4000 and small deposits but I did not find a single Mercedes, BMW, Audi, Volvo, Porsche or Range Rover outside any bank or any owner of the said vehicle in a queue either for withdrawal or deposit of money. In your opinion possibly the black money was hoarded only by those people in queue either at the ATM or with bank but not with owners of vehicles mentioned above. The people of this country would also like to know that apart from those fortune 300 industrialists how much money builders, contractors more particularly contractors who have been awarded government contracts, miners who are more particularly involved in iron ore mining, other industrialists and above all politicians and bureaucrats have deposited the money. Unless the people of this country have the above information as to who has deposited what amount, the allegation that the hoarders of 50% of black money i.e. those 10-12 like industries have been blessed by you by prior intimation will stand proved. Moreover, at least poor and helpless people who have stood outside the bank in queue for petty amount would like to know what is the amount of deposit made by those 10-12 industries whom you allotted the land worth more than 1 lakh crores and who did not generate between themselves employment worth 7000 people. The publication of deposits on website would also throw light as to who are the persons who have deposited 300 to 400 crores and what action Income Tax department would take if they deposits either do not match with the return or known source of Income. I request you to also inquire the purchase of gold & diamonds sold on 7th and 8th before 8 PM and by whom. This will enable people to think as to why few top notch needed purchase of huge amount of gold and diamonds. Be kind and gracious enough to share the aforesaid information on the official website of the government of India so that people of this country may judge whether demonetization is for larger good of the country or for the benefit directly to you, your loved ones and your party workers.

Sincerely yours,

Yatin Oza

(The author is a former BJP MLA from Gujarat)

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:53 AM Page 20



# पंचायतीराजः स्वशासन बनाम स्वराज्य

**चन्द्र शेखर 'प्राण'**

पिछले दिनों बिहार के पूर्णिया जिले में पंचायतीराज विषय पर एक स्कूल में बातचीत चल रही थी। इसी दौरान प्राचार्य महोदय ने पंचायतीराज की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिन्ता और झुंझलाहट से भरा आक्रोश व्यक्त करना शुरू किया। उनके अनुसार पंचायतीराज के माध्यम से शिक्षा की जिस बेहतरी की कल्पना की गई थी वह पूरी तरह से धूमिल हो चुकी है। बल्कि उसकी और अधिक दुर्दशा होने की आशंका बलवती है। उन्होंने हम सबके सामने यह सवाल खड़ा किया कि इतने बड़े-बड़े आदर्शों और उम्मीदों के बावजूद पंचायतीराज व्यवस्था इतनी अधिक फेल क्यों हो रही है? उनका यह कहना पूरी तरह से सही था कि जब भी जिस भी काल में पंचायतों की बात की गई उसके साथ बहुत सारी बेहतर संभावनाएं संजोई गई। अपने समय की समस्याओं के समाधान के तौर पर उसके पहचाना गया और संविधान संशोधन से पहले राजीव गांधी ने भी इसी मंशा के साथ पंचायतीराज व्यवस्था को नए तरीके से लागू करने का सपना देखा। राजीव गांधी ने ही नही बल्कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी राज में लार्ड मेयो से लेकर लार्ड रिपन तक सभी ने अपने शासन को लोकप्रिय बनाने अथवा लोकजीवन की बेहतरी का जब कोई मार्ग तलाशा तब 'स्थानीय स्वशासन' के नाम पर उन्हें वहां की पंचायत परम्परा का चेहरा ही सबसे अधिक अनुकूल लगा और इसी के चलते सन 1909 में शाही कमीशन आयोग के माध्यम से गुलाम भारत में पंचायती व्यवस्था का खाका तैयार किया गया जो वर्ष 1919 से विभिन्न राज्यों के पंचायतीराज अधिनियम के रूप में व्यवहार में लाया गया।

**फिर आता है राजीव गांधी का दौर जिसमें सत्ता के दलालों से मुक्ति तथा विकास राशि में से गांव में पहुंचने वाले मात्र 15 पैसे की चिन्ता के साथ 21वीं सदी के भारत से सपने को लड़खड़ाते देखकर पंचायती व्यवस्था का एक नया चित्र बनाया जाने लगा।**

स्वतंत्रता आन्दोलन में माहत्मा गांधी के आगमन के साथ आम आदमी की भागीदारी का जब बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ तब पंचायतों का सवाल फिर उठ खड़ा हुआ था। आजादी के लड़ाई से जुड़े राष्ट्र नायकों ने अपने तरीके से इसकी तरफ भी लोगों का ध्यान आकृष्ट करना शुरू किया। चूंकि अंग्रेजी सरकार 'पंचायत' के माध्यम से स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को लागू करने कोशिश कर रही थी अतः स्वाभाविक था कि गांव जीवन को शताब्दियों से व्यवस्थित और संचालित करने वाली पंचायत परम्परा और जीवन शैली की पुनसमीक्षा और उनकी नई संभावना की तलाश भी एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उपस्थित हुआ।

जहां तक महात्मा गांधी का सवाल है उनके लिए तो इस देश की पंचायत परम्परा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। उन्होंने 'मद्रास मिशनरी सम्मेलन' (1916) में पहली बार एक ऐसी देशज संस्था की मांग की जिसके माध्यम से जनता अपना शासन स्वयं चला सके और उस संस्था के लिए ग्राम पंचायतों को सबसे उपयुक्त कहा। उन्होंने इसी के धरातल पर 'ग्रामस्वराज' का एक पूरा खाका तैयार किया। ग्राम स्वराज के जो ग्यारह बुनियादी सिद्धांत उन्होंने रेखांकित किए उसमें पंचायत एक ऐसा विषय था जिसके बल पर ही शेष 10 विषयों को जमीन पर उतारा गया था। और जैसा कि हम सब जानते है कि संविधान में पंचायतों की उपेक्षा को लेकर ही बापू की आपत्ति आई थी जिसके चलते संविधान सभा का एक विशेष अधिवेशन बुलाया पड़ा जिसमें इसे लेकर बहुत गम्भीर चर्चा हुई। लेकिन यह मुद्दा पूर्ण सहमति के अभाव में अंततः नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत डालकर राज्य सरकारों के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया था। लेकिन उम्मीदें कम नहीं हुई। पंडित नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कमजोरियों का इलाज पंचायती व्यवस्था में ही तलाशा और 1959 में पंचायती व्यवस्था के लिए एक अभियान देश में शुरू किया। लेकिन यह यात्रा भी बहुत दूर तक नहीं चल पाई। कुछ ही वर्षों बाद थम-सी गई।

फिर आता है राजीव गांधी का दौर जिसमें 'सत्ता के दलालों से मुक्ति' तथा विकास राशि में से गांव में पहुंचने वाले मात्र 15 पैसे की चिन्ता के साथ 21वीं सदी के भारत से सपने को लड़खड़ाते देखकर पंचायती व्यवस्था का एक नया चित्र बनाया जाने लगा। इसी कोशिश के तहत संविधान संशोधन की भी कोशिश शामिल हुई जो किसी कारणवश सफल नहीं हो सकी। अन्ततः वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन के रूप में इसे सफलता मिली और 1993 से इस देश में नया पंचायतीराज अधिनियम लागू हुआ। तब से लेकर आज तक अर्थात पिछले 15 वर्षों से देश के अधिकांश राज्यों में पंचायतीराज व्यवस्था संचालित हो रही है। यदि केरल और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ एक दो राज्यों को छोड़ दें तो अधिकांश राज्यों में पंचायतीराज व्यवस्था को लेकर वही चिन्ता और आक्रोश लोक मानस में आज व्याप्त है जो पूर्णिया के प्राचार्य महोदय के मानस में पल बढ़ रहा है। निश्चय की यह एक बड़ा सवाल है। इसके साथ कई एक बड़े सवाल और जुड़े हैं।

इन सवालों के तह में जाने से पहले यहां एक और घटना का जिक्र करना प्रासंगिक होगा। वर्ष 1999 में जब 'पंचपरमेश्वर यात्रा' के दौरान मध्यप्रदेश के गांवों में लोगों के साथ पंचायतों के सवाल पर चर्चा कर रहा था तब देवास जिले के एक गांव की गोष्ठी में एक सरपंच द्वारा यह पीड़ा व्यक्त की गई कि ग्राम पंचायत को रेवन्यू का अधिकार तो दिया गया है लेकिन जब भी किसी अवैध कब्जे को हटाने के लिए पंचायत जाती है तो पुलिस का सहयोग उसे नहीं मिलता। उनका कहना था कि जिस प्रकार रेवन्यू के अधिकारियों को पुलिस बल पर अधिकार होता है उसी प्रकार पंचायतों को भी अधिकार संपन्न बनाया जाए। तभी कोई सफल कार्यवाही की जा

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:53 AM Page 21



सकेगी। सरपंच महोदय की इस चिन्ता और इस सुझाव को लेकर मैं काफी देर तक सोचता रहा और पिछले दिनों प्राचार्य महोदय के सवाल पर जब सोचने लगा तब देवास जिले के इस सरपंच का सुझाव भी रह-रहकर उभरने लगा।

कुल मिलाकर स्वयं मेरे मन में एक सवाल खड़ा हो गया कि पंचायतीराज व्यवस्था वर्तमान शासन व्यवस्था की ही एक और 'निचली कड़ी' है अथवा इस व्यवस्था से जो नहीं हो पा रहा है उसके लिए यह एक 'विकल्प' है? वास्तव में जब इस सवाल पर विचार करता हूं तब बहुत सारे सवालों के स्वतः उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं और वह मोटी गांठ भी थोड़ी-बहुत समझ में आने लगती है जिसमें यह सारी चिन्ता और संभावना बंधी हुई है। इसी गांठ में सारे उलझाव नजर आने लगते हैं। मेरी अपनी समझ में जो सवाल और उत्तर निकल रहे हैं उसे यहां आपस में बांटना चाहता हूं। संभवतः इससे ही कोई सार्थक मार्ग तालशा जा सके।

यदि हम ऊपर की चर्चा पर विचार करें तो दो धाराणाएं साथ नजर आती हैं एक तो यह कि पंचायतीराज व्यवस्था तात्कालिक शासन व्यवस्था की ही एक निचली इकाई के रूप में है जिसे स्थानीय इकाई के रूप में संबोधित किया जाता है अर्थात 'स्थानीय स्वशासन की इकाई'। दूसरा पंचायत एक ऐसी अलग व्यवस्था है जिसमें उसकी संभावना है जो वर्तमान व्यवस्था में संभव नहीं है अर्थात वह वर्तमान शासन व्यवस्था का विकल्प है। जब हम विकल्प की बात करते हैं तब यह विकल्प सिर्फ 'शासन' तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि यह वर्तमान राज्य व्यवस्था का भी विकल्प बन जाता है। इस प्रकार यदि इन दोनों धारणाओं को सूत्र रूप में कहना चाहें तो इसे 'स्थानीय स्वराज' बनाम 'ग्राम स्वराज' के रूप में संदर्भित कर सकते हैं। इस पर आज के संदर्भो में विचार करने के लिए इन दोनों के 'सैद्धांतिक आधारों' पर एक दृष्टि डालनी उचित होगी।

**गांधी के ग्राम स्वराज्य का चित्र आज की तारीख में सामान्यतः कल्पना लोक का विषय अधिक माना जाता है। लेकिन गांधी का यह दृढ़ विश्वास था कि यह असंभव नहीं है। संभव है, ऐसे गांव को तैयार करने में एक आदमी की पूरी जिन्दगी खत्म हो जाए।**

'स्थानीय स्वराज' की अवधारणा मूलतः पश्चिमी जगत की देन है। वहां पर इसे अलग-अलग नामों से संबोधित किया गया है जैसे इंग्लैंड में 'स्थानीय सरकार' फ्रांस में 'स्थानीय प्रशासन' तथा अमेरिका में 'म्यूलिसिपल शासन'। इसी तर्ज पर भारत में 'स्थानीय स्वशासन' शब्द का प्रयोग लार्ड मेयो द्वारा 1870 में तथा लार्ड रिपिन द्वारा 1882 में किया गया। पश्चिमी राजनीतिक विचारक 'हैरिस' के शब्दों में यदि 'स्थानीय शासन' का अर्थ केन्द्रीय व्यवस्था का एक भाग मात्र होता है तो 'गिल क्राइस्ट' की नजरों में यह सरकार की एक अधीनस्थ संस्था होती है। वैसे तो 'लास्की' ने इसे प्रजातंत्र के आधार के रूप में स्वीकार किया है लेकिन इसकी सीमा को वे भी सीमित मानते हैं। जहां तक भारतीय विचारकों का संबंध है जयप्रकाश नारायण का कथन है कि पश्चिम में स्थानीय स्वशासन की स्वस्थ एवं सक्षम व्यवस्था के बावजूद यह 'सहभागी लोकतंत्र' की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती सभी के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है।

वास्तव में 'स्थानीय स्वशासन' की कल्पना ही केन्द्रीय सत्ता के आनुशंगिक अंग के रूप में की गई है। यह कहीं से भी लोक और समाज की जमीन से पैदा हुई व्यवस्था के रूप में चिन्हित ही नहीं है और इसकी परिधि का क्षेत्र भी इतना सीमित है कि उसके अन्तर्गत 'प्रशासन' की ही अभिव्यक्ति होती 'राज्य' की नहीं। इसी संदर्भ में गांधी जब गांवों की आजादी के रूप में 'ग्राम स्वराज्य' की बात करते हैं तो उसकी शुरूआत ही 'पूर्ण प्रजातंत्र' शब्द से करते हैं। उसमें आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए जहां एक ओर जरूरत पड़ने पर परस्पर सामाजिक सहयोग की बात करते हैं वहीं दूसरी ओर अहिंसात्मक सत्ता को ही ग्रामीण समाज की व्यवस्था की शक्ति मानते हैं और व्यवस्था के संचालन के लिए सर्व सम्मति से चुनी हुई पांच आदमियों की पंचायत को पूर्ण अधिकार देते हैं। गांधी के 'ग्राम स्वराज्य' का चित्र आज की तारीख में सामान्यतः कल्पना लोक का विषय अधिक माना जाता है। लेकिन गांधी का यह दृढ़ विश्वास था कि 'यह असंभव नहीं है। संभव है, ऐसे गांव को तैयार करने में एक आदमी की पूरी जिन्दगी खत्म हो जाए।' इसके लिए आह्वान करते हैं कि 'सच्चे प्रजातंत्र का और गांव जीवन का कोई भी प्रेमी एक गांव को लेकर बैठ सकता है और उसी को अपनी सारी दुनिया मानकर उसके काम में डूब सकता है। निश्चय ही उसे इसका अच्छा फल मिलेगा।'

इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी कहीं से भी सरकार या शासन के सहयोग और 'घृणा' के आधार 'स्वराज्य' की कल्पना नहीं करते। 'लोक चेतना' और 'लोक शक्ति' के माध्यम से एक सामाजिक उपक्रम के रूप में इसे आगे बढ़ाते हैं। उनके शब्दों में 'स्वराज्य का अर्थ है सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने के लिए लगातार प्रयत्न करना, फिर वह नियंत्रण विदेशी सरकार का हो या स्वदेशी सरकार का। यदि स्वराज्य हो जाने पर लोग अपने जीनव की हर छोटी बात के नियमन के लिए सरकार का मुंह ताकना शुरू कर दें तो वह स्वराज्य सरकार किसी काम की नहीं होगी।' गांधी के 'स्वराज्य' की यह परिकल्पना सर्वमान पंचायतीराज व्यवस्था में कहां और कितना समा पाई है यह एक बड़ा सवाल है।

अंग्रेजों ने तो विशुद्ध रूप से अपने देश की रीति-नीति के अनुसार 'स्थानीय स्वशासन' की स्थापना का प्रारंभिक प्रयास किया और बाद में 'शाही कमीशन' आयोग के अध्ययन में भारत की पंचायत व्यवस्था प्रमुख विषय के रूप में उभरकर सामने आई। लेकिन यहां भी उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप में स्वीकार किया था कि 'वे अपने शासन की जरूरतों के अनुसार ही पंचायती व्यवस्था के तत्वों को स्वीकार कर सकते भले ही वह बड़ी ही बेहतर और लोकतांत्रिक हो।' कमीशन की रिपोर्ट के अध्याय-3 में यह उल्लेख कि 'यह प्राचीन ग्राम प्रणाली चाहे जितनी उत्तम और सुविधाजनक हो पर हम इस प्राचीन प्रणाली को आज फिर लागू करने की सलाह नहीं दे सकते।' समेटी की ही मान्यता थी कि ब्रिटिश शासन के कारण ये संस्थाएं बहुत छिन्न-भिन्न हो गई है। इसी कमीशन के एकमात्र भारतीय सदस्य 'रमेश दत्त' का कथन कि 'भारत में ब्रिटिश राज्य का सबसे अफसोसजन फल यह हुआ कि उसने भारत के ग्राम राज्य की प्रथा को तहस-नहस कर दिया' इसी तथ्य को सिद्ध करता है और अंग्रेजी राज्य के 'स्थानीय स्वशासन' की सच्चाई को भी बड़ी बेबाकी के साथ स्पष्ट करता है।

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:53 AM Page 22



लेकिन यह कितना बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि सच्चाई को आजादी के बाद भी नजर अंदाज किया जाता रहा और पंडित नेहरू के पंचायतीराज से लेकर 73वें संविधान संशोधन तक इसे कमोवेश उसी रूप और अर्थ में स्वीकार और लागू किया जाता रहा। **लार्ड मेयो और लार्ड रिपिन की 'स्वशासन' की अवधारणा गांधी के 'ग्राम स्वराज्य' पर हावी होती रही और 73वें संविधान संशोधन में भी उसको सही रूप में सुधारा नहीं जा सका।**

यहां पर एक बार फिर से पंडित नेहरू के पंचायतीराज पर दृष्टि डालनी होगी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान यदि हम पंडित नेहरू के विचारों को देखें तो आम आदमी की अधिकतम भागीदारी, आधारभूत स्तर पर नेतृत्व का विकास, का मानवी चेहरा, राष्ट्र के प्रति स्वामित्व का भाव जैसे उत्कृष्ट और लोकोन्मुखी भाव पूरी तरह से परिलक्षित होते हैं। लेकिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं पंचायतीराज व्यवस्था के निर्धारण में कहीं-न कहीं से यह सारे तथ्य ऊपरी सतह पर ही तैरते नजर आयेंगे। इन्हें उसकी आत्मा में नहीं उतारा जा सका और यह सब तत्कालीन शासन व्यवस्था के प्रशासनिक नियंत्रकों की यदि सोची समझी चाल थी तो कहीं-न-कहीं से पंडित नेहरू की भी भूल अथवा मजबूरी का परिणाम रहा। तभी तो ये पंचायतीराज के प्रारंभिक चरण में 'प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण' के मुद्दों को काफी जोर-शोर से उभार रहे थे। 'प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण' स्थानीय स्वशासन की अवधारणा का ही एक हिस्सा है, जो बिना लोक भागीदारी के सरकारी कर्मचारियों के द्वारा भी संभव होता है। यह सही है कि बलवन्त राय मेहता ने अपनी रिपोर्ट में इस गलती को दुरुस्त करने की कोशिश की और उन्होंने 'प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण' की बजाय 'लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण' की बात की। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि वर्ष 1959 में जो पंचायतीराज लागू हुआ वह 'लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण' की बात तो छोड़िए 'प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण' का भी आधार नहीं बन पाया। इस यात्रा को पंडित नेहरू के निधन के बाद अनेक गतिरोधों का सामना करना पड़ा जिसके चलते इसका अस्तित्व ही नकार दिया गया।

**जेपी तो इस यात्रा के अंतिम पड़ाव तक जाना चाहते थे तभी तो वे कहते थे कि ग्राम-राज्य का अर्थ है स्वशासी गांव, ग्राम गणतंत्र न केवल पंचायत। ये भी इसमें सरकारी हस्तक्षेप को नकारते हुए कहते है कि इस ग्राम राज्य का निर्माण स्वयं गांव वाले अपने अभिक्रम से करेंगे यह सरकारी एजेंसियों के द्वारा नहीं होगा।**

जयप्रकाश नारायण ने इस कमजोरी को बड़ी गहराई से पहचाना था। इसीलिए उन्होंने उस समय इस मुद्दे पर कई सवाल खड़े किए और उनके समाधान भी बताए। उन्होंने शासन का नहीं बल्कि 'सत्ता के विकेन्द्रीकरण' का सवाल उठाया साथ ही 'लोक भागीदारी' के सच्चे उदाहरण के रूप में 'सहभागी लोकतंत्र' का समाधान दिया और यह सब गांधी के 'ग्राम स्वराज्य' के लिए पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित करने का तरीका बताया। लेकिन समय और परिस्थिति संभवतः इस सबके अनुकूल नहीं हो सकी और अंततः यह यात्रा अधूरी ही नहीं बल्कि विकृतियों का विकार हो गई। जेपी तो इस यात्रा के अंतिम पड़ाव तक जाना चाहते थे तभी तो वे कहते थे कि 'ग्राम-राज्य का अर्थ है स्वशासी गांव, ग्राम गणतंत्र न केवल पंचायत।' ये भी इसमें सरकारी हस्तक्षेप को नकारते हुए कहते है कि इस ग्राम राज्य का निर्माण स्वयं गांव वाले अपने अभिक्रम से करेंगे यह सरकारी एजेंसियों के द्वारा नहीं होगा। स्वराज्य के इस अभियान को वे भारत के आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन की जड़ों को स्पर्श करता हुआ देखते हैं और इसकी असीम संभावनाओं को संजोते हैं। सिर्फ प्रशासन को नीचे के स्तर पर उतार देने में अथवा केन्द्रीय सत्ता के कुछ अधिकारों को नीचे की इकाई में बांट देने से इति नहीं समझते।

उस समय के पंचायतीराज व्यवस्था को जिस तरह से लागू किया जा रहा था और उसके स्वरूप को जिस तरह से निर्मित किया गया था उस पर टिप्पणी करते हुए जेपी. ने कहा था कि 'केवल राज्य सरकार की कुछ नई एजेंसियों का निर्माण करने के लिए इतना सारा कष्ट और व्यय उठाकर पंचायतीराज की स्थापना करना मेरी दृष्टि से एक मूर्खतापूर्ण एवं व्यर्थ प्रयास होगा। यदि इतना ही हम करना चाहते तो इससे भी अधिक अच्छी, अधिक सक्षम और अधिक सस्ती एजेंसियों का निर्माण किया जा सकता था।'

कुल मिलाकर पंडित नेहरू का यह प्रयास इसी के इर्द-गिर्द सिमटकर रह गया। क्योंकि इस देश में 'राज्य' और 'समाज' दोनों संस्थाओं में एक ऐसा समूह प्रभावशाली वर्ग के रूप में है जो इस विचार पर आज भी टिका हुआ है कि आम जनता 'स्वशासन' या 'स्वराज्य' के आयोग्य है तथा 'सत्ता विकेन्द्रीकरण' से इस राष्ट्र का विघटन हो जाएगा। पंडित नेहरू जो जनता पर विश्वास के क्रम में किसी आंशिक विश्वास पर यकीन नहीं करते थे उन्हें उस पूर्ण विश्वास था और लोगों से इसी पूर्ण विश्वास की अपेक्षा करते थे उनकी ही व्यवस्था के साथ अन्य राज्यों के व्यवस्था के कई जिम्मेदार लोग उनके इस विश्वास को कभी विश्वास के योग्य नहीं मान सके। इसके बहुत सारे प्रमाण है। वे (पं. नेहरू) बार-बार इस तरफ भी तरफ भी चेताते रहे हैं कि देश को खतरा विकेन्द्रीकरण से नहीं बल्कि केन्द्रीयकरण से है।

यदि इस विकास यात्रा को हम 1964 से लेकर 1984 के बीस वर्षों के अन्तराल में देखें 'जो एक तरह से पंडित नेहरू के निधन से लेकर राजीव गांधी के सत्ता में आने का समय है' तो हमें बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि इन वर्षों में देश की 'सत्ता का विकेन्द्रीकरण' या 'स्थानीय स्वशासन' जैसे शासकीय फार्मूले की कोई सार्थकता नहीं बनी। पंडित नेहरू के बाद यह संदर्भ ही चिन्ता का विषय नहीं रहा। कई दूसरे संदर्भ 'सत्ता' और 'समाज' के बीच उठते रहे और उसी में लोग उलझते रहे।

राजीव गांधी ने सत्ता संभाली और अपनी सद्इच्छाओं के साथ उसकी समीक्षा करने लगे तो उन्हें यह गैप कई स्तरों पर दिखाई पड़ा। वकील मणिशंकर अययर (जो उनके एक प्रमुख सहयोगी व सलाहकार थे और भारत सरकार के पंचायतीराज मंत्री रहे हैं) 'राजीव गांधी को यह सवाल सबसे ज्यादा परेशान करता था कि स्वतंत्र भारत में पंचायतीराज की व्यवस्था ने जड़ें क्यों नहीं जमाई। बुनियादी धरातलपर प्रजातंत्र क्यों असफल रहा जबकि केन्द्र और राज्य में इसने इस तरह से जुड़ें जमाई कि हम विश्व के सामने सही मायने में दावा कर पाएं कि भारत सबसे बड़ा प्रजातंत्र है।'

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:53 AM Page 23



निश्चयही राजीव गांधी ने सत्ता के इस कुचक और गतिरोध को खूब समझा था और वे बराबर अपने सार्वजनिक सम्बोधन में इसकी चर्चा भी करते रहे। एक तरफ जहां वे 27 जनवरी 1989 को पार्टीजनों के सम्मेलन में यह कहते हैं कि 'पंचायतीराज की जिम्मेवारी को राज्य सरकारों ने ठीक तरह से बांटी नहीं और हम अर्थात ऊपर के लोक (केन्द्र सरकार) भी अपनी ही राजनीति में उलझे रहे।' वहीं दूसरी ओर 5 मई 1989 को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार और जनता के संबंधों में प्रयोग होने वाले शब्द 'माई-बाप सरकार' पर तीखी टिप्पणी की और कहा कि 'हमने लोगों को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाने की बाजाय उन्हें उसका लाभ ग्रहण करने वाला बना दिया।' उन्होंने उन्हें यह भी याद दिलाया कि 'पिछले तीस वर्षों में निचले स्तर पर लोकतंत्र के विकास का अनुभव बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। ऐसा कोई भी राज्य नहीं जो दावा कर सके कि उसने पंचायतीराज संस्थाओं को चलाने में सम्पूर्ण कुशलता प्राप्त कर ली है।' इसी सम्मेलन में पंचायतीराज व्यवस्था को एक बड़ी 'क्रांति' की संज्ञा देते हुए घोषणा की थी कि 'यह एक क्रांति है जो लोकतंत्र को करोड़ों भारतीयों के द्वार तक ले जाएगी।'

अपनी इस समझ और अनुभव को आधार बनाकर नई पंचायतीराज व्यवस्था के लिए जब संविधान संशोधन का विधेयक संसद में पेश किया तब सदन को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार फिर से पिछले वर्षों में राज्य सरकारों के ऊपर इस व्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उनके शब्दों में 'राज्यविधान सभाओं ने इस सिलसिले में जो कानून बनाए हैं उसमें सरकार को भारी अधिकार पंचायती संस्थाओं का बेड़ा गर्क करने के लिए दे दिए गए हैं। टालमटोल के इतने अधिकार उनके हाथ में हैं कि इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों में अपने पैरों पर खड़े होने की कोई ताकत ही नहीं बची है। उनका अस्तित्व जनता के आदेश पर कम और राज्य सरकारों की सनक पर ज्यादा निर्भर है।'

इसी बात को और अधिक बेवाकी के साथ उन्होंने उसी समय देश की संसद के समक्ष व्यक्त किया था कि 'सत्ता के दलालों ने इस तंत्र पर कब्जा कर लिया है, सत्ता के दलालों के हित में इस तंत्र का संचालन हो रहा है, सत्ता के दलाल इस तंत्र की रक्षा कर रहे हैं।'

और अंत में वे पूरे सदन का आह्वान करते हुए कहते हैं कि 'हमें जनता में भरोसा है। जनता को ही अपनी किस्मत तय करनी है और इस देश की किस्मत भी। भारत के लोगों को आइए हम अधिकतम लोकतंत्र दें और अधिकतम सत्ता के दलालों का खात्मा करें। आइए, हम जनता को सारी सत्ता सौंप दें।'

और यह सही है कि यह विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका, लेकिन 73वें संविधान संशोधन का जो विधेयक 1992 में पारित हुआ और जिसके द्वारा नया पंचायतीराज लागू हुआ वह इसी संकल्प और धारणा पर आधारित था बल्कि किसी-न-किसी रूप में यही प्रस्ताव दुबारा प्रस्तुत हुआ था, लेकिन जनता को सत्ता सौंपने का यह संकल्प आज की तारीख में कौन-सा रूप ले चुका है और उसका यह स्वरूप आम लोगों के लिए कितना बड़ा चिन्ता का विषय बन चुका है इस पर विचार किया जाना ज्यादा जरूरी है।

उपरोक्त आधार पर यदि महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक पंचायतीराज के अभीष्ट का समन्वियत रूप में आकलन करें तो यही स्पष्ट होता है कि इन राष्ट्रनायकों की दृष्टि में 'पंचायतीराज' अपने समय को 'राज्य व्यवस्था' के विकल्प के रूप में चिन्हित किया गया था। महात्मा गांधी ने तो अपनी अन्तिम वसीयत (29 जनवरी 1948 को लिखी गयी डायरी का अंतिम अंश) में देश की आजादी को अधूरी मानते हुए जिस पूर्ण आजादी (7 लाख गांवों की आजादी) का आह्वान किया था, उसकी प्राप्ति का एकमात्र रास्ता 'पंचायतीराज' बताया। मूल रूप में उन्होंने 'स्वराज्य' की बात की थी 'स्वशासन' की नहीं। पंडित नेहरू और जयप्रकाश नारायण भी पंचायतीराज के माध्यम से भारत में आम आदमी की पूर्ण भागीदारी वाले सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की कोशिश में थे जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित 'राज्य व्यवस्था' के केन्द्रीकृत तंत्र का एकमात्र विकल्प था और दूसरे शब्दों में देश की वास्तविक आजादी थी। राजीव गांधी तो कदम-कदम पर अपने समय के तंत्र की कमजोरियों को बेनकाब करते नजर आते हैं और उसके विकल्प के रूप में नए पंचायतीराज व्यवस्था का सपना देखते हैं। वे तो शब्दों की दुनिया में औरों से दो कदम आगे बढ़कर जनता को उसकी सत्ता वापस करने का आह्वान करते हैं। अर्थात राज्य द्वारा जनता की जिस शक्ति का अपहरण किया गया है पंचायतों के माध्यम से वे उसे बड़ी ईमानदारी के साथ वापस लौटना चाहते थे।

**अंत में वे पूरे सदन का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हमें जनता में भरोसा है। जनता को ही अपनी किस्मत तय करनी है और इस देश की किस्मत भी। भारत के लोगों को आइए हम अधिकतम लोकतंत्र दें और अधिकतम सत्ता के दलालों का खात्मा करें। आइए, हम जनता को सारी सत्ता सौंप दें।**

लेकिन क्या 73वें संविधान संशोधन के साथ जो नया पंचायतीराज लागू हुआ है वह जनता के उसकी सत्ता वापस लौटा पाया है? या नहीं तो क्या इन वर्षों में उस दिशा में कुछ कदम भी आगे बढ़ पा है? यह आज गहरी समीक्षा का विषय है। यह कौन सी मूलभूत कमी है जो इस दिशा में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ी है? या फिर दिशा और दृष्टि में ही कोई बड़ी गलती हो रही है। क्या यह लोगों की स्वभावगत विशेषता है? या फिर सचमुच में कोई बहुत बड़ा दोष है? शायद यही समय है जब इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। मैं यहां इसकी सही समीक्षा का दावा तो नहीं करता लेकिन पिछले वर्षों के अनुभव के आधार वर विचार के लिए कुछ बिन्दु और संदर्भ अवश्य प्रस्तुत करना चाहुंगा। शायद यह आगे के लिए कोई रास्ता तलाशने में मदद कर सके।

पिछले 10 वर्षों में मेरे द्वारा पंचायतीराज व्यवस्था की जमीनी सच्चाई को प्रत्यक्ष रूप से जानने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। जिसमें से दो प्रयास काफी सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से किए गए। इसमें पहला वर्ष 1999 की अंतिम तिमाही के दौरान उत्तर भारत के पांच राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब) की लगभग 450 ग्राम पंचायतों में सामान्य जनता और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ चर्चा और अध्ययन के लिए की गई 'पंचपरमेश्वर यात्रा' थी। यह यात्रा लगभग 75 दिन की थी। साइकिल से गांव-गांव जाकर लोगों से नए पंचायतीराज (जो तब तक लगभग अपने पांच साल पूरे कर रहा था) के विभिन्न

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:53 AM Page 24



पक्षों पर समझ और अनुभव के परस्पर आदान-प्रदान का यह प्रयास था। दूसरा प्रयास वर्ष 2002 एवं 2003 में 'विकास, पंचायत और युवाओं' पर किया 'समाजशास्त्रीय शोध' कार्य था। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ देश के पांच राज्यों (कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश) की पंचायतीराज व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन था। इन दोनों प्रयासों के अध्ययन और चर्चा के सभी स्तरों पर मैंने प्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी दी थी। निश्चित रूप से शोध कार्य के दौरान उस समय तक पंचायतीराज व्यवस्था पर देश के अलग-अलग क्षेत्रों में जो अध्ययन उपलब्ध था उस पर भी मेरी ओर से गहरी दृष्टि डाली गई थी और उसे अपने अध्ययन में सहयोगी बनाया गया था।

इस अनुभव, अध्ययन और शोध के माध्यम से नई पंचायतीराज व्यवस्था के 15 वर्षों की उपलब्धियों पर दृष्टि डालने पर जो तथ्य उभरकर सामने आते हैं वे उपरोक्त चर्चा के क्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषकर उन संदर्भ में जो पंचायतीराज व्यवस्था को एक बेहतर विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है और स्वराज्य की अभिकल्पना के साथ सच्ची लोकतंत्र के रूप में चिहित करता है। जैसा कि पंचायतीराज के अभीष्ट के क्रम में यह देखने को मिला कि इसमें लोकभागीदारी कर स्थान सर्वोपरि है। इसी के साथ 'स्थानीय आवश्यकता' के अनुरूप विकास को 'मानवी चेहरे' और 'लोकाधारित व्यवस्था' को संवेदनशील स्वरूप के आधार पर 'आत्मनिर्भर गांव समाज' के पुनर्निर्माण की कल्पना इस अभीष्ट में संजोई गई है और यह सारा उपक्रम सरकार के भरोसे कम 'स्थानीय संसाधनों' के बलबूते स्थानीय लोगों द्वारा 'स्वयं की पहल' से किए जाने की बात बार-बार की गई है। अर्थात, लोक भागीदारी, आत्मनिर्भरता, स्थानीय पहल, स्थानीय संसाधन, लोकोन्मुखी विकास, परस्पर सहमति और सहयोग पर आधारित जन प्रयास जैसे संदर्भो (जो सच्चे पंचायतीराज की महत्वपूर्ण शर्ते है) की दृष्टि से वर्तमान पंचायतीराज व्यवस्था का आकलन करें तो जो सच्चाई सामने आती है यह लक्ष्य और अभीष्ट से अभी कोसों दूर है।

**ग्राम सभा जो लोकभागीदारी का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है बन चुका है। वह या तो दो-चार लोगों का आश्रय स्थल। यह कहीं से भी आत्मविश्वास और जिम्मेदारी से लैस जनो के संवाद और निर्णय की सभा नहीं बन पा रही है।**

'स्थानीय स्वशासन' अर्थात 'केन्द्रीय सत्ता प्राधिकरण' के कुछ अधिकारों के बंटवारे और दायित्वों के निर्वहन की दृष्टि से यह यात्रा भले कुछ दूर तक चली हो लेकिन 'लोक सामर्थ्य' और 'लोक उन्नयन' की जो कल्पना स्वतंत्र भारत में की गई थी उसका धरातल अभी भी काफी कमजोर नहजर आ रहा है। वास्तव में इसी विचार और दर्शन के इर्द-गिर्द ही मनुष्य के बेहतर जीवन का ताना-बाना खींचते हुए पंचायती व्यवस्था को 'विकल्प' के रूप में पहचाना गया था, लेकिन 'विकल्प' की यह यात्रा या तो शुरू ही नहीं हुई या फिर लगता है किसी गलत ट्रैक पर चल पड़ी है। क्योंकि अब तक का अनुभव और अध्ययन यही बताता है कि लोक भागीदारी के नाम पर पंचायतें कुछ व्यक्तियों तक सिमटकर रह गई है।

'ग्राम सभा' जो 'लोकभागीदारी' का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है बन चुका है। वह या तो दो-चार लोगों का आश्रय स्थल। यह कहीं से भी 'आत्मविश्वास' और जिम्मेदारी से लैस 'जनो' के संवाद और निर्णय की सभा नहीं बन पा रही है। इसी तरह 'आत्मानिर्भरता' जो 'स्थानीय आवश्यकता', 'स्थानीय संसाधन' और 'स्थानीय पहल' के द्वारा पैदा होनी थी उसका अस्तित्व इस पंचायतीराज व्यवसायिक में अभी कहीं दूर तक नजर नहीं आ रहा है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरकारी एजेंट के रूप में उसी (सरकार) की नजर में गांव की जरूरतों की पहचान कर रहा है और उसी के अनुदानों के साहरे उसके इशारे पर गांव के विकास का चेहरा ईंट और पत्थरों से बना रहा है। आवश्यकता, संसाधन और पहल की 'स्थानिकता' का अर्थ उनकी समझ और सुविधा दोनों से बाहर है।

'बहुमत' पर आधारित चुनाव पद्धति से निर्मित ग्राम पंचायतों में 'सहमति' के भाव की तलाश ही बेमानी हो गई है। 'जनसहयोग' जैसी पूंजी और ताकत की जरूरत न तो पंचायतों के एजेंडे का विषय रह गया है और न तो जन सामान्य इसके लिए अपने को कहीं से तैयार कर पा रहा है।

कुल मिलाकर यदि ईमानदारी से देखा जोए तो पंचायत 'सरकारी नियमों' के बलबुते सच्चे लोकतंत्र और सच्ची आजादी की बजाय सरकारी योजनाओं को सरकारी तरीके से ही हिन्दुस्तान के गांवों में लागू करने के भगीरथ प्रयास में लगी है। लोकजीवन की सामान्य व्यवस्था के सुधार अथवा परिवर्तन का लक्ष्य अभी उनकी कार्य सूची का विषय ही नहीं है।

वास्तव में इस सबके पीछे कुछ ऐसे मूलभूत तथ्य हैं जिसकी यह स्वाभाविक परिणति है। इन तथ्यों पर नजर डालें तो काफी कुछ स्पष्ट नजर आता है इसके लिए एक बार फिर से आजादी के पहले और आजादी के बाद इसकी विकास यात्रा पर दृष्टि डालनी होगी। लेकिन इससे भी पहले एक और मूलभूत तथ्य पर विचार आवश्यक है।

'समाज' और 'राज्य' दो अलग-अलग निकाय हैं। वैसे तो 'राज्य' को 'समाज' ने अपने हितों के संरक्षण के लिए खड़ा किया है। यह अलग बात है कि आज की तारीख में 'राज्य' का आकार और प्रकार इतना व्यापक होता जा रहा है कि समाज हाशिये पर खड़ा दिखाई पड़ रहा है। यह आज की तारीख का सबसे बड़ा संत्रास है। फिलहाल 'समाज' यदि 'संबंधों' से चलता है तो 'राज्य' 'कानून' से। 'समाज' का अभीष्ट यदि लोगों के बीच 'परस्पर भाईचारा' और 'सहयोग' है तो 'राज्य' का अभीष्ट 'सत्ता' और 'शक्ति' है। 'समाज' यदि स्वतः स्फूर्त है तो 'राज्य' समाज के संबंधों में आई विकृतियों को ठीक करने के लिए खड़ा किया गया। इस अर्थ में 'राज्य' को 'समाज' के लिए 'डॉक्टर' की भूमिका दी गई कि वह सामाजिक विकारों (परस्पर संबंधों की विसंगतियों के कारण पैदा हुए) का इलाज करेगा और समाज को स्वास्थ्य प्रदान करेगा। 'समाज' मूलतः 'संस्कृति' और 'परम्परा' से संचालित होता है, राज्य मूलतः 'संविधान' और 'कानून' से चलता है।

यह सही है कि आज की तारीख में समाज और राज्य का विभेद मिटता हुआ नजर आ रहा है और इसी क्रम में संस्कृति और संविधान के बीच की खाई भी पटती हुई नजर आती है। लेकिन दोनों के मूल तत्वों का अन्तर एक स्वाभाविक परिणति है। अतः आज की व्यवस्था के संकट और उसके समाधान के तरीके को समझने के

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:53 AM Page 25



लिए इन दोनों के मूलभूत अन्तरों को अवश्य समझना होगा और यह समझ वर्तमान पंचायतीराज व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। देखने की बात यह है कि पंचायत का पक्ष मूलतः समाज के साथ है या फिर राज्य के साथ। इसी अर्थ में यह भी विचारणीय है कि पंचायत के साथ संस्कृति और सर्वधिान का क्या और कितना रिश्ता है। यदि इस तथ्य को गहराई से समझा जा सके तो निश्यच ही आज की व्यवस्था और उसके परिप्रेक्ष्य में पंचायती व्यवस्था को समझना आसान हो जाता है। और यह समझ हमें उसकी ऐतिहासिक यात्रा के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा।

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि ब्रिटिश राज्य में उनकी अपनी परम्परा और सोच के आधार पर अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार लार्ड मैयो (1870) से लेकर शाही कमीशन आयोग (1909) तक जो प्रयास रहा यह 'केन्द्रीय सत्ता प्राधिकरण' को निरन्तर मजबूत करने तथा उसको लोकप्रिय और सर्वग्राह्य बनाने के लिए कुछ छिट-पुट अधिकार और दायित्व नीचे के स्तर पर 'स्थानीय स्वशासन' के नाम से निर्मित इकाइयों में दान करने की थी। उनके अनुसार चूंकि दिए गए अधिकार एवं दायित्व पर मूल अधिकार उनका था अतः उसकी सुरक्षा और सही उपयोग के नाम पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की ठोस कोशिश भी शामिल थी। जिसके चलते इस स्वशासन की व्यवस्था को प्रारंभिक दौर में ही नौकरशाही के अधीन रखा गया। जिलाधिकारियों को इसका मुख्य नियंत्रक बनाया गया। उसे इन पर नियंत्रण का पूर्ण अधिकार सौंपा गया। यह व्यवस्था आजादी के बाद भी कमोवेश पंचायतीराज व्यवस्था की एक अनिवार्य शर्त के रूप में जारी रही। 'सामुदायिक कार्यक्रम' की समीक्षा के बाद पंडित नेहरू ने यह कहते हुए कि 'लोगों पर भरोसा कीजिए या मत कीजिए, इसमें कोई आधी मंजिल नहीं होती' अपने तमाम व्यावहारिक अनुभवों का निचोड़ बताया था। लेकिन दुर्भाग्य से उनके ही पंचायतीराज व्यवस्था के ताने-बाने में आम आदमी पर अविश्वास के बड़ी मोटी परत डाल दी गई थी और इस परत को उघाड़ने की बात हर समय की जाती रही, लेकिन 73वें संविधान संशोधन में भी यह परत उघड़ नहीं सकी। बल्कि राजनीति और प्रशासन के निहित स्वार्थी तत्वों ने इसे और भी मजबूती के साथ फैला दिया है। जिसका परिणाम सामने है।

**73वें संविधान संशोधन के भीतर से पैदा हुई यदि कुछ विसंगतियों की बात करें तो उसमें गांवों के पुनपरिसीमन के आधार पर ग्रामों को परिभाषित करने की नई प्रक्रिया ने सबसे अधिक चोट पहुंचाई है।**

यह सही है कि विकास और तथाकथित 'अच्छे प्रशासन' के नाम पर संचालित इस व्यवस्था के कई ऐसे तकनीकी पक्ष है जिसकी समझ और कुशलता आम ग्रामीणजनों में नहीं है। जो एक स्वाभाविक स्थिति है। उन्हें अपने 'परिवेश', 'परम्परा' और 'संस्कार' के अनुरूप अभी कार्य काने और चीजों को समझने की दृष्टि है। निश्चय ही बदली हुई परिस्थितियों में समय के अनुसार उसमें बदलाव और विकास की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि उनकी इस कमी की तो ढोल पीटा जाए और साथ ही इस कमजोरी का अपने निहित स्वार्थ में फायदा भी उठाया जाए। होना तो यह चाहिए था कि पूरी ईमानदारी के साथ उनकी समझ और कौशल को बढ़ाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर समुचित प्रबंध किए जाते। लेकिन आज की सच्चाई यह है कि नए पंचायतीराज के बारे में आम जनता की जागरूकता की बात कौन कहे अधिकांश राज्यों में पंचायत प्रतिनिधियों की समझ और कौशल को विकसित करने की कभी भी गंभीर कोशिश नहीं की गई। जो भी इस दिशा में किया गया वह सरकारी तंत्र के माध्यम से बहुत ही सतही तरीके से औपचारिकता के रूप में रहा। कुछ स्वयंसेवी संगठनों द्वारा अपनी सीमाओं में छिट-पुट सार्थक प्रयास जरूर हुए लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरा था। आज चारों ओर पंचायत प्रतिनिधियों के नकारेपन के गीत बड़े जोर-शोर से बढ़ा-बढ़ाकर गाए जा रहे हैं और यह सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि यह प्रयास निरर्थक है। भारत के 'गांव समाज' के साथ यह एक और बड़ी साजिश है।

जहां तक 73वें संविधान संशोधन का सवाल है उसमें 'ग्राम स्वराज्य' के तत्वों की कौन कहे 'ग्राम स्वराज्य' शब्द का ही प्रयोग नहीं किया गया है। 'स्थानीय स्वशासन' की इकाई के रूप में ही पंचायत को चिन्हित किया गया है। वास्तव में यह संत्रास तो संविधान के मूल ढांचे के साथ ही जुड़ा है। भारत के संविधान को लेकर यहां किसी व्यापक एवं गंभीर चर्चा का न तो अभी प्रसंग है और न तो समय और औचित्य। लेकिन फिर भी एक संदर्भ बहुत ही प्रासंगिक है। जो सर्वविदित भी है। संविधान बनने के अंतिम दौर में जब महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका के दिसम्बर 1947 के अंक में संविधान के मूल आधार का संदर्भ देते हुए गांव की पंचायत प्रणाली की शामिल नहीं किए जाने पर सवाल खड़ा किया तब एक विचार-मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। संविधान की ड्राफ्ट कमेटी ने अपने दूसरे (4-9 नवम्बर 1948) तथा तीसरे (17-26 नवम्बर 1949) रीडिंग सैशन के दौरान एक लम्बी चर्चा की। जिसके पक्ष-विपक्ष में अनेक तर्क सामाने आए और जैसा कि हम सब जाते हैं कि यह पूरी तरह कमेटी के एक सदस्य 'के. संतानम' के उस प्रस्ताव में सिमटकर रह गई जिसे नीति-निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत धारा 40 के रूप में संबोधित किया जाता है।

वास्तव में बापू का यह सवाल मूल रूप से सिर्फ पंचायत के लिए ही नहीं बल्कि उसके बहाने 'संविधान' के 'मूल आधार' और मूल आत्मा पर प्रश्न खड़ा करना था। क्योंकि कहीं से वही गड़बड़ा गया था। उनके जिस सोच और चिन्तन के आधार पर आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी उसका वास्तविक चित्र ही बिगड़ रहा था। आजादी के बाद संविधान के दर्जनों संशोधनों ने इस सवाल को और अधिक मजबूती के साथ खड़ा किया है। राजीव गांधी ने भारत के गांवों के सामान्य जनों की आजादी और बेहतरी का जो सपना संजोया वह बापू के सपने का एक अंश था। लेकिन उस सपने के लिए न तो भारत के संविधान में 1950 में कोई सही और उपयुक्त जगह मिली और न तो 1992 में। संविधान के दायरे में इस दिशा में की जाने वाली तमाम कोशिशें आज भी अधूरी है। बल्कि यदि यह कहें कि भारत की आत्मा और स्वभाव तथा उसके विकास की दिशा संविधान की धाराओं में आज भी भटक रही है तो शायद गलत नहीं होगा।

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:53 AM Page 26



73वें संविधान संशोधन के भीतर से पैदा हुई यदि कुछ विसंगतियों की बात करें तो उसमें गांवों के पुनपरिसीमन के आधार पर 'ग्रामों' को परिभाषित करने की नई प्रक्रिया ने सबसे अधिक चोट पहुंचाई है। इससे लगता है कि भारत के गांव, गांव समाज और उसकी संस्कृति (क्योंकि उसे गांव के ही दायरे में पहचाना जाता है) को या तो ठीक से समझा नहीं गया या फिर जान-बूझकर अपनी सुविधा के लिए उसको उपेक्षित किया गया। अन्यथा संसद में विधेयक पेश करते समय राजीव गांधी द्वारा संस्कृति और परंपरा की तथा मूल्य और आदर्शों की रक्षा करने के लिए उठाए गए कदम के रूप में पंचायतीराज विधेयक को संदर्भित न किया गया होता।

भारत में 'ग्राम' शब्द वैदिक काल से ही प्रचलित रहा है और शताब्दियों से यह 'ग्राम' भूगोल का कम संस्कृति और इतिहास का अधिक विषय रहा है। हर 'ग्राम' का अपना एक 'समाज' (संबंधों की श्रृंखला) होता है और उसी के साथ उनके बीच रिश्तों की एक लम्बी परम्परा होती है। उनके बीच सिर्फ 'परिवार' ही नहीं 'पड़ोस' भी होता है। शताब्दियों से चली आ रही 'पंचायत' ने सदैव इसी 'परिवार' और पड़ोस की बचाने का या बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई है। 'परिवार' और पड़ोस से मिलकर बनने वाले गांव के साथ पंचायत का रिश्ता अत्यंत ही सहज और स्वाभाविक रहा है।

लेकिन 73वें संविधान संशोधन की धारा 243, जिसमें 'ग्राम' को राज्यपाल द्वारा नए सिरे से विनिर्दिष्ट किए जाने का प्रावधान है, भारत के गांव की उपरोक्त विशेषता को बहुत अधिक क्षति पहुंचाई है। निश्चय ही यह प्रावधान 'स्वशासन की इकाई' के रूप में ग्राम पंचायतों को विकसित करने हेतु प्रशासनिक सुविधा को दृष्टि में रखते हुए किया गया है। शताब्दियों से चली आ रही पारंपरिक जीवन शैली और परिवेश तथा गांव जीवन की सांस्कृतिक चेतना (सहजीवन और सहअस्तित्व) के ऊपर प्रशांसनिक सुविधा ज्यादा भारी पड़ी। उसके लिए सारे सांस्कृतिक और स्वाभाविक जीवन पद्धति के ताने-बाने को क्षण भर में छिन्न-भिन्न कर दिया गया। 'गांव' और 'गांव समाज' को तोड़ डाला गया। राज्यपालों की अधिघोषणा के बाद राज्यों में आबादी का एक और गुड़ीय चरित्र क्षेत्र आधारित तरीके से उठ खड़ा हुआ और इसने पंचायतीराज व्यवस्था में आपसी टकराव और संघर्ष केक बहुत सारे नए संदर्भ तैयार कर दिए। इतना ही नहीं 'सहमति' और 'सहयोग' के बलबूते चलने वाले 'परिवार' और 'पड़ोस' की जीवन शैली में और भी अधिक बिगाड़ आ गया क्योंकि नए 'पड़ोस' के बनने के लिए न तो समय रहा और न तो धैर्य।

इसी प्रकार जहां एक और प्रतिनिधियों से बनने वाली 'ग्राम पंचायत' को राज्य सरकारों के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया। जबकि आधारभूत स्तर पर सच्चे लोकतंत्र और सच्ची आजादी की दृष्टि से 'ग्रामसभा' सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं बल्कि भारत की परंपरा में जिस पंचायत प्रणाली की बात की जाती है वहां पंचायत का मतलब 'गांव' की बैठकी होता रहा है। गांव की बैठकी अर्थात गांव की सभा। संविधान की भाषा में 'ग्रामसभा'। इसका परिणाम यह हो रहा कि चुने हुए प्रतिनिधि और उनका समूह इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण हो गया है। जबकि ग्राम के समग्र मतदाता की सभा 'ग्रामसभा' दोयम दर्जे पर खड़ी है। एक बार फिर से 'सहभागी लोकतंत्र' की बजाय 'प्रतिनिधित्व लोकतंत्र' को ही पुनर्प्रतिष्ठित कर दिया गया। जबकि पंचायतों के माध्यम से 'सहभागी लोकतंत्र' का सपना संजोया गया था।

वास्तव में यहां फिर से 'स्वशासन' और 'स्वराज्य' का ही सवाल खड़ा होता है। 'प्रतिनिधित्व लोकतंत्र' पर आधारित वर्तमान राज्य व्यवस्था की कमजोरियों और विसंगतियों से निजात पाने की ललक के साथ ही 'पंचायती व्यवस्था' को सभी राष्ट्रनायकों ने विकसित करना चाहा था। इसे 'विकल्प' के रूप में पहचाना था। लेकिन उसे भी 'प्रतिनिधित्व लोकतंत्र' के ढांचे में ही फिट किया जा रहा है। वे सारे विकार जो उसमें स्वभावगत हैं वह स्वतः हो रहे हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी साम्राज्य ने अपनी सत्ता के संचालन के लिए जो 'शासन तंत्र' निर्मित किया था आजादी के बाद भी यह यथावत चलता रहा। उसमें कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हो सका। उसकी विकृतियों से अब तक सभी परिचित हो चुके हैं। 'स्वशासन' के नाम पर उसी शासन तंत्र की एक और कड़ी को गांव पर विकसित करने की कोशिश चल रही है। क्योंकि वर्तमान पंचायतीराज यदि राजनैतिक इच्छा का परिणाम है तो उसका क्रियान्वयन वर्तमान नौकरशाही के अधीन एक प्रशासनिक कार्यवाही का हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। इसमें 'लोक-आकांक्षा' और 'लोक-शक्ति' का जमाव स्पष्ट है। अतः इसकी जो स्थिति नजर आ रही है। उसमें यह भी एक महत्वपूर्ण करण है। निष्कर्ष के रूप में यदि देखें तो यह पंचायती व्यवस्था 'राज्य' और 'राज्य' की विशेषताओं के साथ अधिक नजर आती है बल्कि 'समाज' की विशेषताओं के। इस संदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि जब यह 'समाज' की आकांक्षा और मांग का परिणाम न होकर 'राज्य' की सद्इच्छा और कृपा का परिणाम है तो यह स्वाभाविक परिणति है। जबकि शताब्दियों की परंपरा यह बताती है कि पंचायत इस देश में 'राज्य' का उपादान न होकर समाज की अपनी व्यवस्था थी और इसी व्यवस्था ने शताब्दियों से भारत के गांव और गांव समाज को बचाए रखा जिसे भारत की संस्कृति बची रही। 'इकबाल' ने भारतीय संस्कृति के बचे रहने की जिस खास बात का जिक्र किया है वह निश्चय ही कहीं से 'पंचायत प्रणाली' ही थी। लेकिन आज की तारीख में गलत ट्रैक के कारण इसी पंचायतीराज से भारत के गांव समाज में टूटन और विघटन के नए-नए कारण पैदा हो रहे हैं। यह सही है कि भौतिक विकास के नाम पर आज वह सब बहुत कुछ हो रहा है जो पिछले कई दशकों से नहीं हो पा रहा था लेकिन यह भी सही है कि इस विकास का चक्र कुछ इस तरह से धूम रहा है कि इसमें गांव जीवन की सहजता, प्रेम और भाईचारा, संबंध की गरमाहट तथा सहमति और सहयोग की भावना पिसती जा रही है। इसी नाते बड़ी गम्भीरता के साथ 'स्वशासन' और 'सहमति' के बारे में 'राज्य' और 'समाज' के बारे में, 'संविधान' और 'संस्कृति' के बारे में 'बहुमत' और 'सहमति' के बारे में नए सिरे से सोचना होगा और समय और समाज की मांग के अनुसार इन सबों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाना होगा जो उन सपनों को साकार करने में सहायक हो सके जो राष्ट्रनायकों ने देखे थे। निश्चय ही इसके लिए की जाने वाली हर कोशिश का रास्ता 'पंचायतों' से ही होकर गुजरेगा। साथ ही यह रास्ता ऊपर से नीचे की ओर नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर चलता है। इसके लिए राज्य से अधिक समाज को सक्रिय होना होगा। क्योंकि समाज का रास्ता नीचे से ऊपर की ओर चलता है जो विकास का सही तरीका है। स्वराज्य का मार्ग भी कुछ ऐसे ही बनता है। जब इस पर चलना शुरू होगा तभी सवालों के उत्तर भी मिलेंगे।

# पंचायत में परिचर्चा

पंचायत दिवस के अवसर पर 19 फरवरी 2016 को डॉ विजय कुमार और डॉ ओंकार मित्तल ने पंचायत में एक सार्थक परिचर्चा का क्रम आरंभ किया। फिर शनिवार, 19 मार्च 2016 को पंचायत परिषद मुख्यालय में विभिन्न मुद्दों पर बातचीत का साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया। तीन घंटे चलने वाली यह चर्चा अब समय-समय पर आयोजित की जाती है।

**परिचर्चा में शामिल विशेषज्ञों की सूची**

वीरेश्वर सिंह भदौरिया, पूर्व प्राध्यापक, रूड़की

के.वी. सक्सेना, भा.प्र.से. के पूर्व अधिकारी

डॉ तेज नारायण झा, अर्थशास्त्री आरबीआई

डॉ नरेन्द्र सिंह गौतम, ब्लॉक प्रमुख, फतेहपुर

डॉ हिशमी हुसैन, पर्यावरणविद

शीतला शंकर विजय मिश्र, विधि विशेषज्ञ

डॉ चन्द्रशेखर प्राण, लेखक तीसरी सरकार

ध्रुव नारायण, प्रकाशक, दानिश बुक्स

विद्युत मोहंती, विशेषज्ञ आईएसएस

मनोरंजन मोहंती, प्राध्यापक, राजनीति

रमेश चन्द शर्मा, गांधीवादी समाजसेवी

संजय सिंह, सीईओ, डिजिटल इंडिया

इसमें भाग लेने के लिए पंचायत संदेश कार्यालय में
संपर्क अधिकारी रमाकांत शुक्ल से संपर्क करें
संयोजकः कौशल किशोर

## अखिल भारतीय पंचायत परिषद

बलवंतराय मेहता पंचायत भवन (पंचायत धाम)

368, मयूर विहार फेज 1, दिल्ली 110091, दूरभाषः 01122752573-74

E-mail: aipp24x7@gmail.com, Website: aipp.in

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:53 AM Page 28



# पंचायती राज : संवैधानिक परिप्रेक्ष्य

**एस के दूबे**

स्थानीय शासन को संविधान के आठवें अनुच्छेद में राज्य सूची के अंतर्गत एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। संविधान की धारा 40, जिसमें ग्राम-शासन की बात कही गई है, इस प्रकार है:-

ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें ऐसी शक्तियां व अधिकार प्रदत्त करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, जो उन्हें स्वशासी इकाइयों के रूप में काम करने के योग्य बनाने के लिए जरूरी होंगे।

यह धारा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। लेकिन इसे लागू करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया था। गांवों के बहुमुखी आर्थिक विकास के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरूआत करना जरूरी था ताकि एक ऐसा संस्थागत तंत्र बनाया जाए, जिसमें स्थानीय समुदायों को विकास प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। सन 1957 में बलवंतराय मेहता समिति के नाम से विख्यात सामुदायिक विकास और पंचायती राज अध्ययन दल ने एक ऐसी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की थी, जिसके मध्यमवर्ती स्तर अर्थात पंचायत समिति को, विकेन्द्रीकरण की योजना में प्रमुख स्थान प्राप्त था। समिति का क्षेत्राधिकार सामुदायिक विकास खंड के क्षेत्राधिकार के समान था तथा इसके सदस्यों का चयन सीधे किया जाता था। इस प्रणाली की व्यवस्थानुसार पंचायत समितियों के प्रधानों से मिलकर जिला परिषद् बनती थी जिसके अध्यक्ष जिलाध्यक्ष/उपायुक्त होते थे। यह कल्पना की गई थी कि जिला स्तर पर यह एक परामर्शदायी संस्था होगी। इस त्रिस्तरीय प्रणाली के सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायतों को रखा गया। इसलिए, अधिकांश राज्यों ने पंचायती राज कानून लागू किए। वैसे तो अधिकांश राज्यों ने सामान्यतया बलवंतराय मेहता समिति द्वारा सुझाई गई प्रणाली का अनुसरण किया, लेकिन स्थानीय आवश्यकताओं व मान्यताओं को देखते हुए कुछ स्थानीय परिवर्तन किए गए। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र और गुजरात ने पर्याप्त प्रशासनिक शक्तियों वाली जिला परिषदों को मजबूत बनाकर जिला स्तर को प्रमुखता प्रदान की। फिर भी, राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियों के विकेन्द्रीकरण का विचार नीति नियंताओं को उस समय नहीं सूझा।

**सन 1957 में बलवंतराय मेहता समिति के नाम से विख्यात सामुदायिक विकास और पंचायती राज अध्ययन दल ने एक ऐसी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की थी, जिसके मध्यमवर्ती स्तर अर्थात पंचायत समिति को, विकेन्द्रीकरण की योजना में प्रमुख स्थान प्राप्त था।**

पंचायती राज की दिशा में किया गया प्रथम प्रयोग उत्साहवर्द्धक नहीं रहा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जोर घटते ही विकास खंडों को मिलने वाली धनराशि की भारी मात्रा में घटते-घटते बहुत कम हो गई। कई राज्यों में बहुत लम्बे अर्से तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं कराये गये। कुछ राज्यों में जिला स्तर पर समानांतर संस्थाओं ने जन्म ले लिया, जिससे विकास नियोजन और क्रियान्वयन के बारे में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

इन सब बातों को देखते हुए, इस पूरे मसले पर नए सिरे से विचार करने के लिए अशोक मेहता समिति गठित की गई। समिति ने 1978 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में पंचायती राज के महत्व पर एक बार फिर बल दिया, परंतु इस समिति और बलवंतराय मेहता समिति के सुझावों में एक महत्वपूर्ण अंतर था। इसने दो स्तरों वाले पंचायती राज ढांचे का सुझाव दिया।

जिला स्तर पर जिला परिषद् और जिला परिषद् से नीचे 20 से 30 हजार तक की जनसंख्या वाले ग्राम समूहों के लिए मंडल पंचायत परिषद् को प्रमुख भूमिका दी गई। समिति ने पंचायत चुनावों के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की अधिकारिक स्तर पर भागीदारी की भी सिफारिश की। हालांकि केन्द्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन तीन राज्यों पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने अपने-अपने यहां पंचायती राज को नया जीवन देने के लिए कदम उठाए, जिनके अंतर्गत जिला परिषदों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया और पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त अधिकार और दायित्व सौंपे गए।

ग्रामीण विकास के लिए मौजूद प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए 1985 में योजना आयोग द्वारा नियुक्त जी.वी.के. राय समिति ने पंचायती राज संस्थाओं में नवजीवन का संचार करने की सिफारिश की, ताकि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी के काम का अधिकाधिक उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा जा सके। समिति ने नियोजन कार्यों को जिला स्तर पर विकेन्द्रित नियोजन इकाईयों को सौंपने पर भी विचार किया।

तब भारत सरकार ने जून 1986 में डा. एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसे पंचायती राज संस्थाओं को नया जीवन देने के लिए एक अवधारणा पत्र तैयार करने का काम सौंपा गया। समिति ने सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के अंतर्गत मान्यता प्रदान की जाए, संरक्षण प्रदान किया जाए, तथा इसके सवंधान में एक नया अध्याय शामिल किया जाए। समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए नियमित, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के बारे में संवैधानिक प्रावधानों का भी सुझाव दिया।

भारत सरकार ने 64वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे लोकसभा ने 10 अगस्त 1989 को पारित कर

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:53 AM Page 29



दिया। यह एक व्यापक विधेयक था, जिसमें सभी राज्यों और 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले केन्द्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण, मध्यवर्ती और जिला स्तरों की समान तीन-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के गठन, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था, सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए पांच वर्ष की सुनिश्चित अवधि और समय से पर्वू इन संस्थानों के भंग होने की स्थिति में छः महीने के भीतर चुनाव कराने की व्यवस्था, पंचायती राज संस्थानों को विशेष शक्तियां, अधिकार और दायित्व, संविधान में नई अनुसूची (11वीं अनुसूची) जोड़ना, पंचायतों को सौंपे जा सकने वाले विषयों का उल्लेख, निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के चुनाव कराने की व्यवस्था आदि पंचायती राज संस्थाओं से सम्बंधित अत्यावश्यक पहलुओं का समावेश किया गया था। लोकसभा ने तो इस विधेयक को मंजूरी दे दी, परंतु राज्यसभा में यह पारित नहीं हुआ।

1990 में, पंचायती राज संस्थानों को मजबूत बनाने से संबंधित मसलों पर नए सिरे से विचार किया गया। जून 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें इस पर विचार विमर्श हुआ। सम्मेलन ने एक नए संविधान संशोधन विधेयक को पेश किए जाने के प्रस्तावों का समर्थन किया।

**1990 में, पंचायती राज संस्थानों को मजबूत बनाने से संबंधित मसलों पर नए सिरे से विचार किया गया। जून 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें इस पर विचार विमर्शः हुआ। सम्मेलन ने एक नए संविधान संशोधन विधेयक को पेश किए जाने के प्रस्तावों का समर्थन किया।**

परिणामस्वरूप, 7 सितम्बर 1990 को लोकसभा में संविधान (74वां संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया गया। लेकिन इस विधेयक पर चर्चा तक नहीं की गई।

इस मामले पर 1991 में एक बार फिर विचार किया गया। संविधान (72वां) संशोधन विधेयक 16 सितम्बर 1991 को प्रस्तुत किया गया, जिसे बाद में ब्यौरेवार समीक्षा के लिए दिसम्बर 91 में संसद की संयुक्त प्रदर समिति को सौंप दिया गया। संयुक्त समिति ने जुलाई 92 में अपनी रिपोर्ट, संसद को प्रस्तुत की। अंततः 22 दिसम्बर 1992 को संविधान (72वां संशोधन) विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया तथा राज्य सभा ने इसे 23 दिसम्बर 1992 को पारित कर दिया। रिकार्ड समय में 17 राज्यों ने इस विधेयक की पुष्टि कर दी। भारत के राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल, 1995 को इस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान की और संविधान (75वां संशोधन) अधिनियम, 1992, 24 अपैल 1993 से लागू हो गया।

**संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 की प्रमुख विशेषताएं**

73वें संशोधन संविधान अधिनियम में स्थानीय स्व-शासन की इकाइयों के रूप में तीन स्तर की पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है। इसमें पंचायत संस्थाओं के लिए नियमित चुनावों, एक राज्य निर्वाचन आयोग और एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण, पिछड़ी जातियों के नागरिकों के लिए आरक्षण के अधिकार प्रदान करने वाले प्रावधानों आदि की व्यवस्थाएं भी हैं। इन संस्थाओं को उपयुक्त स्तरों पर पर्याप्त अधिकार व दायित्व सौंपे जाएंगे ताकि वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार कर सकें और उन्हें अमल में ला सकें।

ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली का आधार माना गया है। यह राज्य विधान मण्डलों द्वारा सौंपे गए कार्यों तथा अधिकारों का इस्तेमाल करेगी।

गांवों, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के तीन स्तर होंगे। बीस लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को ही यह अधिकार होगा कि यदि वे चाहें तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन न करें। धारा 243 एल के अधीन, राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है।

**पंचायतों में आरक्षण**

पंचायतों में प्रत्येक स्तर पर सभी स्थानों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनावों द्वारा भरा जाएगा। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और क्षेत्र के लिए निर्धारित स्थानों का अनुपात पूरे पंचायत क्षेत्र. में समान रहेगा।

हर स्तर पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत क्षेत्र विशेष में उनकी जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं के लिए कुछ स्थानों के कम से कम एक तिहाई स्थान आरक्षित होंगे। इसी प्रकार पंचायत में प्रत्येक स्तर पर अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ये पद उसी अनुपात में आरक्षित होंगे जो राज्य में कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या का अनुपात है। इसके अतिरिक्त राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा पंचायत में किसी स्तर पर या अध्यक्षों के पदों के लिए किसी भी स्तर पर पिछड़ी जातियों के नागरिकों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जा सकता है।

प्रत्येक स्तर की पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा तथा यदि यह पहले भंग हो जाती है या कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो भंग होने या कार्यकाल समाप्ति की तिथि के छह महीनों के भीतर दुबारा चुनाव कराना अनिवार्य होगा।

24 अप्रैल 1993 से अर्थात 73वें संविधान संशोधन के लागू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर और उसके बाद हर पांचवें वर्ष की समाप्ति के बाद प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग गठित किया जाएगा, जो राज्यों और प्रत्येक स्तर पर पंचायतों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण तथा हस्तांतरण के नियंत्रक सिद्धांतों और पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने के उपायों पर विचार करेगा।

पंचायतों में मतदाता सूचियों को तैयार करने और सभी चुनाव करवाने का काम राज्य निर्वाचन आयोग का होगा, जिसका गठन प्रत्येक राज्य में किया जाएगा। और अंत में,

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:53 AM Page 30



29 मदों वाली ग्यारहवीं अनुसूचि जोड़ी गई है, जिसके द्वारा स्थानीय महत्व के कामों की योजना बनाने और क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थानों को प्रभावी भूमिका प्रदान की गई है। इन कामों में पेयजल, कृषि भूमि संरक्षण और जल प्रबंध से लेकर संचार, गरीबी हटाने के कार्यक्रम, परिवार कल्याण, शिक्षा, पुस्तकालय तथा सांस्कृतिक गतिविधियां, सामुदायिक परिसम्पतियों के रखरखाव आदि के काम शामिल होंगे।

संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों तथा धारा 243 एम के उल्लिखित कुछ मान्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। इन क्षेत्रों में धारा 244(1) के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रऔर धारा 244(2) के अंतर्गत जन जातिय क्षेत्र, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र, (जिनके लिए जिला परिषद अधिनियम मौजूद है) तथा पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग जिला (जिसके लिए दार्जिलिंग गौरखा पर्वतीय परिषद है) आते हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि इम्फाल, थोउबल और विष्णुपुर के तीन घाटी जिलों के अलावा समूचे राज्य में फैले पर्वतीय क्षेत्र न तो संविधान की पांचवीं अनुसूची में आते हैं और न ही छठी अनुसूची में।

धारा 243 एम (1) के अनुसार संविधान का खंड-9, उन जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जिन पर छठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं।

**ये क्षेत्र इस प्रकार है:-**

(क) असम का उत्तरी कछार पर्वतीय जिला और मिकिर पर्वतीय जिला

(ख) मेघालय के खासी, जयंतिया और गारो पर्वतीय जिला

(ग) त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र और

(घ) मिजोरम का चकमा जिला, लाखेर जिला और पावीं जिला।

धारा 243 एम (1) में यह भी व्यवस्था है कि संविधान के खंड-9 के प्रावधान उन अनुसूचित इलाकों पर नहीं लागू होंगे तो संविधान की पांचवीं अनुसूची में अधिसूचित है। केवल आठ राज्यों में अधिसूचित इलाके हैं। वे इस प्रकार है -

**(क) आंध्र प्रदेश**

(1) पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी और विशाखापत्तनम एजेंसियां (2) महबूब नगर ताल्लुक (महबूब नगर जिला) (3) आदिलाबाद जिले के आदिलाबाद, किनवात, बोआंच, उत्नूर, सेफाबाद, लक्षतिपेट, राजुरा और सिरपुर ताल्लुकों तथा (4) वारंगल जिले के पालोंचा मुलुज औरवैल्लानाडु ताल्लुक के कुछेक अधिसूचित क्षेत्र

**(ख) हिमाचल प्रदेश**

(1) लाहौल और स्फीति जिला और किन्नौर जिला तथा (2) चम्बा जिले की पांगी तहसील और भरमोर सब तहसील।

**(ग) झारखंड**

(1) रांची और सिंहभूम जिले, (2) पलामू जिले की लटेहर सब डिवीजन (3) गढ़वा जिले का भंडारिया ब्लाक (4) संथाल परगना जिले के दुमका और जमात्रा सब डिवीजन (5) साहेबगंज जिले के पकुर और राजमहल तथा (6) गोडा जिले के बोअरीजोर और सुंदर पहड़ी ब्लाक।

**(घ) गुजरात**

(1) डांरस जिला और (2) सूरत भड़ूच बलसाड, पंच महल, बड़ोदरा और साबरकांठा जिलों के कुछ अधिसूचित क्षेत्र।

**(ड.) मध्य प्रदेश**

(1) झबुआ, मंडवा, सरगुना और बस्तर जिले तथा (2) धार, सरगोन, खंडवा, रतलाम, बेतुल, सिवनी, बालाघाट, होशंगाबाद रायगढ़, सीधी, विलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर और छिंदवाड़ा जिलों के अधिसूचित क्षेत्र।

**(च) उड़ीसा**

(1) मयूरगंज, सुंदरगढ़ और कोरापुट जिले तथा (2) कियोंझर गंजम, कालाहांडी और वालेश्वर जिलों में अधिसूचित क्षेत्र।

**(छ) राजस्थान**

(1) बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले तथा (2) उदयपुर, चितौड़गढ़ और सिरोही जिलों के अधिसूचित क्षेत्र।

**(ज) महाराष्ट्र**

(1) ठाणे, नासिक, धुले, जलगांव, अहमदनगर, पुणे, नांदेड़, अमरावती, यवतमाल, गढ़विरोली और चंद्रपुर जिलों में अधिसूचित क्षेत्र।

उल्लेखनीय है कि वास्तव में अधिसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित आशिक रूप से वर्जित क्षेत्रों और वर्जित क्षेत्रों की अवधारणा के रूपांतरित प्रतिरोपण है। इन क्षेत्रों को सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता था।

इन क्षेत्रों के लिए बिल्कुल अलग व्यवस्था की बात पर शायद ही विवाद की गुंजाइश हो, क्योंकि इन जनजातीय क्षेत्रों की अपनी प्रशासनिक व्यवस्था थी जो केवल सामाजिक और पारांपरिक नियमों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि यह इससे भी आगे तक फैली थी और इसमें न्याय करने और व्यक्ति के आचरण के प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया तक शामिल थे तथा अंततः इस प्रक्रिया ने जनजातीय सामाजिक मूल्यों को जीवित रखा था। इसलिए इस अवधारणा का बुनियादी उद्देश्य इन पारंपरिक समूहों या समाजों के परंपरागत अधिकारों को सुरक्षित रखना है और इसके साथ-साथ विकास के लाभ उन तक पहुंचाना भी है। यह अवधारणा जनजातीय सामाजिक रीति रिवाजों और विकास के बीच तालमेल पर बल देती है। लेकिन वास्तविक जीवन में जो चित्र उभरता है, वह इन दावों को खोखला सिद्ध करता है। वास्तविकता में तो इससे जनजातियों के शोषण और परिणामस्वरूप उनके कष्टों तथा उन्हें सुविधाओं से वंचित रखने की बात उजागर होती है।

**अधिसूचित क्षेत्रों के लिए कानून**

आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र,

**इन जनजातीय क्षेत्रों की अपनी प्रशासनिक व्यवस्था थी जो केवल सामाजिक और पारांपरिक नियमों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि यह इससे भी आगे तक फैली थी और इसमें न्याय करने और व्यक्ति के आचरण के प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया तक शामिल थे तथा अंततः इस प्रक्रिया ने जनजातीय सामाजिक मूल्यों को जीवित रखा था।**

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:53 AM Page 31



मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों के पंचायती राज कानून समान रूप से पूरे राज्य पर लागू होते हैं तथा अधिसूचित क्षेत्रों के लिए इनमें कोई अपवाद नहीं रखा गया है। कई लोगों के मतानुसार यह ऐसे क्षेत्रों पर जबरन कानून लागू करने का मामला है जिन पर ये कानून स्वयंमेव लागू होते ही नहीं हैं।

यहां पर कहा जा सकता है कि कानून को लागू करना विधान के मान्य स्वरूप में से एक है। कानून लागू करने की शक्ति का अभिप्राय वास्तव में किसी अधिनियम के खंडों को इस प्रकार से कानूनी रूप से लागू करना है जैसे कि पूरे अधिनियम को लागू कर दिया हो। किसी कानून का हवाला देकर या किसी कानून को उद्धृत करके या किसी कानून या उसके किसी अंश को शामिल करने से कानून बनाया जा सकता है। राज्यपाल को ऐसे नियम बनाने का पूरा अधिकार है, जो कानून हों और जिस प्रकार संसद किसी राज्य विशेष पर लागू किए जाने के लिए कानून बना सकती है, उसी प्रकार राज्यपाल भी संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र पर संशोधनों में निर्दिष्ट कानूनी प्रावधानों को लागू कर सकता है।

इस मामले पर गौर करते समय पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियों को भी ध्यान में रखना होगा। संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 5(1) में प्रावधान है कि सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा राज्यपाल निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य विधान मंडल का कोई अधिनियम विशेष किन्हीं अधिसूचित क्षेत्रों या उनके हिस्सों पर लागू होगा या नहीं। इसके लिए छूटों और रूपांतरणों को अधिसूचित किया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि संबद्ध राज्यों द्वारा पारित किए जाने वाले नए पंचायती राज कानूनों को सीधे ही राज्य के राज्यपाल द्वारा संबद्ध जनजातीय सलाहकार परिषदों से परामर्श करके आवश्यक संशोधनों के साथ अधिसूचित क्षेत्रों पर भी लागू किया जा सकता है।

**पांचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 5(2) के अनुसार राज्यपाल द्वारा राज्य के किसी भी क्षेत्र के लिए जो फिलहाल अधिसूचित क्षेत्र हो, शांति और अच्छी सरकार की दृष्टि से आवश्यक नियम बनाए जा सकते हैं। इसलिए संविधान में यह प्रावधान समाविष्ट है ताकि इन क्षेत्रों में शांति और अच्छे शासन की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।**

पांचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 5(2) के अनुसार राज्यपाल द्वारा राज्य के किसी भी क्षेत्र के लिए जो फिलहाल अधिसूचित क्षेत्र हो, शांति और अच्छी सरकार की दृष्टि से आवश्यक नियम बनाए जा सकते हैं। इसलिए संविधान में यह प्रावधान समाविष्ट है ताकि इन क्षेत्रों में शांति और अच्छे शासन की आवश्यकता को पूरा किया जा सके और इस संबंध में केवल राज्यपाल ही इसकी आवश्यकता के बारे में निर्णय कर सकता है। इस संबंध में राज्यपाल की शक्तियों संविधान की सातवीं अनुसूची की सभी तीनों सूचियों पर लागू होती है।

पांचवी अनुसूची के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल पर केवल प्रतिबंध है कि यदि जनजातीय सलाहकार परिषद हो तो कानून बनाने से पूर्व उससे सलाह ले ली जानी चाहिए। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भिजवाया जाना चाहिए। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना अनुच्छेद 5 (2) के अंतर्गत कानून प्रभावी नहीं होगा।

संविधान के अनुच्छेद 245(1) में प्रावधान है कि संसद का कोई भी अधिनियम पूरे देश पर लागू होता है और राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम राज्य के संपूर्ण क्षेत्र पर लागू होता है। संविधान की पांचवीं अनुसूची का अनुच्छेद 5 इसका अपवाद है। जब तक राज्यपाल कोई अपवाद का प्रावधान नहीं करता है सामान्य अधिनियम पांचवीं अधिसूची में उल्लिखित क्षेत्रों पर लागू होगा।

इसलिए सामान्य अधिनियम के सीधे ही अधिसूचित क्षेत्रों सहित राज्य के संपूर्ण क्षेत्र पर लागू होने में कोई कठिनाई नहीं है।

**विकल्प**

पांचवीं अनुसूची के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली वास्तविक स्थिति तो यह है कि अनुच्छेद 243 एम(4)(बी) में निहित प्रावधानों से संविधान के खंड-9 के प्रावधानों को अधिसूचित क्षेत्रों तथा अनुच्छेद 243 एम(1) में निर्दिष्ट अपवाद व संशोधन किए जा सकते हैं। किसी भी कानून को अनुच्छेद 368 के उद्देश्य से संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा।

जून 1994 में भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय में चुने हुए संसद सदस्यों और विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जिसे अधिसूचित क्षेत्रों पर संविधान के खंड-9 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून की प्रमुख विशेषताओं के बारे में सिफारिश करने का काम सौंपा गया था। समिति ने जनवरी 1995 में अपनी रिपोर्ट दे दी है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 243एस(4)(बी) के अंतर्गत संसद द्वारा कानून बनाने की सिफारिश की गई है। जब सम्पूर्णता में विवेचन किया जाए तो लगता है कि संविधान का मंतव्य इन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त उपाय लागू करने का है जिन्हें इन क्षेत्रों की विशेष परिस्थितियों पर विचार करने के बाद तय किया जाना चाहिए। इसके लिए संविधान की पांचवीं अनुसूची की धारा-5 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा या अनुच्छेद 243एस(4)(बी) के अंतर्गत संसद द्वारा पारित किए जाने वाले केंद्रीय कानून के जरिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। राज्यों द्वारा संविधान के इस मंतव्य को अधिक पसंद नहीं किया गया प्रतीत होता है क्योंकि राज्यपालों ने पांचवीं अनुसूची की धारा-5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का शायद ही कभी इस्तेमाल किया हो। इससे यह धारणा जन्म लेती है कि संसद को अनुच्छेद 243एस(4)(बी) के अंतर्गत कानून बनाना चाहिए, हालांकि यह विचित्र लगबता है कि विकेन्द्रीकरण के लिए कानून केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया जाए।

**लेखक पंचायतीराज विभाग के सेवानिवृत अधिकारी हैं।**

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:53 AM Page 32



# कुल्लू में महापंचायत

**सत्यप्रकाश ठाकुर**

अलसुबह उड़ी में सेना के कैंप पर हमला हुआ। और उस दिन एक महापंचायत भी हिमालय में हुई। वास्तव में यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहले से तयशुदा एजेंडों पर विभिन्न प्रांतों की पंचायत से जुड़े सामाजिक-राजनैतिक लोगों की लंबी बैठक थी। देश में पंचायती राज संस्थानों की पैरोकार आल इंडिया पंचायत परिषद 1958 से इस तरह का अयोजन करती आ रही है। इसे महासमिति की बैठक या महापंचायत कहते हैं। इसमें गुजरात से आए अतिथि जयंती भाई पटेल और बिहार से पधारे वक्ता कौशल किशोर को भूलना संभव नहीं है। इनकी वजह से यहां 73वें संविधान संशोधन और 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण मामला भी छाया रहा। एक ओर दहशतगर्दी की आग में जल रहे जम्मू-कश्मीर से पहुंचे पंचायत प्रतिनिधि की दबी आवाज सुनाई दी। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत के स्तर पर योग्य लोगों को परिषद से जोड़ने की कवायद को देशभर में दुहराने की जरुरत पर चर्चा होती है। साथ ही यह महासमिति पंचायती राज संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए एक व्यापक जन आंदोलन को खड़ा करने की कोशिश करती प्रतीत होती है।

21वीं सदी की राजनीति में भी पंचायतों का व्यापक असर है। निकट भविष्य में इस दिशा में क्या होने जा रहा है? इस बात में दिलचस्पी रखने वालों की कमी आज भी नहीं है। आखिकार यह अंतिम व्यक्ति को राजकाज की मुख्य धारा से जोड़ने वाला सबसे प्रभावी तंत्र ठहरता है। यह पहली बार था, जब कौशल किशोर ने किसी महापंचायत में हिस्सा लिया। इसके आयोजक और परिषद के वरिष्ठतम महासचिव शीतला शंकर विजय मिश्रा ने उन्हें एक मेहमान की हैसियत से आमंत्रित किया था। उस दिन परिषद के ग्यारह सूत्रीय प्रस्तावों पर तेरह मिनट में व्यक्त की गई प्रतिक्रिया के दौरान उनके लिए एक केविएट मददगार साबित हुआ था। दरअस़ल महापंचायत की इन बैठकों का असर आजादी के बाद के इतिहास में पंचायती राज संस्थानों के क्रियाकलापों के रुप में साफ दिखता है। स्वतंत्र भारत में स्वराज, पंचायती राज अथवा तीसरी सरकार (डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन) के नाम पर जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे जो शक्तियां रही, वही महापंचायत के कर्ता-धर्ता, पुरोधा और फाउडिंग फादर्स माने जाते हैं। इसमें सबसे भारी योगदान देने वालों ने तो अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। स्वराज के इसी सपने को साकार करने के लिए आजादी से पहले लाला लाजपत राय, भगत सिंह और आजाद जैसे शहीद हुए तो स्वतंत्र भारत में मेहता, शास्त्री और जयप्रकाश जैसे विभूतियों का जीवनदान देखने को मिलता है। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों को पंख लगाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण, गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री बलवंतराय मेहता और बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री पंडित बिनोदानंद झा का योगदान अनुकरण के योग्य माना जाता है। उन्होंने ही पंचायतों की परिषद बनाई, जिसकी इससे पहले ऐसे 90 और बैठकों के रिकार्ड मिलते हैं। आज भी इनके प्रभावों को नकारना संभव नहीं है। 1957 की बलवंतराय मेहता कमिटी और फिर बीस साल बाद अशोक मेहता कमिटी की सिफारिशों के अभाव में क्या नब्बे के दशक में हुए 73वें संविधान संशोधन की चर्चा भी संभव थी? भारतीय राजनीति में हुए रिफार्म की इन ईबारतों को गढ़ने में महती भूमिका अदा करने वाली महासमिति भविष्य में क्या करने जा रही है? इसे समझना सरकार और नागरिक समाज के लिए आज बेहद जरुरी है।

अभी बहुत वक्त नहीं बीता है। प्रधानमंत्री झारखंड में पंचायती राज दिवस मना रहे थे। उन दिनों ग्रामसभा और लोकसभा की तुलना होने लगी, तो ग्रामोदय से भारतोदय तक का सपना भी आकार-प्रकार लेने लगा। पिछले साल चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों में डा. वाई.वी. रेड्डी ने पंचायतों को आवंटित किए जाने वाले बजट में अप्रत्याशित रुप से वृद्धि किया था। आज मोदी सरकार दो लाख दो सौ बिरानवे करोड़ की मोटी रकम पंचायतों के विकास के लिए सीधा मुहैया कराने को प्रतिबद्ध है। इन सब के बावजूद पंचायत परिषद से जुड़े लोग भाजपा से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ जैसे अनुसांगिक संगठनों की तरह नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सरकार की लोकप्रियता को प्रभावित करने वाले मसलों में निश्चय ही यह भी अपनी अहमियत रखता है। यहां पहुंचे पंचायतों की राजनीति में सक्रिय प्रतिनिधियों

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:53 AM Page 33

की दिन भर चली चर्चा में मैंने चालीस के करीब विद्वानों की बातों पर गौर किया। उनका मतेक्य इस बात में था कि वित्त आयोग ने जिला परिषद को किनारे करने का काम कर पंचायती राज संस्थानों को कमजोर किया है। हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायत परिषद की प्रमुख प्रेमलता ठाकुर वित्त आयोग के प्रभावी पंचवर्षी प्रावधानों की ओर इंगित कर बड़े तीखे सवाल उठाती हैं। उनकी नाराजगी ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों को पूर्व में प्राप्त वित्तीय शक्तियों को कम करने के कारण है। सूचनाओं को ऑनलाइन करने के क्रम में होने वाली त्रुटियों से उपजने वाली समस्याओं से वंचित लोगों को कष्ट पहुंचता है। यह दूसरी जटिल समस्या है। इसके निराकरण के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। यहां ऑनलाइन डाटा और आधार कार्ड के इस्तेमाल से लोगों को रिलीफ पहुंचाने के क्रम में होने वाली समस्याओं पर गंभीर मंथन चला। राजस्थान की चुनिंदा घटनाओं का हवाला भी दिया गया। विख्यात सामाजसेवी अरुणा राय और वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने बेवश और लाचार लोगों को आधार डाटा मिसमैच से होने वाली असुविधाओं पर विचार करने को प्रेरित किया है। यह एक ऐसी समस्या है, जिसे देखकर पंचायतों से जुड़े लोगों का छुब्ध होना लाजिमी है। इन्हीं तथ्यों का संज्ञान लेकर ग्रामसभा से जुड़े कुछ लोग अब तकनीकी और समस्या के बीच का समीकरण समझने में लगे हैं। उन्हें पता है कि कंप्युटर टेक्नोलोजी का इस्तेमाल कई जगह अच्छा है। पर इसके नुकसान भी हैं। यहां एक सवाल उठता है कि क्या सरकार तकनीकी का व्यापार करने का साधन मात्र बन कर रह गई है? या फिर सचमुच अंतिम जन की सेवा के प्रयासों में होने वाले त्रुटियों से लोग रु-ब-रु हो रहे हैं। यदि तकनीकी लोगों के पास पहुंच कर उनकी सेवा करने में सक्षम बनाती है, तो निश्चय ही उसका इस्तेमाल होना चाहिए। पर यदि वही वंचित तबके की सेवा में बाधा बन रही हो, तो निश्चित तौर पर उस तकनीकी का विरोध होना चाहिए। इस विषय में सरकार को भारतीय परंपरा का अनुकरण करना चाहिए, जो सबसे पहले वंचितों और दिव्यांगों की सेवा सुनिश्चित करने की पैरवी करता है। अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुम्बकम की पैरवी करने वाले समाज में यह वंचितों को जीवन की आधारभूत जरुरतों से मरहूम होते हुए दिन-ब-दिन देखने का मामला है।

नब्बे के दशक में राव सरकार के दौरान 73वां संविधान संशोधन किया गया था। तभी से इसे लागू करने की बातें चल रही हैं। पंचायतों की सूची में शामिल 29 विभागों की स्थिति पर केन्द्र सरकार का रुख सामने है। बीते पंचायती राज दिवस पर वैंकैया नायडू ने राज्यों से पैरवी की जरुरत को रेखांकित कर इसे एक बार फिर दुहराया था। सही मायनों में इन शक्तियों के अभाव में ग्राम स्वराज के स्वप्न का साकार होना आसान नहीं होगा। इस महापंचयत में परिषद ने सभी राज्यों में इस व्यवस्था को लागू कराने के लिए संघर्ष का रास्ता चुना है। आशा के अनुरुप ही विद्वानों ने प्रतिति को यथार्थ में परिवर्तित करने से जुडे.महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला था। इस क्रम में पिछले पांच सालों में हुए कुछ छोटे, मंझोले और बड़े कद-काठी के आंदोलनों का जिक्र जरुरी था। इन आंदोलनों में सक्रिय लोगों का समर्थन और सहयोग हासिल करने के लिए यह आवश्यक है और इससे ग्राम स्वराज का लक्ष्य अर्जित करने के प्रयासों को बल मिलेगा।

महासमिति गैरबराबरी को ग्रामीण और शहरी नामक दो किश्मों में विभाजित करती है। इस क्रम में कुपोषण और भूख से तड़पती जनता के दर्द का विश्लेषण होता है। साथ ही भोजन का अधिकार से लेकर काम के अधिकार तक की तमाम बातों पर चर्चा छिड़ती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तीन सौ से ज्यादा ग्राम पंचायतों के लिए नई मुहिम शुरू करने की बात भी उठती है। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि यहां 1983 से ही पंचायतों के चुनाव नहीं हुए। परंतु पंचायतों को मिलने वाले बजट को खर्च करने के लिए विभाग बदस्तूर कायम है। अरविन्द केजरीवाल के मोहल्ला सभा के सामने पंचायत परिषद की मुहिम वास्तव में कैसी होगी? यह अभी नहीं कहा जा सकता है। पर इस मामले पर अब चचाएं लगातार होने लगी हैं। केन्द्र और राज्य की सरकारों को पंचायती राज प्रतिष्ठानों की समस्या दूर करने में सहयोग का रुख अख्तियार करने की जरुरत है। इस क्रम में उन्हें पंचायत प्रतिनिधियों के असंतोष को भी समझना होगा। आज वस्तुस्थिति ऐसी है कि जमीन पर पंचायती राज संस्थान और इनके प्रतिनिधि राज्य और केन्द्र की योजनाओं को लागू करने की एजेंसी के रुप में सिमटने को विवश हैं। इस महासभा के बाद हुए प्रेस वार्ता की आखिरी घोषणा याद रखने योग्य है। सभापति ने कहा था कि पंचायत परिषद कोई कांग्रेस पार्टी या किसी दूसरे पार्टी की नहीं है, इसमें हर पार्टी के लोग हैं। यही बात उनके केविएट का सार था। ऐसा कायम नहीं रहने की दशा में गांधी, मेहता, शास्त्री, बिनोदानंद झा और लोकनायक के सपनों की एक साथ हत्या होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित दायित्वों का निर्वहण करने के लिए इस थाती को सहेजना बेहद आवश्यक है। यह कार्य सरकार, समाज और व्यक्ति विशेष के स्तर पर बेहतर तारतम्य स्थापित कर ही सुनिश्चित हो सकती है।

(लेखक पंचायत परिषद और बलवंत राय मेहता पंचायती राज संस्थान से वर्षों से जुड़े हैं)

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:53 AM Page 34



# Panchayati Raj Local Self-Governance

**National Bureau**

More than a hundred years have passed since Mahatma Gandhi's dream of local self rule appeared first time in the Hind Swaraj. Loknayak Jayaprakash Narayan, Balvantray Mehta and Pandit Binodanand Jha are three immortal figures that we came across while looking at the works done on this issue so far. They are the founding fathers of the council that represents Pan India network of Panchayati Raj institutions. Today the members of the council are scaterred across the nation, they join together in meetings of Mahapanchayat. In fact All India Panchayat Parishad was established in 1958 itself. Since then onwards 91 meetings of its council have taken place in different parts of India. As a consequence of the open house sessions of these dialogue series, the institutions of Panchayati Raj got constitutional recognition as the third government. It was clear in recently held Mahapanchayat at Kullu in Himachal Pradesh that this achievement is not pinnacle of the strivings of this institution.

Gram Swaraj (village self-rule) is the fundamental element of the Hind Swaraj as Gandhi ji clearly stated. The sacrifices of AIPP leaders done in order to realize the dream of democratic decentralisation have been always considered with highest regard and utmost dignity. Today All India Panchayat Parishad is sincerely committed to turn that dream into a reality. As thus serious consultations on relevant subjects have been done recently.

In September, on the request of Himachal Pradesh Panchayat Parishad, the meeting of its council was organised in Kullu. In this meeting the 73rd amendment of the Constitution of India and recommendations of the 14th Finance Commission were in debate. AIPC came to resolve several critical issues in this dialogue series. A series of awareness campaigns have been launched in order to turn them into reality. The important issues of this talk are mentioned here.

The 73rd constitutional amendment is a develompement of 1990s during the Rao government. Since then onwards regular talks on its implementation are going on. The stand of central govt. on 29 Panchayati Raj departments is known to all. On last Panchayati Raj Day it was once again reitrated by Venkaiah Naidu. The council believes that actual realisation of local self governance is not possible in absence of true implementation of the said constitutional amendment. The society has decided to make it implemented in every state during the gatherings of Mahapanchayat. Today non-violent public protest is the only remaining option before AIPP. In Uttar Pradesh qualified people associated with any of the three tiers of the Panchayati Raj institutions are being selected and assigned new responsibilities. Punjab and Delhi are other provinces that began to emphasize on the need of repeating this exercise. All other states and union terroteries are included in this list. Today there is a necessity of extensive public consultations. And this is going on for last cople of months. Today the council is dedicated to a mass movement that can further strengthen the Panchayati Raj institutions.

The 73rd constitutional amendment is a develompement of 1990s during the Rao govt. Since then onwards regular talks on its implementation are going on. The stand of central govt. on 29 Panchayati Raj departments is known to all.

Last year Dr. Y.V. Reddy has recommended to increase 10% in the budget allocated for Panchayati Raj institutions. This effort seems to strengthen the third govt. Undoubtedly the central govt. has made a provision to provide hefty amount, but this amount is for next five

years. The representatives of Panchayat politics present in Mahapanchayat unianimously came to a conclusion after the day-long discussions that the 14th Finance Commission has marginalised the district level panchayati raj institutions after ripping off its powers. Such an act of village empowerment is againnst the ideas of AIPP councillors. The grivances of the members of this council is not against Swdeshi Jagran Manch and Bharatiya Kisan Sangh, but against these policies of the govt. There is a singificience of it as far as popularity of the government is concerned. It won't be fair to deny this fact.

The problem of malnutrition is becoming serious in twenty-first century. The Anganwadi scheme was introduced to remove this problem. The budget allocated for this World Bank sponsored scheme increased to 2000 crore rupees from 2000 to 2013. The government that came into power after the 16th Lok Sabha elections has reduced it to half. This is one of those problems that was opposed by certain leaders of the ruling party like Maneka Gandhi. Still 30% children are suffering from malnutrition and stunting in a state like Jharkhand. Statistics suggest that status of under-developed state is in worse condition. The council has decided to address this issue at every level since this is the problem of children suffering from malnutrition and stunting.

**The budget allocated for the World Bank sponsored Anganwadi scheme increased to 2000 crore rupees from 2000 to 2013. The government that came into power after the 16th Lok Sabha elections has reduced it to half.**

Day-by-day the situation of hunger is becoming more frightening in the country. According to the UNDP report 190 million people are bound to sleep hungry in India alone. Moreover, nearly seven million Indians are deprived of clean drinking water. Today one, who wastes food doesn't think that someone out there is not even entitled to have meal two times a day. This is not appropriate as far as dignity of any civilized society is concerned. Last year during the 70th summit of the United Nations held in New York, the world leaders resolved to remover hunger in next 15 years. This resolution is appriciative, but still the governments in centre and states are not sufficient to win this battle. Panchayat Parishad is dedicated to broaden the efforts being carried out to address this crisis. This is on top of the priorities of Panchayat representatives working on any of the three levels of Panchayati Raj institutions. The indifference of the elites ought to be removed in order to successfully handle this issue. In the 91st AIPC right to food and right to work have been considered as the fundamental rights of every common citizen. The deprived rural society is bound to migrate due to this problem. This is another major cause of increasing burden on metropolitian cities. The governments need to show seriousness on this issue. The programs of 'Right to Food' and 'Right to Work' have been recorded with admiration worldwide.

There are more than 300 Panchayats in Delhi alone. The distinction between rural and urban villages are clearly visible in Delhi. Decades ago in eighties, the last Panchayat elections were held in these villages. No such elections ever happened in these villages since 1983 itself. AIPP has been discussing on this issue for a long time. The Chief Minister of Delhi is lobbying for the Mohalla Sabha against the Gram Sabha. This is one of the issues of serious concern. The village should be administered by the rules of Panchayati Raj. The chief of State Panchayat Parishad, Dhyanpal Singh says that these villages of Delhi can play important role in order to turn the dreams of Loknayak, Mehta and Gandhi into reality. The state parishad is working on an effective plan to fight for the Panchayats of Delhi region. All India Panchayat Parishad appeals to all likeminded institutions of the National Capital Region to join togather for this cause.

Recently, the financial potential of

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:54 AM Page 36



representatives of central and state governments increased several times. The increasing of allowances to the MLAs and MPs were making headlines sometimes back. The rpresentatives elected for panchayats are continuously working on village, block and district levels. They don't get remunerations like an MLA or an MP. There is a direct impact of their financial crisis on various socio-political functioning of Panchayat. All India Panchayat Parishad strongly recommends for beeter allowance and remuneration to be payable to the representatives of Panchayati Raj institutions. The governments in states and cntre ought to consider sympathetically on this subject. The dream of gramoday (rising of villaage) to Bharatoday (rising India) will remain a dream in absence of it.

Meanwhile certain new office bearers have been appointed in October 2016 to maintain smooth functioning of the council. Dr. Ashok Chauhan associated with Delhi Pradesh Panchayat has been appointed as working president. Sahdev Bhati and Kaushal Kishore are newly apponited General Secretary, and Jayanti Bhai Patel is newly appointed treasurer of the council. In addition to them there are certain other changes in the management of Panchayat Sandesh, the monlhly journal of the Parishad. Its former managing editor, Anil Sharma and Jayanti Bhai Patel, who hails from the home state of Mehtaji, are now financial consultants. Kaushal Kisore, journalist and author of The Holy Ganga, has been appointed as its managing editor.

While addressing AIPP press-conference, its president Subodh Kant Sahai once again reiterated that this Parishad is not a property of the Congress Party, nor any other party owns it. There are people from every political party here. In fact this is a non-political organization dedicated to the cause of Panchayat.

# पंचायत परिषद व्यवस्था की अनदेखी से पिछड़े गांवः सहाय

अखिल भारतीय पंचायत परिषद का मानना है कि पंचायत परिषद की व्यवस्था लागू नहीं होने से गांव आज भी पिछड़े हुए हैं। देश में कुपोषण, गरीबी और भुखमरी से लड़ने में पंचायत परिषद बेहतर भूमिका निभा सकती है। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने कहा कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनावी घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र करना चाहिए कि सत्ता में आने के बाद वह अपने राज्य में पंचायत परिषद की व्यवस्था को लागू करेंगी। मयूर विहार फेज एक स्थित पंचायत धाम में प्रेस कांफ्रेस में सुबोध कांत सहाय ने कहा कि पंचायत परिषद व्यवस्था लागू न होने के कारण गांवों का विकास थम सा गया है। आज एक बार फिर से गांव सरकार की जरूरत आन पड़ी है, जिसका सपना महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश और बलवंत राय मेहता ने देखा था। उन्होंने कहा कि स्वराज के सपने को सकार करने के लिए सभी राज्य सरकारों को संविधान के 73वें संशोधन को लागू करना चाहिए।

इसके साथ ही पंचायतों की सूची में शामिल 29 विभागों की स्थिति पर केन्द्र को भी विचार करना चाहिए। आज गांवों में आंगनवाड़ी की व्यवस्था है, लेकिन भ्रष्टाचार और प्रशासनिक उदासीनता की वजह से इन समस्याओं पर काबू नहीं पाया जा सकता है।

लेखक एवं पत्रकार कौशल किशोर ने कह कि दिल्ली के ग्रामीण इलाकों को विकसित करने के लिए यहां की सरकार को पंचायत परिषद को सशक्त बनाना पड़ेगा। वहीं, शीतला शंकर मिश्र ने कहा कि दिल्ली में मोहल्ला सभा गैर संवैधानिक है। सही मायने में पंचायत परिषद को मजबूत बनाने से ही दिल्ली का का विकास होगा। कार्यक्रम में परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ अशोक चैहान, महासचिव सहदेव भाटी आदि मौजूद रहे।

**आदर्श ग्राम योजना में है खामियां**

सुबोधकांत सहाय ने पीएम मोदी की आदर्श ग्राम योजना में कई खामियां गिनाई। कहा कि बनारस के जयापुर की बात छोड़ दे तो इसके अलावा एक भी गांव आज तक आदर्श नहीं बन सका है। पंचायत परिषद की देखरेख में ही किसी गांव का विकस हो सकता है।

निर्भय कुमार पाण्डेय की रिपोर्ट, 23 अक्टूबर 2016 दैनिक जागरण

AN ISO 9001:2008 CERTIFIED

# शुभकामनाओं सहित

BHUTTI WEAVERS CO-OPERATIVE
ORIGINAL KULLU WEAVERS
ESTD. 1944
'A' CLASS BHUTTI COLONY

CERTIFICATION TRADE MARK
PURE NEW WOOL
WOOL MARK
045 INDOOW

Handloom Mark

HOME OF THE ORIGINAL KULLU WEAVERS

# Bhuttico

SHAWLS, MUFFLER,CAPS AND OTHER HANDMADE GARMENTS

सत्य प्रकाश ठाकुर
हिमाचल प्रदेश में सहकारिता और
पंचायत के प्रति एक समर्पित व्यक्तित्व

वस्त्र मंत्रालय
भारत सरकार
NATIONAL AWARD WINNER
1st Prize
1993-94
हस्तकला विकास आयुक्त

KULLU SHAWLS
G.I. NO.19

Asia's Pride Weavers Co-Operative

BHUTTI WEAVERS CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

HEAD OFFICE: BHUTTI COLONY

KULLU (H.P.) INDIA175126PH.01902-260079 FAX:01902-260857

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:54 AM Page 38



## डेराबस्सी में गांधी जयंती पर बोले पंचायत परिषद के प्रधान सुबोध कांत

# गांवों के विकास से होगी देश की तरक्की

**हिमाचल दस्तक 31 अक्टूबर 2016**

गांव का विकास किए बिना देश की तरक्की संभव नहीं। इसके लिए पंचायतों को अधिकारिक अधिकार दिए जाने की जरूरत है। केवल शहरों से देश की तरक्की का आंकलन नहीं किया जा सकता। उक्त विचार अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय प्रधान एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने डेराबस्सी के श्री राम मंदिर में गांधी जयंती के मौके आयोजित परिषद के राष्ट्र स्तरीय प्रोग्राम में व्यक्त किए।

परिषद के प्रदेश प्रधान कुलजीत रंधावा की अगुआई में आयोजित इस प्रोग्राम में राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा विशेष मेहमान थे जबकि सचिव शंकर मिश्रा, हिमाचल परिषद की प्रधान प्रेमलता ठाकुर, पूर्व मंत्री सत्याप्रकाश ठाकुर समेत कई वक्ताओं ने पंचायती राज की मजबूती के लिए अपने विचार रखे। सहाय ने कहा कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी सियासी पार्टियों को अपने चुनाव मैनिफेस्टो में पंचायत को ज्यादा अधिकार दिए जाने का वायदा करना चाहिए। दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस संदर्भ में 29 महकमें पंचायतों के अधीन करके काफी काम किया था परंतु प्रदेश सरकारों ने इसे लागू नहीं किया। कैप्टन अमरिंद्र के समय में भी 29 में से 8 विभाग पंचायतों के हवाले किए थे परंतु बाद में सभी वापस ले लिए। इससे पहले प्रताप सिंह बाजवा ने आगामी चुनाव में पंचायत परिषद के नुमाइंदों को टिकट दिए जाने की मांग की। कुलजीत रंधावा ने कहा कि पंचायती राज कायम होने तक परिषद अपना संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि विकास के लिए गांवों को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करना होगा। इस मौके पर दिल्ली के प्रधान रामपाल सिंह, उत्तर प्रदेश के प्रधान अशोक सिंह जाधोन, हरियाणा के प्रधान राव अभय सिंह, बिहार के प्रधान बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह, अनिल शर्मा, सहदेव भाटी, हिमाचल के ओमप्रकाश समेत पंजाब के तमाम जिलों के प्रधान व नुमाइदे शामिल थे।

## भाजपा पर बरसे पूर्व केंद्रीयमंत्री सुबोध कांत सहाय

# ग्राम पंचायतों के बजट में कटौती करना दुभाग्यपूर्ण

**धनेश गौतम**

अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा है कि वर्तमान समय में देश के ग्रामीण क्षत्र विकास की दृष्टि से पिछड़ते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियां हैं। उन्होंने कहा कि संवधिान के 74वें संशोधन (1993) में तत्कालीन यूपीए सरकार ने पंचायतों के माध्यम से विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए सीधे तौर पर बजट का प्रावधान रखा था, जिससे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी सुदुढ होने के चलते संपूर्ण भारत की आर्थिकी मजबूत हुई है। सहाय ने कहा कि उस समय यूरोप तथा अमेरिका का आर्थिक ढांचा डगमगाया, लेकिन भारत आर्थिक तौर पर स्थिर रहा। यह इस बात का प्रमाण है कि पंचायतों के लिए निर्धारित तमाम 29 विषयों को पूर्ण से लागू किया गया था। कल्लू के जिला परिषद सभागार में आयोजित अखिल भारतीय पंचायत परिषद की बैठक के उपरांत प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोधकांत सहाय ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र आर्थिकी की जननी हैं।

आपका फैसला - 19 सितंबर 2016

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:54 AM Page 39

# शहीदों का सम्मान
## और
## देशहित के कार्यों में सतत समर्पित

# जय हिन्द मंच

**हम से जुड़कर ग्राम-स्वराज के सपने को साकार करें**

**निवेदकः सुरेश शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जय हिन्द मंच (मो. 9868279369)**

**अतुल मोहन, उपाध्यक्ष, जय हिन्द मंच (मो. 9540045749)**

**नवीन जयहिन्द राष्ट्रीय महासचिव, जय हिन्द मंच (मो. 9313581995)**

**पंचायती राज को सशक्त और कारगर बनाने की मुहिम में जय हिन्द मंच और अखिल भारतीय पंचायत परिषद साथ हैं**

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:54 AM Page 40



# गौवंश रक्षा मुहिम की स्वर्णजयंति

**दिल्ली ब्यूरो**

**गौ**वंश रक्षा के लिए बलिदान देने वाले संतों की कुर्बानियों को पचास साल बीत चुके हैं। 1966 में गोपाष्टमी का अवसर बहुसंख्य समाज के लिए सामूहिक बलिदान का दिन साबित हुआ था। उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए देश की राजधानी में गोभक्तों का अच्छा जमावड़ा फिर हुआ। विभिन्न समूहों में बंटे गोरक्षा आंदोलन के समर्थकों ने हुतात्माओं की स्मृति में कई अलग-अलग सभाएं की, जो कम से कम चार दिनों तक चली। बलिदान के वर्षगांठ से एक दिन पूर्व केन्द्र सरकार से जुड़े संगठनों ने मंत्रणा किया, तो एक दिन बाद दिल्ली की सरकार ने गाय और यमुना के संबंधों का ध्यान कर नदी तट पर कार्यक्रम का आयोजन किया। सत्याग्रह का इतिहास फिर दुहराने जंतर-मंतर पर पहुंचने वालों की संख्या हजारों में थी। वास्तव में यह साधु-संतों और गोभक्तों का काफिला था। लोक समाज में इनके प्रभाव क्षेत्र का दायरा आम लोगों से स्वभाविक रुप से बड़ा होता है। इनकी मांगों पर गौर करना बेहद जरुरी है।

देश की राजधानी में इस मुहिम के अनुशासित समर्थकों ने गाय और गंगा की रक्षा के संकल्प का पुनः उद्घोष किया है। साधु-संतों की उपस्थिति में गाय और गंगा की रक्षा के लिए पांच सूत्रीय संकल्प पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। इनके पांचवें सूत्र का सीधा असर आगामी चुनावों पर पड़ने वाला है। गौवंश रक्षा मुहिम का प्रभाव ठीक से समझने के लिए इससे जुड़े ऐतिहासिक घटनाक्रमों पर गौर करना जरुरी है। मुगलों और अंग्रेजों के शासनकाल में गौमांस भक्षण की परंपरा उत्तरोत्तर विकसित हुई। इसी के साथ गौवंश रक्षा आन्दोलन भी शुरू हुआ। पिछले नब्बे सालों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गौरक्षा के सवाल को उठाती रही है। इसके पहले पचास सालों तक यह मुहिम आर्य समाज ने चलाया है। आज भी स्वामी अग्निवेश जैसे कई आर्य समाजी नेता महर्षि दयानन्द के अभियान को सफल बनाने में निष्ठा से लगे हैं। संघ से जुड़े विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल इसके मुखर पैरोकार संगठन हैं। एक दिन इसी ख्वाहिश ने बहुसंख्य समाज को विशाल सामूहिक बलिदान के लिए विवश किया था। गोपाष्टमी पर हुए आन्दोलन के विषय में जनश्रुति है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपनी ही सरकार के गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदा से खफा थीं। लुटियन जोन खचाखच आन्दोलनकारियों से भरा था। इस भीड़ को संबोधित करते हुए स्वामी रामेश्वरानंद ने भड़काऊ भाषण दिया। उसी क्षण पश्चिम बंगाल के कांग्रेसी नेता अतुल्य घोष ने फर्जी गौरक्षकों को आगे कर दंगा करा दिया। तभी से फर्जी गौरक्षकों का भी एक इतिहास है।

सरकार ने इसके लिए नागा साधुओं को दोषी ठहराया। बलिदान के तीसरे दिन नंदाजी ने कहा, मैं साधुओं का खून अपने सिर नहीं ले सकता। आखिरकार गौरक्षकों को बदनामी, निराशा और अपमान के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। इस बलिदान के बाद सरकारों ने इस विषय में गौर करना मुनासिब नहीं समझा। और देश की बहुसंख्य जनता इसे भूल भी नहीं सकी। मोदी सरकार से गोभक्तों को बड़ी उम्मीदें रहीं। परंतु इसी मामले में गांधी के गुजरात में उन्हीं के विचारों पर कुठाराघात के बाद हालात बदले हैं। ऊना में हुए दलितों के उत्पीड़न ने पूरे देश को झकझोर दिया था। यद्यपि कई महीने पहले प्रधानमंत्री द्वारा टाउनहाल कार्यक्रम में व्यक्त किए विचारों के पहले से ही यह मामला लगातार सुर्खियों में है, निश्चय ही इस घटना ने माहौल गरमा दिया। फिर राजस्थान की मुख्यमंत्री बसुंधरा राजे ने कहा था कि गौरक्षा की दुकान चलाने वाले और मांग रहे हैं। उन्हीं दिनों जयपुर से सटे हिंगोनिया गौशाला में तिल-तिल मरती मजबूर गायों के कारण देश भर में सवाल उठ रहे थे। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को दलितों पर हुए अत्याचार के बाद पद त्यागना पड़ा और राजस्थान सरकार ने भी फजीहत झेला है। बीते दिनों इस तरह की बातों के बीच यह मामला सतत व्यापक होता गया है। गौरक्षा मामले में फर्जीवाड़ा और पाखंड खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि सेना की वर्दी पहनकर निर्दोष लोगों की हत्या करने वाला आतंकवादी भारतीय सेना का जवान नहीं हो जाता है, और न ही काली टोपी पहन कर दलितों की पिटाई करने वाला संघ का स्वयंसेवक ही होने वाला है। इस बीच गौशाला प्रबंधन में लगे समूहों की मजबूरियां उभर कर सामने आई हैं।

गोभक्तों द्वारा जंतर-मंतर पर लिए गए संकल्पों का आखिरी सूत्र वाकई दमदार साबित हो सकता है। उन्होंने गाय और गंगा को संरक्षण देने में असमर्थ राजनैतिक दलों और जनप्रतिनिधियों के पक्ष में अपने मतों का दुरुपयोग नहीं करने की सार्वजनिक घोषणा किया है। वास्तव में इसका असर क्या होगा, यह भविष्य की बात है। पर देश के कोने-कोने से पहुंचे हजारों लोगों ने सामूहिक संकल्प लेकर अपने मंसूबों को साफ-साफ जाहिर कर दिया है। परंतु इस आन्दोलन को समन्वय के अभाव का दंश झेलना पड़ेगा।

**गोभक्तों द्वारा जंतर-मंतर पर लिए गए संकल्पों का आखिरी सूत्र वाकई दमदार साबित हो सकता है। उन्होंने गाय और गंगा को संरक्षण देने में असमर्थ राजनैतिक दलों और जनप्रतिनिधियों के पक्ष में अपने मतों का दुरुपयोग नहीं करने की सार्वजनिक घोषणा किया है।**

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:54 AM Page 41



# स्वतंत्र भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनक

# अमर शहीद बलवंत राय मेहता

(19.2.1900–19.9.1965)

# पंचायत दिवस

**19 फरवरी 2017**

**अध्यक्षः सुबोध कांत सहाय**

**स्थान**

बलवंत राय मेहता पंचायत भवन, 368 मयूर विहार, फेज-1, दिल्ली-110091, फोनः 01122752573, 22752574

E-mail: aipp24x7@gmail.com

Website: aipp.in

**स्वागत समितिः** सत्य प्रकाश ठाकुर, डॉ अशोक चौहान, डॉ विजय कुमार, सुरेश शर्मा, जयंती भाई पटेल, शीतला शंकर विजय मिश्र, अनिल शर्मा, सहदेव भाटी, कौशल किशोर, ध्यानपाल सिंह, जयपाल सिंह सिशोदिया, समस्त पार्षदगण।

**संपर्कः दिवाकर दुबे** मो. 9818062037

## अखिल भारतीय पंचायत परिषद का वार्षिक समारोह

**बलवंत राय मेहता का जन्मोत्सव पंचायत दिवस के रुप में मनाया जाता है**

**इस महोत्सव में भाग लेने को इच्छुक व्यक्ति परिषद कार्यालय से संपर्क करें।**

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:54 AM Page 42



# Guilty Party of Gauraksha Movement

**Kaushal Kishore**
**Follow on Facebook, Instagram & Twitter @HolyGanga**

**50** years have passed since the movement of 1966. The hysteria of the golden jubilee celebrations of the largest pubic movement of Independent India was hovering over since the beginning of this year that often reflected in certain controversies. The Supreme Court judgment on Jallikattu in January to the much criticised statement of the Prime Minister in the Town Hall, are a couple of instances to be referred here. As a consequence, certain Gaurakshak (activists on the name of cow protection brigade, not merely cowherd) in West Bengal changed their name. They began to call themselves Gauvikasak (may be something like developer of the cow). More than a couple of dozen cow progeny is destined to an unusual death every day in the Hingonia Gaushala (a huge shelter house of cows that is making controversial news for quite sometimes) that is situated near the capital of Rajasthan.

The occurrence of beating Dalit at Una in the state of Gujarat is not old enough. The brutal acts of beating Dalits were getting viral on YouTube, Facebook, Twitter and other such platforms. The anti-social elements active on the name of cow protection brigade started the business of terrifying the downtrodden class with the help of certain social media tools. Then this issue emerged in the media loudly. And then what a remarkable miracle has happened! Perhaps it was the first slip of tongue of the Prime Minister. While addressing a programme i.e. 'Town Hall' in the first week of August, Narendra Modi has said that 80% gaurakshaks are fake, and subsequently directed the states to prepare their dossiers. In a hurry the Home Ministry has issued a circular to the states in order to take appropriate action against these miscreants. There was a serious problem before Rajasthan Chief Minister, Basundhara Raje. She has gone to the extent of telling that these 'shops' are demanding more. Isn't it the hysteria on the name of Golden Jubilee celebrations of the Gauraksha Andolan? The challenge is hovering over the sky with these developmentsas. As such discomfort in different sections of Indian society is increasing day-by-day. The incidents of Gujarat and Rajasthan are extremely embarrassing. Both of them are apparently criminal cases actually performed under the cloak and cover of the cow protection brigade. The Una incident is carried out by certain organized criminals with an intention to terrorize the public. And sheer hypocrisy or severe compulsoion reflect on the name of serving the cause of holy cow in Rajasthan. After the atrocities on Dalits in Una the Chief Minister of Gujarat has to resign. Rajasthan government has also faced embarrassment. Meanwhile, the Chief Minister of the state puts the organizations engaged in conservation of the cow progeny in the dock and gave voice to an all new controversy.

We need to remember certain things while thinking on these issues. The terrorist disguised in the uniform of Indian Army and engaged in killing civilians never turns out to be an Army personnel. And so not the man wearing a black cap while beating and oppressing a Dalit is going to be the RSS volunteer. This is an extremely serious case that hurts the faith of the majority of Indian society. Where exactly these incidents are going to leading us? What sort of politics is unfolding in the wake of this new veneer? It might be interesting to know. Today the former BJP general secretary KN Govindacharya, VHP leader Dr. Praveen Togadia and the leading figure of the Gauraksha Movement in recent times Sant Gopal Das are standing against this new politics of cow brigade crackdown. Is it true that 80% gaurakshaks are criminals? In last few years, I have been taking part in certain conservation programmes concerning the cow progeny often as an activist and seldom as a journalist. I almost always came across a small bunch of people that the Prime Minister has referred. I have to face the difficulties that usually happens while opposing such elements. At least it is clear that the number

of such people (anti-social elements) are not quite so high as Mr. Modi has recently referred. He turns out to be the most popular leader with the help of his extremely cautious tongue. Whether one of the arrows from his quiver is drawing a line of demarcation between two different types of people involved in cow protection brigade? Now the anti-social elements in the guise of gaurakshaks are on the target, at the same time sentiments of true and dedicated people involved in such activities are deeply hurt. Certain recent changes, including the new nomenclature in West Bengal are directly connected with this statement of the Prime Minister. Undoubtedly, this issue got more bright daylight after that statement.

Perpetually the tradition of consuming beef began to grow during the regime of the Mughal and the British in India. And simultaneously emerged the Gauraksha Movement. This was one of the major reasons behind the revolution of 1857 (the sepoy mutiny). The Arya Samaj initiated by Maharshi Dayanand Saraswati in 1875 is pursuing this cause since its inception. Moreover this was one of the objectives of RSS at the time of its establishment in 1925. In the last phase of the independence movement, Mahatma Gandhi has proclaimed that protection of the cow progeny is more important than getting rid of the British empire. Indeed the largest mass movement in the history of Independent India is recorded in the name of Gauraksha Movement. Prbhudutt Brahmachari, Karpatri Maharaja, Vinoba Bhave, and the then RSS chief Golvarkar were the leading figures of the Cow Protection Brigade in 1966. It is remarkable that leading socialist leader Dr. Ram Manohar Lohia was first among those offered their support to this cause. All these leaders remained in the hit list of the then Prime Minister.

The majority of India has prepared to celebrate the Golden Jubilee of the huge mass movement of the history. Simultaneous efforts were going on in order to stop the preparations. This attempt to defeat the very spirit of Indian democracy is least discussed in mainstream media. The awkward feeling of the Prime Minister on a disgusting incident from his own home state is not unnatural. But this generalization is not going to lead the society towards the better ground. It is necessary to know the history of this movement in order to understand the bone of contention. And how the events unfolded during the demonstration of November 7, 1966 is all the more interesting. The folklore concerning the movement is that Indira Gandhi was unhappy with the Home Minister, Gulzari Lal Nanda. Hundreds of thousands activists had gathered in the national capital. They were besieging the parliament building. What has happened at the Hutatma Chowk? Swami Rameshwaranand has delivered an inflammatory speech. And then the fake gaurakshaks planted by Atulya Ghosh, the Congress leader from West Bengal triggered their planned riot. Unfortunately, the Naga sadhus are still being blamed for that on insistence of the government. It was an open secret to discuss the actual number of people killed in police firing on that day. After 50 years Hindustan Samachar has published this record in detail. Nandaji finally resigned from the office, and the defamed activists got nothing, but failure, frustration and humiliation for so many decades.

The challenges pertaining to the Gauraksha Movement began to emerge with the advent of the Modi govt. The other side of this story is also in focus ever since the lynching of Akhlaq at Dadri. This issue appears in the media intermittently. In the November the public dedicated to the Gauraksha Movement gathered to celebrate the Golden Jubilee of the crusade. These people know that Modiji has traveled to Bhutan after taking oath as the Prime Minister, where new contracts of beef supply was signed in order to promote bilateral trade. And now his controversial statement is going to divide the people dedicated to save the cow progeny. In this situation it would not be surprising if this issue prolongs until further damges are done. The dream of the majority community is un fulfilled in the seventieth year of the independence. This is going to have the fate of the temple on the name of Lord Rama at Ayodhya.

**- Author represents The Samaja (SoPS) in the board of United News of India since Decmber 27, 2014**

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:54 AM Page 44



# मेहताजी का बलिदान

आज से 51 साल पहले भारत और पाकिस्तान युद्ध के दरम्यान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री बलवंतराय मेहता शहीद हुए थे। वह इस युद्ध का तेरहवां दिन था। 19 सितम्बर 1965 को दिन ढ़लने से पहले पाकिस्तानी वायु सेना ने भारतीय वायु-क्षेत्र में प्रवेश कर एक सिविलियन विमान को हवा में उड़ा दिया। इस हादसे में मेहता दम्पत्ति समेत कुल आठ लोगों की मौत हुई। युद्ध और बलिदान का स्वतंत्र भारत में रचित इतिहास जिन शहीदों का नाम स्वर्णाक्षरों में संजोए है, उनमें बलवंतराय मेहता और लाल बहादूर शास्त्री निश्चय ही सर्वोपरि हैं। दोनों ही राजनेताओं ने सार्वजनिक जीवन में कर्त्व्यनिष्ठा की मिसाल कायम किया है। ऐसे महान विभूतियों का असामयिक निधन देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ।

लाहौर में लाला लाजपत राय ने राष्ट्र निर्माण के लिए लोक सेवकों को गढ़ने का संकल्प लिया था। इसी लोक सेवा की परंपरा में उन्होंने सर्वस्व अर्पित किया। उनकी शहादत के 36 साल बाद मेहताजी ने बलिदान दिया। उन्होंने 20 साल की अवस्था में ही महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में योगदान देकर एक नया जीवन शुरू किया था। स्वतंत्रता संग्राम को धार देने के लिए 1921 में भावनगर प्रजा मंडल शुरू किया, तो बारदोली सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक उन्होंने खासी सक्रियता का परिचय दिया। इस बीच सात साल अंग्रेजों के जेल में बिता दिए। उन्होंने गांधीजी के सुझाव पर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और सर्वेंट्स ऑफ दी पीपल सोसाइटी भी अंगीकार किया। 1957 के लोकसभा चुनाव में भावनगर सीट से कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर चुने गए। साथ ही जवाहर लाल नेहरु जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्हें महासचिव चुना गया था।

द्वारका के पास मीठापुर से आखिरी उड़ान भरने वाला बिचक्राफ्ट मॉडल 18 के विध्वंस की यह घटना साठ के दशक का बेहद चर्चित मामला है। आज कम लोग इस विषय में बराबर जानकारी रखते हैं। साथ ही दूसरे युद्धों की अपेक्षा 1965 युद्ध के विषय में पब्लिक डोमेन में जानकारी बहुत कम है। हैरान करने वाली बात है कि दोनों देशों में लोग जीत का जश्न मनाते हैं। वैश्विक पटल पर इस युद्ध के बाद भारत की साख बढ़ी और हम दक्षिण एशिया की महाशक्ति बन कर उभरे। इस जंग में चीन, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, तत्कालीन सोवियत युनियन और संयुक्त राष्ट्र संघ की अहम भूमिका रही। युद्ध का नतीजा और ताशकंद में हुआ समझौता लाल बहादूर शास्त्री के शहादत की कहानी कहती है। यह कैसा दुर्योग है कि इस समझौते के झट बाद शास्त्रीजी की रहस्यमय तरीके से मौत हुई। इस मामले में उनकी पत्नी ललिता शास्त्री के सवालों पर लंबे समय से सरकारों ने गौर नहीं किया। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नेताजी से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की पहल पर उनके छोटे पुत्र अनिल शास्त्री ने इस रहस्यमय मौत की फाइलों को सार्वजनिक करने का आग्रह किया। पता नहीं कब तक इस विषय में आग्रह का सिलसिला चलेगा? इस क्रम में बलवंतराय मेहता के बलिदान से जुड़ी जानकारियों को सार्वजनिक करने की जरुरत है। मेहताजी की शहादत के चौथे दिन सीज फायर घोषित हुआ। और समझौता वार्ता की रात दूसरी त्रासदी घटित हुई। क्या आप मेहता और शास्त्री के बलिदान को कभी भूल सकेंगे? ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस जंग में तोपों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ था। 1962 में चीन से हारने के बाद भ्रामक स्थिति कायम हुई थी। पाकिस्तान में बेहतर अमेरिकी हथियारों के बूते भारत को युद्ध में हराने का भ्रम पनपने लगा था। गरमी शुरू होते ही पाकिस्तानी सेना ने पहले पश्चिमी छोर पर कच्छ में और फिर कश्मीर घाटी में घुसपैठ किया। यह अभियान पाकिस्तानी अभिलेखों में ऑपरेशन डेजर्ट-हॉक, जिब्राल्टर और ग्रैंड स्लैम के नाम से दर्ज है, तो भारतीय रिकार्ड में इन्हें ऑपरेशन एब्लेज और रिडल नाम दिया गया था। आखिरकार 6 सितंबर को भारतीय वायु सेना ने आक्रमण किया और इसी के साथ युद्ध शुरू हो गया। इसी दिन जंग में पाकिस्तानी वायु सेना के स्क्वैड्रन लीडर सरफराज रफीकी को वीर-गति प्राप्त हुई। और यह शहादत भारतीय वायु सेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट डीएन राथौड़ के लिए वीर-चक्र का कारण साबित हुआ।

इसके दूसरे ही हफ्ते में पाकिस्तान ने तमाम नियमों को ताक पर रखकर यह दुस्साहस किया था। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बीस किलोमीटर अंदर भारतीय वायु सीमा में घुस कर ऐसा किया गया। उस समय बीचक्राफ्ट के पायलट जहांगीर इंजीनियर थे। दूसरे विश्व युद्ध के दिनों से भारतीय वायु सेना में प्रसिद्ध चार पारसी भाईयों में जहांगीर दूसरे नंबर पर हैं। कैसा खूबसूरत संयोग है कि सबसे बड़े भाई एसपी मेरवान इंजीनियर इस युद्ध से एक साल पहले तक वायु सेना के प्रमुख रहे, तो सबसे छोटे भाई मीनू इंजीनियर फोर्स के सबसे सजे-धजे योद्धा के रुप में रिटायर हुए। इस हत्याकांड के दिन भुज स्थित एयर फोर्स युनिट में तैनात तत्कालीन स्क्वैड्रन लीडर बी.सी. राय रडार निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने घटनाक्रम और परिस्थितियों का अवलोकन कर कहा था कि पाकिस्तान को बलवंतराय मेहता के गतिविधियों के विषय में जानकारी थी और उनके अपहरण की योजना विफल होने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इसके विषय में चर्चा

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:54 AM Page 45



करते हुए उन्होंने इंजीनियर भाईयों में से तीसरे रॉनी का विशेष रुप से जिक्र किया है, जो उस दिन वायु सेना के पश्चिमी छोर पर पूणे स्थित दूसरे केन्द्र पर तैनात थे। इस मामले को परत-दर-परत खंगालने से साफ उजागर होता है कि किस तरह पाकिस्तान ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री का अपहरण करने की शाजिश रची और असफल होने पर फ्लाइंग आफिसर को एक सिविलियन विमान ध्वस्त करने के लिए विवश किया। भारत-पाक इतिहास का यह अत्यंत घृणित हत्याकांड है। इसकी निंदा तो होती रहेगी।

इस युद्ध से कई अप्रत्याशित घटनाएं जुड़ी हैं। पाकिस्तान में पांच साल पहले यह मामला उभरा था। शोक संदेश और माफीनामा के सवाल पर। इस युद्ध के पाकिस्तानी शहीद सरफराज रफीकी के इंतकाल पर शोक व्यक्त करने के लिए डीएन राथौड ने एयर कोमोडोर कैसर तुफैल से संपर्क किया। तुफैल इस युद्ध के एक दशक बाद पाकिस्तानी एयर फोर्स में शामिल हुए थे। फिर उन्होंने इस हादसे में पाकिस्तानी विमान उड़ा रहे फ्लाइंग अधिकारी कैज हुसैन से विस्तृत बातचीत की और घटना का व्यौरा डिफेंस जॉर्नल के अप्रैल 2011 अंक में प्रकाशित हुआ। इसके बाद कैज हुसैन ने भारतीय शहीदों के परिजनों से संपर्क कर शोक प्रकट करने का निर्णय लिया। वह लाहौर के एक व्यापारी नावेद रियाज के माध्यम से शहीद पायलट जहांगीर इंजीनियर की बेटी फरीदा सिंह से संपर्क साधने में सफल हुए। 5 अगस्त 2011 को भेजे गए उनके ईमेल का जवाब फरीदा सिंह ने 10 अगस्त को लिखा है। इन पत्रों में गजब की समझदारी दिखती है। क्या सचमुच दोनों देशों के लोगों के बीच ऐसी ही उदारता और आपसी सौहार्द का भाव है? अमन की आशा और आगाज-ए-दोस्ती जैसे कार्यक्रमों के साथ ही शह और मात का सियासी खेल बदस्तूर चल रहा है। फाइटर जेट और अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा विशाल हो इसकी कोशिश हो रही है। साथ ही दहशगर्दी में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इन सब के बावजूद स्नेह और भाईचारा की बातें आशा जगाती हैं।

(अमर शहीद बलवंत राय मेहता के 51वें बलिदान दिवस पर आयोजित परिचर्चाओं से उद्धृत)

## पंचायतों के बिना ग्रामोदय से भारतोदय का सपना अधूरा

# कुछ राज्यों के पंचायतों को नहीं मिला है संवैधानिक अधिकार: सुबोधकांत

अखिल भारतीय पंचायत परिषद ने संविधान के 73वें संशोधन को देश में जमीनी स्तर पर लागू करने की मांग की है। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोधकांत सहाय ने कहा कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां अभी पंचायतों को उनका संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को जिन 29 बिन्दुओं पर अधिकार दिए गए हैं, उसे शीध्र पंचायतों की हस्तांतरित किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष डॉ. वाईवी रेड्डी ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों में पंचायतों के लिए 10 प्रतिशत बजट बढ़ाकर उन्हें मजबूत करने का प्रयास तो किया, लेकिन वित्त आयोग ने जिला परिषद की किनारे कर पंचायती राज संस्थानों की कमजोर कर दिया है। यह भी स्पष्ट कर दिया कि पंचायत परिषद किसी पार्टी विशेष की नहीं बल्कि यह संयुक्त प्रयास है। जिसमें विभिन्न पार्टियों के लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि संस्था पूरी तरह पंचायत के लिए समर्पित है और गैर राजनीतिक संस्था के तौर पर सक्रिय है। उन्होंने परिषद की मांगों के संबंध में सभी सहयोगी संस्थानों को एकजूट होकर सहयोग देने की अपील की है। इसके अलावा परिषद के पदाधिकारियों ने 21वीं सदी की चुनौतियों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। परिषद में नए पदाधिकारियों की भी नियुक्त किया गया। जानकारी दी गई कि दिल्ली प्रदेश पंचायत परिषद के डॉ. अशोक चैहान को कार्यवाहक अध्यक्ष और सहदेव भाटी को महामंत्री नियुक्त किया गया है। वहीं, हिन्दी व अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका पंचायत संदेश के प्रबंधन में भी परिवर्तन किए गए हैं।

पंचायत के सम्मेलन में महामंत्री (मुख्य) शीतला शंकर विजय मिश्र, महामंत्री एवं पंचायत संदेश के अनिल शर्मा, महामंत्री रूपचंद चपराणा, जयंती भाई पटेल और नवनियुक्त प्रबंध संपादक कौशल किशोर सहित परिषद के अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी रही।

राजधानी में 1983 के बाद नहीं हुआ पंचायत चुनावः राजधानी दिल्ली के तीन सौ से ज्यादा पंचायतों में 1983 से अबतक पंचायत चुनाव नहीं कराया गया। राज्य पंचायत परिषद के अध्यक्ष ध्यानपाल सिंह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ग्राम सभा की तरह ही मोहल्ला सभा की पैरवी कर रहे हैं। जबकि गांवों को पंचायत के ही अधीन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की पंचायतें लोकनायक, बलवंत राय मेहता और महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों को साकार करने की अहम कड़ी साबित हो सकती है। परिषद की ओर से केंद्र और राज्य सरकारों में शामिल जनप्रतिनिधियों के वित्तीय क्षमता में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को बेहतर वेतन-भत्ता देने की मांग की गई है।

अंकुर शुक्ला की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स 23 अक्टूबर 2016

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:54 AM Page 46



# वीर-बलिदानी लालाजी

## लाला लाजपत राय का स्मरण

आज से ठीक 88 साल पहले 30 अक्टूबर को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने निकले लाला लाजपत राय के सीने पर लाठियां भांजी गई थी। तब देश में अंग्रेजों का राज था। 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध उनका ऐतिहासिक प्रदर्शन उनकी बहादुरी की सच्ची मिसाल है। उनके लिए 63 वर्ष की अवस्था में स्कॉट और सांइर्स का हमला प्राणघातक साबित हुआ। आखिरकार 17 नवंबर को लालजी ने देह त्याग दी। इस बीच 18 दिनों एक महाभारत उनके जीवन में भी मिलता है। उनके निधन को एनी बेसेंट ने एक महानायक की शहादत करार देते हुए कहा था कि बेहद मुश्किल होता है एक जन आंदोलन का नेतृत्व करते हुए सबसे आगे रहकर आक्रमण को झेलना। उस दौर में दूसरी भारी-भरकम आवाज देशबंधु चितरंजन दास की विधवा बसंती देवी की उभरी थी। इसी ललकार का नतीजा था कि चंद्रशेखर आजाद की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नायक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने मिलकर सांडर्स वध की योजना रची और फांसी पर झूलना कबूल किया।

यह सब आजादी की लड़ाई का क्रांतिकारी घटनाक्रम है। यह उचित ही है कि मोदी सरकार लाजपत राय के जन्म का 150 साल पूरा होने पर उनके सम्मान में 5,10 और 150 रुपये के विशेष सिक्के ढालने जा रही है। देश के इस लाल को सम्मानपूर्वक शेर पंजाब और पंजाब केसरी भी कहा जाता है। लालाजी के जीवनकाल का विस्तार 19वीं सदी के अंतिम तीन दशकों और 20वीं सदी के पहले प्रथम तीन दशकों के बीच है। इस दौर की भारतीय राजनीति में लालाजी जैसा कोई दूसरा सितारा खोजना आसान नहीं। यह उनकी विलक्षणता का प्रभाव था कि लाल-बाल-पाल के युग में विपरीत ध्रुव भी आकर्षित होते रहे। स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान सचमुच अद्वितीय है। 19वीं सदी में लालाजी ने अंग्रेजी और हिंदुस्तानी के माध्यम से शिक्षा की पैरवी की। भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने को उचित ठहराकर लालाजी भाषा आंदोलन के भी अग्रीम पंक्ति के नायक साबित हुए।

लालाजी को इंग्लैंड और अमेरिका प्रवास के दौरान बर्टेंड रसेल और जॉन डेवी की शिक्षा पद्धति को करीब से समझने का अवसर मिला था। इन दोनों विद्वानों ने भी शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण ही माना था। लालाजी ने लौकिक पुरुषार्थ की प्राप्ति को महत्वपूर्ण मानकर दयानंद-एंग्लो-वैदिक स्कूल-कॉलेज शुरू किए, जिसकी आज 800 के करीब शाखाएं देशभर में फैली हुई है। शिक्षा को राष्ट्रनिर्माण की अहम कड़ी मानने वाले लालाजी ने इसे राज्य की जिम्मेदारी बताते हुए सबसे पहले बजट आवंटित करने की पैरोकारी की थी। आज जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन रही है तब इस विषय में लालाजी के विचारों का अवलोकन बेहद आवश्यक है। भारत की शिक्षा व्यवस्था की समस्या पर लिखी उनकी पुस्तक के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में कायाकल्प संभव है।

बलिदान से पांच साल पहले लालाजी ने दंगों के समय पीड़ित पक्ष को बचाने और सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने के लिए कारगर तरीका अपनाया था। उन्होंने दंगाइयों को रोकने के लिए उसी धर्म को मानने वाले लोगों से आगे बढ़कर हिंसा रोकने की पुरजोर बकालत की थी। उपराष्ट्रपति डा. हामिद अंसारी कहते हैं कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले 100 विशिष्ट लोगों की सूची में लालाजी पहले स्थान पर है। सभी धर्मों को समान महत्व देने की पैरवी करने वाले लालाजी पहले स्थान पर हैं। सभी धर्मों को समान महत्व देने की पैरवी करने वाले लालाजी सेक्युलर नायक थे। लालाजी ने 1920 में द तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स शुरू किया था। लोकमान्य, महामना और उत्कलमणि के करीबी मित्र रहे लालाजी ने राजनेताओं की नई पीढ़ी के निर्माण में रुचि ली। उन्होंने आजादी के बाद देश को राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन, बलवंतराय मेहता और लालबहादुर शास्त्री जैसे राजनीतिज्ञ दिए। 1965 में विमान अपहरण के बाद गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता और उनकी पत्नी की संदिग्ध मौत का मामला भी शास्त्री जी जैसे है। मोदी सरकार मेहता दंपति की संदिग्ध मौत के कारण जानने पर विचार करे तो बलिदानियों के विषय में कुछ नई जानकारी मिल सकती है।

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:54 AM Page 47



# रामानंद चटर्जी की चेतावनी

**रामबहादुर राय**

रामानंद चटर्जी भारतीय पत्रकारिता के कीर्ति स्तंभ हैं और बने रहेंगे। क्योंकि भारत में पत्रकारिता की स्वस्थ परंपरा उन्होंने ही डाली। उन्हें भारतीय पत्रकारिता का पितामह कह सकते हैं। उनके जन्म का 150 वां साल चल रहा है। उसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। इलाहाबाद ने पहल कर दी है। संभव है कि इस समय के पत्रकार रामानंद चटर्जी के नाम से चौंके। कोई हर्ज नहीं। विस्मरण ऐसा रोग नहीं है जो लाइलाज हो। उससे पर्दा हटा देना ही काफी है। यही रामानंद चटर्जी की स्मृति के साथ आसानी से किया जा सकता है। वे बांकुड़ा में पैदा हुए थे। उनके जन्म की तारीख है-29 मई, 1865। कविता और देशभक्ति ने उन्हें बचपन में ही अपनी ओर खींचा। कवि रंगलाल बंदोपाध्याय से प्रेरित हुए। वे मेधावी छात्र थे। उन्हें उस समय की मशहूर रिपन स्कॉलरशिप मिली थी, 50 रुपए महीने। कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए की परीक्षा दी। वे पहले स्थान पर आए। इससे प्रभावित होकर प्रो. हेरंब चंद्र मैत्र ने उन्हें अपनी पत्रिका में सहायक संपादक बनाया। वह साधारण ब्रह्म समाज की पत्रिका थी। नाम था-'मैसेंजर'। उसी से उनकी पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ। लेकिन जल्दी ही उन्होंने अध्यापन की राह पकड़ी। कुछ दिनों बाद वे इलाहाबाद आए। वहां कायस्थ पाठशाला में प्रधानाचार्य बने। थोड़े दिनों बाद बंगला की साहित्यिक पत्रिका 'प्रदीप' के संपादक बने। लेकिन मतभेद होने के बाद उन्होंने उसे छोड़ा। 'प्रवासी' पत्रिका प्रारंभ की। यह बात सन 1901 की है। उसके प्रवेशांक में रवींद्रनाथ ठाकुर की कविता 'प्रवासी' और रामानंद चटर्जी का निबंध 'अजंता की गुहा चित्रावली' छपी। बंगला बुद्धिजीवियों ने प्रवासी को अपना मंच बनाया। जो छप जाते थे, वे रातोंरात प्रसिद्ध हो जाते थे। बंगला संस्कृति और भारतीयता की भावना से 'प्रवासी' ओत-प्रोत होता था। छः साल बाद रामानंद चटर्जी कलकत्ता चले गए।

उनकी पत्रकारिता को समझने के लिए संपादक रामानंद चटर्जी को जानना चाहिए। वे संपादक की स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे। जितनी स्वतंत्रता वे अपने लिए चाहते थे, उतनी ही स्वतंत्रता अन्य संपादकों को भी देते थे। हिन्दू महासभा के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रामानंद चटर्जी ने की थी। उनके अध्यक्षीय भाषण की तीव्र आलोचना 'विशाल भारत' के संपादक बनारसीदास चतुर्वेदी ने की। 'विशाल भारत' रामानंद चटर्जी का ही पत्र था। इसके बावजूद रामानंद बाबू ने अपनी आलोचना पर कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने अंग्रेजी की मासिक पत्रिका 'मॉडर्न रिव्यू' शुरू की। इंडियन प्रेस के मालिक और ख्यातिनाम चिंतामणि घोष, भगनी निवेदिता और मेजर वामन दास बोस ने इस महत्वपूर्ण काम में उनका सहयोग दिया। खास बात यह है कि नीरद सी चौधरी 'मॉडर्न रिव्यू' में उस समय सहायक संपादक थे। बहुत बाद में उन्हें दुनिया का एक प्रतिभावान लेखक माना गया। वे लंदन जा बसे थे। उनकी कई पुस्तकें बहुत चर्चित रही हैं। अपनी जीवनी में उन्होंने रामानंद चटर्जी को भी आदरपूर्वक याद किया है। 'मॉडर्न रिव्यू' में रवींद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, सी.एफ. एन्ड्रूज, रोमारोलां, लाला लाजपत राय, भगिनी निवेदिता, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वेरियर एलविन, प्रेमचंद, जदुनाथ सरकार के लेख छपते थे। महात्मा गांधी ने 'यंग इंडिया' में लिखा-'रामानंद चटर्जी की पत्रिका में जो भी बात लिखी जाती है, उसमें स्वाभाविक बल होता है।' इसी तरह 'रिव्यू ऑफ रिव्यूज' के संपादक डब्ल्यू.टी. स्टीड ने लिखा-'राष्ट्रवादियों के एक उल्लेखनीय प्रतिनिधि हैं- रामानंद चटर्जी। वे देशवासियों को उत्थान के लिए प्रेरित कर रहे हैं।'

रामानंद चटर्जी की टिप्पणियां बेबाक होती थीं। उन्होंने लाला लाजपत राय के निर्वासन पर लिखा-'यह ब्रिटिश शासन में भारत के विश्वास की जड़ पर कुठाराघात है।' लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के देश निकाले पर लिखा-'अपनी प्रतिभा, विद्वता, निर्भीकता और मनोबल से वे भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रतीक बन गए हैं।' इसकी कल्पना करना आज बहुत कठिन है कि उस समय यह लिखना कितने बड़े साहस और बलिदान के भाव का प्रकटीकरण था। 'मॉडर्न रिव्यू' की प्रतियां कलकत्ता कांग्रेस में बांटी गई थी, जबकि वह अभी विधिवत प्रकाशित भी नहीं हुई थी। लेकिन प्रवेशांक ने ही राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमा ली। ऋषि श्री अरविंद को कौन नहीं जानता। लेकिन पत्रकार अरविंद घोष को आज की पीढ़ी शायद ही याद करती हो। 'मॉडर्न रिव्यू' के छपने पर 'वंदेमातरम' के संपादक के रूप में उन्होंने उसका स्वागत किया और लिखा- 'यह कहना कि 'मॉडर्न रिव्यू' ने हमारी पत्रिकाओं के साहित्य में एक नया अध्याय आरंभ किया है, अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके प्रासंगिक दृश्य चित्र एक निधि हैं, किंतु यह निधि पत्रिका में प्रकाशित लेखों के सामने फीकी है। इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यूरोप के लेखकगण भी पत्रिका को सहयोग देने के लिए आगे आ रहे हैं।'

करीब 110 साल पहले रामानंद चटर्जी ने पत्रकारों के लिए जो-जो करने और न करने की लिखकर सलाह दी थी, वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। '**समाज में पत्रकारिता का स्थान**' शीर्षक से उनका लेखन बार-बार पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने लिखा- 'पत्रकारिता के अपने ही आकर्षण और प्रलोभन हैं। हम जो निरे पत्रकार हैं, हम में से कोई भी हमारे बीच जी रहे उन व्यक्तियों के समकक्ष तो क्या उनका पासंग भी नहीं हो सकता जिनकी कोई उपलब्धि है।....आलोचक कभी कृतिकार के बराबर नहीं हो सकता। 'कृतिकार' शब्द को यहां व्यापकतम और गंभीरतम अर्थ में लीजिए।' उनकी यह सलाह तब के लिए थी। अब तो एक चेतावनी है। उसे सुनने और समझकर अपना आचरण सुधारने की जरूरत अनुभव की जा रही है। कारण बताने की जरूरत नहीं है। वह बहुत साफ है। आज पत्रकारिता की सत्ता का बल निरंकुश होता दिख रहा है। इसी वजह से पत्रकारिता के दुरूपयोग की घटनाएं लोगों की नई हैरानी और परेशानी बन गई है। भ्रष्टाचार, प्रलोभन, धौंस आदि आम हो गए हैं। निराश होने की जरूरत नहीं है। ये लक्षण हैं, बीमारी नहीं। इन्हें दूर किया जा सकता है, अगर पत्रकारिता में रामानंद चटर्जी का आदर्श स्थापित करने का संकल्प आ जाए। उसका यही समय है।

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:54 AM Page 48



# गांधीवादी पत्रकार: कुमारप्पा

**रमेश चंद शर्मा**

**गां**धीजी के आन्दोलन में बडी संख्या में लोगों की, देश की भागीदारी रही। देश के हर कोने में गांधी के सिपाही, साथी, लोग, कार्यकर्ता खड़े थे। इनमें से अनेक विशेष लोग थे, जिनकी संख्या भी बड़ी थी। इस श्रृंखला की एक मजबूत कड़ी थी डॉ जे सी कुमारप्पा। ग्रामोद्योग, ग्राम उत्थान, ग्राम अर्थ व्यवस्था, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ, तत्वज्ञ, स्थायी अर्थव्यवस्था का विचार, योजना प्रस्तुत करने वाले, गांव की मजबूती में देश की मजबूती देखने वाले, आर्थिक मुद्दों पर खुलकर सार्थक चर्चा करने वाले, गांधी विचार के ज्ञाता, विचार पर चलने वाले प्रयोगधर्मी, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ कुमारप्पा।

डॉ जे सी कुमारप्पा का जन्म 4 जनवरी 1892 को तंजावूर, तमिलनाडु में एक समृद्ध परिवार में हुआ। कॉलेज तक की पढाई मद्रास (आज के चेन्नै) में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे लंदन (इग्लैंड) गए और वहां से लेखा परीक्षक की उपाधि प्राप्त की। लंदन में ही एक अंग्रेज कम्पनी में काम करना शुरू किया मगर परिवार के आग्रह पर उन्हें अपने देश वापिस लौटना पड़ा। परिवार को डर था कि कहीं पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आकर वे स्थायी तौर पर वहीं न बस जाए।

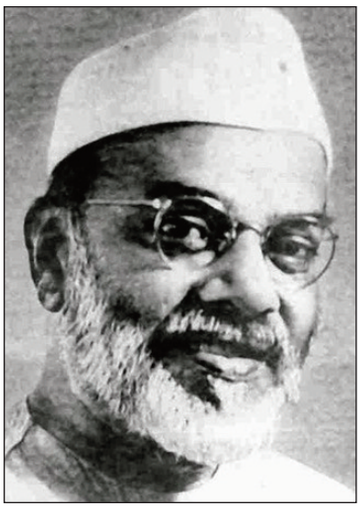

उनका पूरा नाम जोसफ चेल्लदुरै करनीलियस था। करनीलियस नाम ईसाई बनने पर परिवार को मिला था, जिसे अपने दादा के नाम पर बाद में इन्होंने कुमारप्पा कर लिया। बड़े भाई जगदीश एवं छोटे भाई भरतन ने भी इनका अनुकरण करते हुए अपने नामों के साथ भी कुमारप्पा जोड़ लिया।

भारत लौटने पर डॉ जे सी कुमारप्पा ने बम्बई आज के मुंबई की एक बड़ी फर्म में काम करना शुरू किया। कुछ समय बाद इन्होंने डावर भाईयों के साथ मिलकर अपनी खुद की 'करनीलियस एंड डावर' नाम की कंपनी बनाई। इनके ज्ञान, जानकारी, मिलनसार स्वभाव, व्यवहार के कारण इनका काम खूब आगे बढ़ा।

इनके बड़े भाई जगदीश मोहनदास करनीलियस अमेरिका में रहने लगे थे, उन्होंने डॉ जे सी कुमारप्पा को घूमने के लिए अमेरिका बुलाया। डॉ कुमारप्पा उनके निमंत्रण पर अमेरिका गए और इस समय का सदुपयोग सिरेक्यूस विश्वविद्यालय से बिजनेस प्रबंधन में बी एस सी की पढ़ाई करने में किया और एक वर्ष में पढ़ाई पूरी कर उपाधि प्राप्त कर ली। अगले साल से कोलंबिया विश्वविद्यालय से सार्वजनिक निधि का गहरा अध्ययन करना प्रारम्भ किया। अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने एक विशेष लेख लिखा जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, इसी लेख के कारण ही गांधी जी से उनका संपर्क, संवाद बना। इस लेख में मुख्य विचार था कि भारत की जनता की गरीबी का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार की शोषक नीति ही है, लेख में पूरे प्रमाणों के साथ यह सिद्ध किया गया था। भारत वापसी पर उनका यह लेख लोगों के मध्य चर्चा का विषय बना और इसी प्रक्रिया के दौरान गांधी जी के पास पहुंचा। गांधी जी इस लेख से बहुत प्रभावित हुए, इसे सारगर्भित माना और यंग इंडिया में प्रकाशित कर, अपने साथ काम करने के लिए डॉ कुमारप्पा को न्यौता दिया। गांधी जी की सत्यनिष्ठा, कर्तव्य परायणता, सादगी, सहजता, सामूहिकता, स्पष्टता का कुमारप्पा पर बडा प्रभाव पड़ा और वे गांधी जी के मुरीद हो गए।

डॉ कुमारप्पा साबरमती आश्रम पहुंचे और गांधी जी के साथ काम शुरू कर दिया। गुजरात विद्यापीठ में अर्थशास्त्र, ग्रामीण अर्थशास्त्र पढ़ाना शुरू किया, उन्हें गुजराती भाषा का ज्ञान नहीं था इसलिए कठिनाई होती थी। छात्रों को अंग्रेजी भाषा का विशेष ज्ञान नहीं था, फिर भी परस्पर सहयोग, सहकार से वे काम को आगे बढ़ाते रहे। उनका मानना था कि मात्र किताबी ज्ञान से शिक्षा पूरी नहीं होती, इसके लिए प्रत्यक्ष काम, असली हालत को जानना जरूरी है। प्रत्यक्ष काम के लिए मातर तालुका के गांवों का सामाजिक और आर्थिक सर्वे कर तालुका के विकास की विस्तृत योजना बनाई। इस सर्वे का संदर्भ आज भी स्थान स्थान पर लिया जाता है। इसे एक मौलिक, प्रामाणिक सर्वे माना जाता है।

सत्याग्रह के समय गांधी जी को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए गांधी जी ने सोचा यंग इंडिया का काम चलता रहे, वह प्रकाशित होता रहे, इसके लिए कुमारप्पा जी का नाम भी जिम्मेदारी उठाने वालों में शामिल था। गांधी जी उन्हें इस काम के लिए सक्षम मानते थे। कुमारप्पा जी ने ब्रिटिश सरकार, अधिकारी, कर्मचारियों के अन्याय, अत्याचार, जुल्म के खिलाफ कडी आलोचना की जिससे सरकार का गुस्सा बढा और उसने छापाखाना को ताला लगा दिया। इसके बावजूद भी कुमारप्पा जी ने टाईप कराकर पत्रिका का अंक समय पर निकाल दिया। इस पर सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।अदालत में उन्होंने तीखा जोरदार बयान दिया, जिसे जेल से बाहर आकर गांधी जी ने पढ़ा और सराहा और कहा इस बयान के बाद तो उनको सजा मिलनी ही थी।

1934 में गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारत

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:54 AM Page 49



ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की गई। इसका मंत्री कुमारप्पा जी को बनाया गया। ग्रामोद्योग उनका प्रिय, रुचिकर विषय था। ग्रामोद्योग संघ ने गांव का कच्चा माल गांव में ही प्रयोग हो, कच्चा माल गांव से बाहर नहीं जाए। गांव-गांव में उद्योग धंधे चलें, काश्तकार पहले की तरह गांव में ही काम करें। इसी से गांव का विकास होगा, रोजगार के अवसर बढेगें, गांव में ही रोजगार उपलब्ध होगा और गांव की गरीबी मिटेगी। गांव सशक्त, मजबूत बनेगा। गांव-गांव में उत्पादन बढ़ेगा। गांव समृद्ध बनेगें। गांव की ग्राम स्वराज की ओर बढ़ने की संभावना होगी। गांव खुशहाल बनेगा, केन्द्रीकरण के कष्ट से बचाव होगा।

इसके लिए नए औजार बनाना, उद्योगों के साधनों का विकास करना, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करना। गांव-गांव तक यह संवाद, संपर्क, संदेश, संकल्प पहुंचाना। इसके लिए वर्धा में मगनवाड़ी में केन्द्र स्थापित किया गया। ग्रामोद्योग संघ का केन्द्रीय कार्यालय भी यहां बनाया गया। कार्यकर्ता प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रयोग, उत्पादन की योजना बनाई गई। ग्राम आंदोलन का यह एक प्रमुख स्थल बना। ग्रामोद्योग का एक संग्रहालय बनाया गया जिसमें औजार, ग्रामोद्योग के नमूने, जानकारी, विवरण आदि का संग्रह रखा गया। मगन संग्रहालय आज भी वर्धा में आप देख सकते हैं। ग्रामोद्योग के विकास के लिए ग्राम उद्योग पत्रिका भी प्रारंभ की जो लम्बे समय तक प्रकाशित हुई। रचनात्मक कार्यक्रम में भी इनका विशिष्ट, भरपूर सहयोग, सहकार, योगदान रहा। गांधी अर्थ शास्त्र के तत्वों, नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं पर इनकी विशेष समझ, सोच, चिन्तन, पकड़ रही। दुनिया के सामने ज्यादातर औद्योगिक विकास का पाश्चात्य नमूना ही पेश किया गया है जिसमें लाभ, लोभ, लूट, शोषण की व्यापक संभावना है। जबकि गांधी अर्थ शास्त्र जन उपयोगिता को प्रमुख मानता है, इस पर जोर देता है, लाभ या लोभ पर नहीं। समाज की आवश्यकता की पूर्ति अर्थ शास्त्र का मुख्य मुद्दा बनना चाहिए। उदाहरण के लिए चोरी, डकैती, लूट, जेबकतरे के काम को कितने भी कुशल ढंग से, सफाई से किया जाए, उसे आर्थिक प्रक्रिया का हिस्सा, अंग नहीं माना जा सकता है। आर्थिक प्रक्रिया में सेवा, समाज कल्याण, जनहित का होना परम जरूरी है, इसके बिना आर्थिक प्रक्रिया नुकसान, सत्यानाश, बर्बाद करेगी।

**यंग इंडिया का काम चलता रहे, इसके लिए कुमारप्पा को गांधीजी सक्षम मानते थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के जुल्म के खिलाफ कड़ी आलोचना की जिससे सरकार का गुस्सा बढ़ा, छापाखाना को ताला लगा दिया गया। इसके बावजूद भी कुमारप्पा ने टाईप कराकर पत्रिका का अंक समय पर निकाल दिया था।**

इनकी पुस्तकें 'स्थाई अर्थ शास्त्र' एवं 'ग्राम आंदोलन क्यों?' की सहायता से इन बातों को विस्तार से समझा जा सकता है। गांव में काम करने वाले, गांव विकास की चाह रखने वाले, नए समाज की कल्पना करने वाले, गांधी विचार की राह पर चलने वाले, ग्राम स्वराज्य का सपना देखने वालों के लिए इनका साहित्य मार्गदर्शक है।

'ईशा मसीह के उपदेश व अनुकरण' पुस्तक भी जेल में ही लिखी गई थी। इनकी पुस्तकें पढकर गांधी जी ने इनको 'ग्रामोद्योग तत्व शास्त्रज्ञ' एवं 'देव तत्व शास्त्री' के नाम से नवाजा। गांधी जी गुजरात विद्यापीठ के कुलाधिपति भी थे।

1937 में अनेक प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी तो कुमारप्पा जी की अध्यक्षता में ग्राम विकास की योजनाएं बनाई गई। यह काम उन्होंने बहुत ही कम समय में सुंदर ढंग से पूरा करके सरकार को सौंप दिया।

आजादी के बाद भी उन्होंने राष्ट्रीय योजना समिति, भूमि सुधार समिति, भूकंप निवारण समिति आदि के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया।

कुमारप्पा जी ने कई क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान की मगर गांधी अर्थ शास्त्र के वे बड़े विशेषज्ञ थे, तत्वों को जानना, समझना, समझाना, नीतियां बनाना, योजना तैयार करना, ढांचा खड़ा करवाना, अध्ययन, सर्वे के विशेष ज्ञानी थे। अहिंसक समाज की कल्पना का चित्र उनके समक्ष पूरी तरह से साफ था। शोषण रहित अर्थ शास्त्र का चिन्तन, मनन, अध्ययन कुमारप्पा जी की विशेषता थी। वे मानते थे कि सारा विश्व शोषणमय समाज रचना करके विनाश की ओर बढ़ रहा है। भारत को इसका जवाब देना चाहिए। शोषणमुक्त, अहिंसक समाज रचना के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण विचार रखें। केन्द्रीकरण की कमियों के बारे में तथा विकेन्द्रीकरण के पक्ष में उन्होंने विस्तार से चर्चा की। लोक शक्ति, ग्राम राज ही सशक्त एवं उपयोगी रास्ता है। वे जीवन भर इसी काम को अंजाम देते रहे, आगे बढ़ाते रहे। वे सत्ता के बजाय लोक पक्ष को ज्यादा तवज्जो देते थे। उनका मानना था कि लोगों की शक्ति, गांव की ताकत बढ़ेगी तो ही सच्चा विकास होगा, हम ठीक रास्ते पर जाएंगे। यही गांधी का रास्ता है। उन पर सत्ता में शामिल होने का खूब दबाव पड़ा मगर वे टस से मस नहीं हुए और अपनी राह पर चलते रहे। उन्होंने गांधी की राह को चुना, सत्ता को नहीं।

युद्ध विरोध एवं विश्व शांति उनकी रुचि के विषय थे। इसके लिए अनेक विदेश यात्रा की, सम्मेलनों में भाग लिया। परस्पर सहयोग, सहकार, शांति से राष्ट्र एक दूसरे का साथ दे, मैत्री, भाईचारा बढ़े, तनाव, दबाव, हिंसा, अलगाव, नफरत, शोषण रुके।

आजादी के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय गांव के उत्थान हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ही लगाया। तमिलनाडु के मदुरै जिले के कल्लुपट्टी गांव में गांधी निकेतन आश्रम में एक कुटी बनाकर रहे।

अंतिम वर्षों में उनकी तबियत ने बहुत साथ नहीं दिया इसलिए ईलाज के लिए अस्पताल में भी रहना पडा। 30 जनवरी 1960 को उनका स्वर्गवास हुआ। कुमारप्पा जी के योगदान, काम, विचार को आज अपनाने की जरूरत महसूस होती है। आज की समस्याओं का समाधान करने के लिए डॉ कुमारप्पा के आन्दोलन, साहित्य को समझने, अपनाने, समृद्ध करने की जरूरत है।

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:54 AM Page 50



# लिबरल राजनीति पर पुनर्विचार

**पवन कुमार गुप्ता**

पिछले आम चुनाव से देश और दुनिया में एक बड़ा बदलाव अब साफ दिखाई देने लगा है। इसकी शुरूआत तो इस्लामी आतंकवाद ने जब से दुनिया में जोर पकड़ा तब से ही हो गई थी। बिन लादेन उसी बदलाव की प्रक्रिया के हिस्सा थे। आम आदमी की सोच में एक बड़ा बदलाव आ रहा है और उसे समझने की कोशिश होनी चाहिए। विशेषकर राजनीति और समाज से जुड़े लोगों के लिए जरूरी है।

बड़े बदलावों की प्रक्रिया के पीछे कारण ढूँढे जा सकते हैं, अटकलें लगाई जा सकती हैं पर ये इंसान की शक्ति से परे होती है। ये उन तर्कों के आधार पर समझ नहीं आते जिस तर्क प्रणाली का आधुनिक शिक्षा के चलते आम पढ़ा लिखा आदमी अभ्यस्त हो गया है। इनके रुझान, इस बदलाव के पैटर्न समझना चाहिए। यह बदलाव सीधे-सीधे एक के बाद एक, रेखा की तरह नहीं होते, घुमावदार जलेबीनुमा होते हैं। जैसे आधुनिक दिमाग को यह समझ नहीं आता कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बालि का वध, छल से क्यों किया या सीता का परित्याग क्यों किया या शंबुक को क्यों मारा या कृष्ण का इतने छल, फरेब करने के बाद भी भारत अवतार क्यों मानता है या गांधी जी ने नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनने दिया? इनके उत्तर आधुनिक तर्क प्रणाली से नहीं मिलते। आधुनिक तर्क प्रणाली से जो नतीजे आते हैं वो पूर्व निर्धारित होते हैं।

जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, उसे जब मैंने अपने नजदीकी एक विद्वान, से कुछ वर्ष पहले सुना तो मैं चौंक पड़ा था। उनकी बात चंडूखाने की गप्पें नहीं हुआ करती थी, काफी सोच विचार और प्रामाणिकता के आधार पर वे इस तरह की बातें किया करते थे। कमलेश जी किसी वक्त डाक्टर लोहिया के सचिव के रूप में कार्यरत रहे, फिर जार्ज फर्नांडिस की पत्रिका **प्रतिपक्ष** का उन्होंने सम्पादन भी किया। उन्होंने कई वर्ष सोवियत रूस में भी बिताए थे। वे किताबे सिर्फ पढ़ते ही नहीं थे, उसके लेखक का आगा-पीछा भी वे बखूबी जानते थे। पढ़ने के साथ-साथ लेखक को भी वे समझते थे। लेखक की पृष्टभूमि, उसके ऊपर पड़े विभिन्न प्रभावों की जानकारी वे रखते थे। यादाश्त भी कमाल की थी। उन्होने बताया कि अंग्रेजों के जमाने में अंडमान की सेलुलर जेल में जहां भारत के गंभीर कैदियों को रखा जाता था वहाँ के पुस्तकालय में मार्क्सवादी और सोवियत साहित्य की भरमार होती थी। साम्राज्यवाद और मार्क्सवाद का गठजोड़ समझने में मुझे कई वर्ष लग गए। पर अब यह उलझन कुछ-कुछ साफ होती जा रही है। डाक्टर लोहिया ने भी एक बार कहा था कि मार्क्सवाद पश्चिम का नया हथियार है, पर उस पर कोई विशेष बात उनके अनुयायियों में हुई नहीं।

> **साम्राज्यवाद और मार्क्सवाद के गठजोड़ से जो नई राजनीति निकली वह थी उदारवाद या लिबरल राजनीति। अमरिका इस राजनीति का सिरमौर बना। अनाप-शनाप पैसे के बल पर उसने अपने विश्वविद्यालयों और तथा लिबरलिस्म की धार से सामाजिक विज्ञान के तमाम सिद्धांतों मूल्यों और दृष्टि पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया ।**

साम्राज्यवाद और मार्क्सवाद के गठजोड़ से जो नई राजनीति निकली वह थी उदारवाद या लिबरल राजनीति। अमरिका इस राजनीति का सिरमौर बना। अनाप-शनाप पैसे के बल पर उसने अपने विश्वविद्यालयों और तथा लिबरलिस्म की धार से सामाजिक विज्ञान के तमाम सिद्धांतों मूल्यों और दृष्टि पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और आर्थिक एवं सामरिक शक्ति के अलावा लोगों (पढ़े-लिखे वर्ग) के दिमाग पर भी उसने अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसकी शुरूआत तो अंग्रेज कर ही चुके थे पर अमरिकी लोगों ने उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह काम जोरों से 40 के दशक से शुरू हुआ और 80 के दशक में सोवियत रूस के विघटन के बाद इसमें नई ऊर्जा का संचार हुआ। ऊपर-ऊपर से सतही तौर पर तो लिबरलिस्म और साम्राज्यवाद का संबंध बैठा नहीं, पर अमरीकी उच्च शिक्षा संस्थानों और उनमें बैठे बड़े विद्वानों द्वारा यह संभव हो पाया। दुनिया को अपने ढंग से हाँकने में वे काफी हद तक सफल हुए। घोर पूंजीवाद और लिबरल पॉलिटिक्स के अंर्तद्वंदों को वे पचा पाये। दुनिया को झांसे में रखने में वे सफल हुए। इस बात को और समझने और इस पर व्यापक शोध करने की जरूरत है। पर वह समय शायद दूर है।

इसमें अमरिका ने कई बाजियाँ जीती। दुनिया के तमाम प्रगतिशील विचारकों के विचारों को गढ़ने का काम वहाँ से होने लगा। दूसरे देशों के जो विचारक उनकी भाषा बोलने लगे उन्हे बड़ा प्रोत्साहन पैसे, सम्मान, पुरस्कार, अमरिकी विश्वविद्यालयों में न्यौते, इत्यादि भी मिलने लगे। और इन दूसरे देशों में भी इसी वर्ग (विश्वविद्यालयों, मीडिया, सरकारी संस्थाओं) का वर्चस्व

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:54 AM Page 51



होने की वजह यह शक्तियाँ (देश के अंदर और बाहर) एक दूसरे को पोषित करने लगीं। अन्य देशों में अपने कई संस्थानों (फोर्ड फाऊण्डेशन और विश्व बैंक इत्यादि) के जरिये भी इस प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। दूसरी तरफ अमरिका के अंदर यह विचारवान वर्ग विश्वविद्यालयों और सरकारी संस्थाओं में सिमट गया और अपनी जनता से दूर होते चला गया। तो विचार सिर्फ बातों तक सिमट गया, असलियत से कोसों दूर। बाते रेडिकल और कर्म साम्राज्यवाद से प्रेरित।

इसका फायदा (और नकल भी) बुद्धिजीवी वर्ग ने तो उठाया ही पर राजनैतिक वर्ग ने सबसे ज्यादा उठाया। उसने बहुत जल्दी यह लिबरल राजनीति की भाषा और मुहावरे सीख लिए। इससे उसका काम भी चला। दुनिया 20वीं शताब्दी में करवट ले रही थी, बड़े-बड़े बदलाव हो रहे थे, क्रांति हो रही थीं, देश आजाद हो रहे थे, लोगों में नई उम्मीद जग रही थी। लिबरल राजनीति की भाषा का इस उम्मीद से तालमेल बैठ रहा था।

ध्यान देने की बात यह है कि इस लिबरल राजनीति का सिरमौर साम्राज्यवादी और पूंजीवादी अमरीका ही था। अपार धन, आर्थिक समृद्धि और सामरिक शक्ति का केंद्र होने की वजह से बुद्धिजीवियों को विश्वविद्यालयों में कैद करके उसने उन्हे पहले ही आम लोगों से दूर कर दिया था - आम जनता अपनी आर्थिक प्रगति और ठाठ-बाट में मस्त थी। उसे लिबरल राजनीति के मुहावरों से खास सरोकार था नहीं। काले और गोरे, मर्द और औरत के बीच समानता की बातें होती रहती थी पर उससे ज्यादा और कुछ नहीं। अमरीका एक तरफ दुनिया को लिबरलिस्म के पाठ-भाईचारे, बराबरी, समानता, विविधता, शांति-के पाठ पढ़ाता रहा और वे सारे कुकर्म भी करते रहे। आतंकवाद को बढ़ावा, अन्य देशों के अंदर और उनके बीच युद्ध करवाना, हथियारों का व्यापार, लोकशाही को खत्म करके अपने चहेते को राष्ट्राध्यक्ष बनवाना, लोगों को मरवाना इत्यादि। यह अमरीका की खूबी रही है, पिछले 70-75 वर्षों में। इसका कोई अन्य देश मुकाबला नहीं कर सकता। ध्यान इस बात पर भी देना होगा कि ये कुकर्म अमरीका के डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, दोनों पार्टियों के कार्यकाल में लगातार हुए। पर रिपब्लिकन बदनाम ज्यादा हुए क्योंकि उनकी भाषा और मुहावरे लिबरल नहीं थे, प्रगतिशील नहीं थे।

लिबरल राजनीति की बातें अच्छी हैं। पर धीरे-धीरे उनकी धार निकाल चुकी है। उसमे सच्चाई और फरेब के बीच भेद करना मुश्किल हो गया है। तर्क से दिमाग को बातें ठीक लगते हुए भी अगर उन बातों के अंदर फरेब या चालबाजी होती है तो भले ही दिमाग न समझे, दिल को यह गड़बड़ देर सबेर महसूस होने लगती है। यह बात छोटे स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर भी होती है। यह हम सब का अनुभव होगा। यही वह कारण है जो आज के नेताओं और गांधी जी को अलग करता है। आज के नेताओं की बातें दिमाग पर असर डालती है पर कहीं दिल में शंका भी पैदा करती है। गांधी जी की बाते भले ही तर्क की दृष्टि से समझ न आती हो पर दिल को छू जाती थीं। विश्वास कर पाता था आम आदमी, उनका।

यह जो लिबरल राजनीति (के विचारों और नारों) का फरेब कई दशकों से दुनिया ढ़ोती आई है और जिसके फ्रेमवर्क में सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनशीलता की कोई जगह नहीं है, उसकी प्रतिक्रिया में ही इस्लामी आतंकवाद शुरू हुआ। यह फरेब की उस कुंठा की अभिव्यक्ति है जिसमे आदमी कसमसा जाता है। क्या करे? कौन समझेगा? जिन्हे समझना चाहिए वे तो समझाने पर तुले हैं। वे तो आम आदमी को फूहड़, पिछड़ा, अशिक्षित, पोगा-पंथी, सामर्थविहीन मानते हैं। इनसे बात हो तो कैसे? इनके और उनके मुहावरे, भाषा, दृष्टि सब अलग हैं। बातचीत का आधार क्या हो? इनकी सारी जमीन तो हड़प ली गई है। वैसे जैसे संस्कृति भौंडे नाच और गाने के कार्यक्रम में सिमट गई है। स्कूल के वार्षिकोत्सोव या कोई विदेशी मेहमान को बेवकूफ बनाने तक। जो कपड़े और गाने बंद पड़े रहते हैं किसी खास दिन पेटी से निकलते हैं। पिछले कई दशकों से इसकी चर्चा तो बहुत होती है, कभी संस्कृति के नाम पर, कभी विविधता के नाम पर, कभी सर्वहारा के नाम पर, कभी बेचारगी के अंदाज में, पर यह सिर्फ खोखले मुहावरे और नारे हैं। यह अब आम लोगों को महसूस होने लगा है। हाँ, उनकी अभिव्यक्ति अभी दूर है।

**शायद समय आ गया है कि हमारे राजनेता इस समय आम आदमी के अंदर क्या चल रहा है, उसे महसूस करें और अपनी भाषा और मुहावरों में तबदीली लायें। पुरानी भाषा और मुहावरों को जमीन के ज्यादा नजदीक लायें-पुराने विचारधाराओं से हट कर। इसके लिए थोड़ी हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी**

पर अब इस झांसे की चेतना अपने उभार पर है। समाधान दूर है क्योंकि अभी तक वर्तमान लोकतन्त्र (जिसे गांधी जी ने वैश्या कहा था) से मोह भंग नहीं हुआ है। अमरीका में ट्रम्प की जीत इसी का इजहार है और हमारे यहाँ मोदी की जीत भी कुछ वैसी ही है। यह ट्रम्प की या मोदी की जीत उतनी नहीं है जितनी लिबरल राजनीति की हार है। ट्रम्प का ताईवान के राष्ट्रपति से बात करना और उस पर हो हल्ला मचने पर जो ट्रम्प का जवाब था कि बात करने को इतना तूल देने से पहले यह तो ध्यान रखना होगा कि अमरीका खरबों डालर के हथियार ताईवान को बेचता रहा है तो बातचीत पर इतना हो हल्ला क्यों? यह ध्यान दिलाना होगा कि कहा जा रहा है कि ताईवान और अमरीका के राष्ट्रपतियों के बीच ऐसी बात पहली बार 1979 के बाद हुई है, जबकी हथियारों का व्यापार दोनों देशों के बीच हमेशा से चलता रहा है। यह लिबरल राजनीति के दोगले चरित्र को उजागर करता है। ट्रम्प जैसे भी हो, एक तरह की साफगोई तो लगती है उनमे, जो आज के आम आदमी को भाती है।

शायद समय आ गया है कि हमारे राजनेता इस समय आम आदमी के अंदर क्या चल रहा है, उसे महसूस करें और अपनी भाषा और मुहावरों में तबदीली लायें। पुरानी भाषा और मुहावरों को जमीन के ज्यादा नजदीक लायें-पुराने विचारधाराओं से हट कर। इसके लिए थोड़ी हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी पर जमाने और उसकी हवा के साथ चलना तो राजनेताओं का स्वभाव और धर्म दोनों होता है!

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:54 AM Page 52



# पंच-परमेश्वर

प्रेमचंद

जुम्मन शेख अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी। कुछ लेन-देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गये थे, तब अपना घर अलगू को सौंप गये थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते,तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खाना-पाना का व्यवहार था, न धर्म का नाता; केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूलमंत्र भी यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ, जब दोनों मित्र बालक ही थे, और जुम्मन के पूज्य पिता, जुमराती, उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरू जी की बहुत सेवा की थी, खूब प्याले धोये। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आध घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा-शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था। वह कहते थे कि विद्या पढ़ने ने नहीं आती; जो कुछ होता है, गुरु के आशीर्वाद से। बस, गुरु जी की कृपा-दृष्टि चाहिए। अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ, तो यह मानकर संतोष कर लेना कि विद्योपार्जन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी, विद्या उसके भाग्य ही में न थी, तो कैसे आती? मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था, और उसी सोटे के प्रताप से आज-पास के गाँवों में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रेहननामे या बैनामे पर कचहरी का मुहर्रिर भी कदम न उठा सकता था। हल्के का डाकिया, कांस्टेबिल और तहसील का चपरासी-सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव अलगू का मान उनके धन के कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदरपात्र बने थे।

> पंच के पद पर बैठ कर न कोई किसी का दोस्त है, न दुश्मन। पंच में परमेश्वर वास करते हैं

जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला (मौसी) थी। उसके पास कुछ थोड़ी-सी मिलकियत थी; परन्तु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लम्बे-चौड़े वादे करके वह मिलकियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दानपत्र की रजिस्ट्री न हुई थी, तब तक खालाजान का खूब आदर-सत्कार किया गया; उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाये गये। हलवे-पुलाव की वर्षा- सी की गयी; पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानों मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज, तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गये। अब बेचारी खालाजान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया न जाने कब तक जियेगी। दो-तीन बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानों मोल ले लिया है! बघारी दाल के बिना रोटियाँ नहीं उतरतीं! जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके, उतने से तो अब तक गाँव मोल ले लेते। कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा; पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी—गृहस्वांमी—के प्रबंध देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यों ही रो-धोकर काम चलता रहा। अन्त में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा—बेटा! तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अपना पका-खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया-– रुपये क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा—मुझे कुछ रूखा-सूखा चाहिए भी कि नहीं? जुम्मन ने गम्भीर स्वर से जवाब.दिया—तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तु मौत से लड़कर आयी हो? खाला बिगड़ गयीं, उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हँसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाली की तरफ जाते देख कर मन ही मन हँसता है। वह बोले—हाँ, जरूर पंचायत करो। फैसला हो जाय। मुझे भी यह रात-दिन की खटखट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न थ। आस-पास के गाँवों में ऐसा कौन था, उसके अनुग्रहों का ऋणी न हो; ऐसा कौन था, जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था, जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आवेंगे ही नहीं।

इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिये आस-पास के गाँवों में दौड़ती रहीं। कमर झुक कर कमान हो गयी थी। एक-एक पग चलना दूभर था; मगर बात आ पड़ी थी। उसका निर्णय करना जरूरी था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा, जिसके समाने बुढ़िया ने दुःख के ऑसू न बहाये हों। किसी ने तो यों ही ऊपरी मन से हूँ-हाँ करके टाल दिया,और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियाँ दीं। कहा—कब्र में पाँव जटके हुए हैं, आज मरे, कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती-बारी से क्या काम है? कुछ ऐसे सज्जन भी थे, जिन्हें हास्य-रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला। झुकी हुई कमर, पोपला मुँह, सन के-से बाल इतनी सामग्री एकत्र हों, तब हँसी क्यों न आवे? ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीन-वत्सल पुरुष बहुत कम थे, जिन्होंने इस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो। चारों ओर से घूम-घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आयी। लाठी पटक दी और दम लेकर

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:54 AM Page 53



बोली–बेटा, तुम भी दम भर के लिये मेरी पंचायत में चले आना। अलगू– मुझे बुला कर क्या करोगी? कई गाँव के आदमी तो आवेंगे ही। खाला–अपनी विपद तो सबके आगे रो आयी। अब आने न आने का अख्तियार उनको है। अलगू–यों आने को आ जाऊँगा; मगर पंचायत में मुँह न खोलूँगा। खाला–क्यों बेटा? अलगू–अब इसका क्या जवाब दूँ? अपनी खुशी। जुम्मन मेरा पुराना मित्र है। उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला–बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? हमारे सोये हुए धर्म-ज्ञान की सारी सम्पत्ति लुट जाय, तो उसे खबर नहीं होता, परन्तु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है। फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का काई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूँज रहे थे-क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे?

संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के-तम्बाकू आदि का प्रबन्ध भी किया था। हाँ, वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे जब पंचायत में कोई आ जाता था, तब दवे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरवयुक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब यहाँ भी पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक-एक अंगुल जमीन भर गयी; पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे, जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी। नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यह निर्णय करना असम्भव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआँ निकलता था या चिलम के दमों से। लड़के इधर-उधर दौड़ रहे थे। कोई आपस में गाली-गलौज करते और कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। गाँव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे। पंच लोग बैठ गये, तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की-पंचों, आज तीन साल हुए, मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भानजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ता-हयात रोटी-कपड़ा देना कबूल किया। साल-भर तो मैंने इसके साथ रो-धोकर काटा। पर अब रात-दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूँ। कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुःख सुनाऊँ? तुम लोग जो राह निकाल दो, उसी राह पर चलूँ। अगर मुझमें कोई ऐब देखो, तो मेरे मुँह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो, तो उसे समझाओं, क्यों एक बेकस की आह लेता है ! मैं पंचों का हुक्म सिर-माथे पर चढ़ाऊँगी। रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले–जुम्मन मियां किसे पंच बदते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो। फिर जो कुछ पंच कहेंगे, वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दीख पड़े, जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य था। जुम्मन बोले–पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खालाजान जिसे चाहें, उसे बदें। मुझे कोई उज्र नहीं। खाला ने चिल्लाकर कहा-अरे अल्लाह के बन्दे ! पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा-इस वक्त मेरा मुँह न खुलवाओ। तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो, पंच बदो। खालाजान जुम्मन के आक्षेप को समझ गयीं, वह बोली-बेटा, खुदा से डरो। पंच न किसी के दोस्त होते हैं, ने किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो! और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो, तो जाने दो; अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो, मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परन्तु भावों को छिपा कर बोले-अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फँसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे। बोले-खाला, तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गम्भीर स्वर में कहा-बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुँह से जो बात निकलती है, वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुएं रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले-शेख जुम्मन! हम और तुम पुराने दोस्त हैं! जब काम पड़ा, तुमने हमारी मदद की है और हम भी जो कुछ बन पड़ा, तुम्हारी सेवा करते रहे हैं; मगर इस समय तुम और बुढ़ी खाला, दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो, करो।

जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है। अतएव शांत-चित्त हो कर बोले-पंचों, तीन साल हुए खालाजान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी। मैंने उन्हें ता-हयात खाना-कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खालाजान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है; मगर औरतों में जरा अनबन रहती है, उसमें मेरा क्या बस है? खालाजान मुझसे माहवार खर्च अलग माँगती है। जायदाद जितनी है; वह पंचों से छिपी नहीं। उससे इतना मुनाफा नहीं होता है कि माहवार खर्च दे सकूँ। इसके अलावा हिब्बानामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नही। नहीं तो मैं भूलकर भी इस झमेले मे न पड़ता। बस, मुझे यही कहना है। आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो फैसला चाहें, करे। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था। अतएव वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक-एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इस प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी-कैसी बातें कर रहा था! इतनी ही देर में ऐसी कायापलट हो गयी कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। न मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है? क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम न आवेगी? जुम्मन शेख तो इसी संकल्प-विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया-जुम्मन शेख ! पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाय। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस, यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो, तो हिब्बानामा रद्द समझा जाय। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गये। जो अपना मित्र हो, वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय के हेर-फेर के सिवा और क्या कहें? जिस पर पूरा भरोसा था,

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:54 AM Page 54



उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे-सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कलियुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी-धोखेबाज न होते, तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता? यह हैजा-प्लेग आदि व्याधियाँ दुष्कर्मों के ही दंड हैं। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति-परायणता की प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे। वे कहते थे-इसका नाम पंचायत है! दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती, दोस्ती की जगह है, किन्तु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो वह कब की रसातल को चली जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ-साथ बातें करते नहीं दिखायी देते। इतना पुराना मित्रता-रूपी वृक्षत्य का एक झोंका भी न सह सका। सचमुच वह बालू की ही जमीन पर खड़ा था। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की आवभगत ज्यादा करने लगा। वे मिलते-जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले।

अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है; पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती; जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाये थे। बैल पछाहीं जाति के सुंदर, बडे-बड़े सीगोंवाले थे। महीनों तक आस-पास के गाँव के लोग दर्शन करते रहे। दैवयोग से जुम्मन की पंचायत के एक महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा-यह दगाबाजी की सजा है। इन्सान सब्र भले ही कर जाय, पर खुदा नेक-बद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष पिला दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया उसने कहा--जुम्मन ने कुछ कर-करा दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब ही वाद-विवाद हुआ दोनों देवियों ने शब्द-बाहुल्य की नदी बहा दी। व्यंगय, वक्तोक्ति अन्योक्ति और उपमा आदि अलंकारों में बातें हुईं। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डाँट-डपट कर समझा दिया। वह उसे उस रणभूमि से हटा भी ले गये। उधर अलगू चौधरी ने समझाने-बुझाने का काम अपने तर्क-पूर्ण सोंटे से लिया। अब अकेला बैल किस काम का? उसका जोड़ बहुत ढूँढ़ा गया, पर न मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गाँव में एक समझू साहु थे, वह इक्का-गाड़ी हाँकते थे। गाँव के गुड़-घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल, नमक भर लाते, और गाँव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन-भर में बेखटके तीन खेप हों। आज-कल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल-भौरी की पहचान करायी, मोल-तोल किया और उसे ला कर द्वार पर बाँध ही दिया। एक महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह न की। समझू साहु ने नया बैल पाया, तो लगे उसे रगेदने। वह दिन में तीन-तीन, चार-चार खेप करने लगे। न चारे की फिक्र थी, न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गये, वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाया था कि फिर जोत दिया।

अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंशी बचती थी। बैलराम छठे-छमाहे कभी बहली में जोते जाते थे। खूब उछलते-कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे। वहाँ बैलराम का रातिब था, साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली, और यही नहीं, कभी-कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। शाम-सबेरे एक आदमी खरहरे करता, पोंछता और सहलाता था। कहाँ वह सुख-चैन, कहाँ यह आठों पहर की खपत। महीने-भर ही में वह पिस-सा गया। इक्के का यह जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक-एक पग चलना दूभर था। हडिडयाँ निकल आयी थी; पर था वह पानीदार, मार की बरदाश्त न थी। एक दिन चौथी खेप में साहु जी ने दूना बोझ लादा। दिन-भरका थका जानवर, पैर न उठते थे। पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस, फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़ का चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूँ; पर साहू जी को जल्द पहुँचने की फिक्र थी; अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया; पर अबकी बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा, और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। साहु जी ने बहुत पीटा, टाँग पकड़कर खीचा, नथनों में लकड़ी ठूँस दी; पर कहीं मृतक भी उठ सकता है? तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया; और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुँचे। बहुत चीखे-चिल्लाये; पर देहात का रास्ता बच्चों की आँख की तरह साँझ होते ही बंद हो जाता है। कोई नजर न आया। आस-पास कोई गाँव भी न था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुर्रे लगाये और कोसने लगे-अभागे। तुझे मरना ही था, तो घर पहुँचकर मरता! ससुरा बीच रास्ते ही में मर रहा। अब गड़ी कौन खीचे? इस तरह साहू जी खूब जले-भुने। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे, दो-ढाई सौ रुपये कमर में बंधे थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक थे; अतएव छोड़ कर जा भी न सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गये। वहीं रतजगा करने की ठान ली। चिलम पी, गाया। फिर हुक्का पिया।

इस तरह साहु जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे; पर पौ फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा, तो थैली गायब! घबरा कर इधर-उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारत! अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगा। प्रातः काल रोते-बिलखते घर पहँचे। सहुआइन ने जब यह बुरी सुनावनी सुनी, तब पहले तो रोयी, फिर अलगू चौधरी को गालियाँ देने लगी-निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म-भर की कमाई लुट गयी। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम माँगते तब साहु और सहुआइन, दोनों ही झल्लाये हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड-बंड बकने लगते–वाह! यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम माँगने चले हैं! आँखों में धूल झोंक दी, सत्यानाशी बैल गले बाँध दिया, हमें

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:54 AM Page 55



निरा पोंगा ही समझ लिया है! हम भी बनिये के बच्चे है, ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे। पहले जाकर किसी गड्हे में मुँह धो आओ, तब दाम लेना। न जी मानता हो, तो हमारा बैल खोल ले जाओ। महीना भर के बदले दो महीना जोत लो। और क्या लोगे? चौधरी के अशुभचिंतकों की कमी न थी। ऐसे अवसरें पर वे भी एकत्र हो जाते और साहु जी के बराने की पुष्टि करते। परन्तु डेढ़ सौ रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वह भी गरम पड़े। साहु जी बिगड़ कर लाठी ढूँढ़ने घर चले गए। अब सहुआइन ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते-होते हाथापाई की नौबत आ पहुँची। सहुआइन ने घर में घुस कर किवाड़ बन्द कर लिए। शोरगुल सुनकर गाँव के भलेमानस घर से निकले। वह परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा। पंचायत कर लो। कुछ तय हो जाय, उसे स्वीकार कर लो। साहु जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली।

पंचायत की तैयारियाँ होने लगीं। दोनों पक्षों ने अपने-अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वही संध्या का समय था। खेतों में कौए पंचायत कर रहे थे। विवादग्रस्त विषय था यह कि मटर की फलियों पर उनका कोई स्वत्व है या नही, और जब तक यह प्रश्न हल न हो जाय, तब तक वे रखवाले की पुकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे। पेड़ की डालियों पर बैठी शुक-मंडली में वह प्रश्न छिड़ा हुआ था कि मनुष्यों को उन्हें वेसुयैवत कहने का क्या अधिकार है, जब उन्हें स्वयं अपने मित्रों से दगा करने में भी संकोच नहीं होता। पंचायत बैठ गई, तो रामधन मिश्र ने कहा-अब देरी क्या है? पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी; किस-किस को पंच बदते हो। अलगू ने दीन भाव से कहा-समझू साहु ही चुन लें। समझू खड़े हुए और कड़कर बोले-मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक्क-धक्क करने लगा, मानों किसी ने अचानक थप्पड़ मारा दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे। वह बात को ताड़ गए। पूछा-क्यों चौधरी तुम्हें कोई उज्र तो नही। चौधरी ने निराश हो कर कहा-नहीं, मुझे क्या उज्र होगा? अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूल कर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ-प्रदर्शक बन जाता है। पत्र-संपादक अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ कितनी धृष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है: परंतु ऐसे अवसर आते हैं, जब वह स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है। मंडल के भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ, कितनी विचारशील, कितनी न्याय-परायण हो जाती है। इसका कारण उत्तर-दायित्व का ज्ञान है। नवयुवक युवावस्था में कितना उद्दंड रहता है। माता-पिता उसकी ओर से कितने चिंतित रहते है! वे उसे कुल-कलंक समझते हैं परन्तु थोड़ी ही समय में परिवार का बौझ सिर पर पड़ते ही वह अव्यवस्थित-चित्त उन्मत्त युवक कितना धैर्यशील, कैसा शांतचित्त हो जाता है, यह भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का फल है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुँह से इस समय जो कुछ निकलेगा, वह देववाणी के सदृश है-और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जौ भर भी टलना उचित नही! पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल-जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने-अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए।

परन्तु वो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई। उसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो। अन्त में जुम्मन ने फैसला सुनाया-अलगू चौधरी और समझू साहु। पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया, उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते, तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने-चारे का कोई प्रबंध न किया गया। रामधन मिश्र बोले-समझू ने बैल को जान-बूझ कर मारा है, अतएव उससे दंड लेना चाहिए। जुम्मन बोले-यह दूसरा सवाल है।

हमको इससे कोई मतलब नहीं! झगड़ू साहु ने कहा-समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले-यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है। यह रियायत करें, तो उनकी भलमनसी। अलगू चौधरी फूले न समाए। उठ खड़े हुए और जोर से बोल-पंच-परमेश्वर की जय! इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई-पंच परमेश्वर की जय! यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है? थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले-भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राण-घातक शत्रु बन गया था; पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठ कर न कोई किसी का दोस्त है, न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई।

neeraj Decmber 2016_skw 12/16/2016 2:54 AM Page 56



# लाला लालचन्द का दास

मैंने कहा, साहब की साहबी के सामने तो क्वीन के सबसे खास एजेंटों की भी एक नहीं चली। मेरी बात सुनते ही ताऊ फिर बिदक गए। हमला करने के लिए कोई सनासाई तरकीब का विचार करते हुए पान थूकने का उपक्रम करने लगे। इसी बीच मुझे सोसल मीडिया से सीखी पूरी लाईन झोंक मारने की सूझी। साहब की बात कर रहे हैं, ताऊ। कोई गद्दाफी की नहीं, जिसे करेंशी-किंग ने रुला-रुला कर पैसे छाप कर दिए थे। आखिर वह तानाशाही का खात्मा करने का मामला था। सेना की तनख्वाह पर रोक के बिना ऐसा कैसे संभव होता। साहब ने तो आनन-फानन में सारी करेंशी एक मुस्त छपाने के करार पर ही उसे काली सूची से बाहर किया। इसके बाद काली तो अब बाबा की भैंस भी नहीं रह जाएगी, धन की तो बात ही छोड़ दीजिये।

इतना सब सुनते हुए ताऊ पान थूकते रहे। फिर बोले, 'तुम लाला लालचंद के दास को साहब बताओ, मर्जी तुम्हारी'। सुनते ही मुझ पर आक्रामक आवेश हुआ। मैने कहा, आप भी देख कर भौंचक्के रह जाऐंगे, जब आतंकवाद का नामोनिशान मिट जाएगा। उनके तीखे तीरों की बौछार तेज होने से पहले ही पाखंडी बाबा हांफते हुए पहुंचे। बाबा भी अब नारायण की भक्ति छोड़ मेरी तरह साहब की भक्ति में लीन रहते हैं। अपने पक्ष में बढ़त और ताऊ को पछाड़ने का ख्याल मेरे मन में गुदगुदी पैदा करने लगा। आज तो मैं साहब के नाम से मशहूर फैशनेबल बंडी पहने था। खुशी के इस माहौल में बाबा के दौड़ने का रहस्य गुम न हो जाय। मैंने उनकी ओर देखा। बाबा बोले, 'मेरी भागी हुई भैंस लौट आई है, लेकिन अब वह काली नहीं रही, सफेद हो गई है'। बाबा की बात सुन कर ताऊ परेशान हो गए।

मैं सोचने लगा जरुर किसी ने नमो-नमो मंत्र का जाप भैंस के सामने किया होगा। मैंने अपना पक्ष रखना जरुरी समझा। बाबा मेरी समझ से तो एफडीआई में काला को सफेद करने का एकमेव मार्ग साहब ने सहज सुलभ कर दिया है, पर यह भैंस को सफेद करने की बात एकदम नई है। इस बीच बाबा ने फिर उगलना शुरू किया, 'नमो-नमो मंत्र का प्रभाव व्यापक है।' सुनते ही मेरा रोम-रोम प्रफ्फुलित हो उठा। मैं तो उसी दिन साहब का असली वाला फैन हुआ जब उन्होंने फेसबुक वाले जुकरबर्ग को फोटोफ्रेम से बाहर करने के लिए खींच कर किनारे लगा दिया था। आप ठहरे बाबाजी और ताऊ ठहरे खुजलीवाल के वकील तो मेरी बात क्यों मानेंगे भला। यह कह कर मैं चुप हो गया।

ताऊ पाखंडी बाबा की ओर देखते हुए बोले, 'जब कराह रही जनता की पीड़ा भूलकर नेता कपड़े बदलने और फोटो उतरवाने में लगा रहेगा तो राज लाला लालचंद का ही होगा।' जाने क्यों यह बात मेरे सिर के ऊपर से निकल रही थी। आखिर अपने जैसा लालबुझक्कर जिसे जानता नहीं, एक फोटो तक नहीं देखा हो, वह भला राज कैसे करेगा? बाबा के साथ मिल कर मैंने गर्व से नारा लगाना शुरू किया। क्वीन के सिर पर ताज रहे, और अपने साहब का राज रहे। -सच्चिदानंद

# कार्टून कोना

# एआईपीसी 91

**ऑल इंडिया पंचायत काउंसिल की पिछली बैठक में बिहार राज्य पंचायत परिषद के अध्यक्ष बिन्देश्वरी प्रसाद यादव ने अपने प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया।**